श्री टी. के. अनिल कुमार, आईएएस

श्री के. पी. मोहन राज, आईएएस

श्री सुनिल कुमार कैमाल

श्री कृष्ण कुमार पिल्लि

श्री बी. टी. खानापुरे

निदेशक मंडल (यथा 17.01.2022 के अनुसार)

श्री अनिल कुमार टी.के., आईएएस अध्यक्ष – केएपीएल व प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कर्नाटक सरकार,विकास सौधा, बेंगलूर – 560 001 दिनांक 25.10.2021 से	**श्री एम.एस. श्रीकर, आईएएस** प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य औद्योगिक एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कार्पोरेशन लिमिटेड, खनिज भवन, चौथा तल, पूर्वी विंग, 49, रेस कोर्स रोड, बेंगलूर – 560 001 दिनांक 12.03.2021 तक
श्री जवाईद अख़तर, आईएएस अध्यक्ष – केएपीएल व अतिरिक्त प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कर्नाटक सरकार, विकास सौधा, बेंगलूर – 560 001 दिनांक 25.10.2021 तक	**श्री गंगा राम बदेरिया, आईएएस** प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य औद्योगिक एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कार्पोरेशन लिमिटेड, खनिज भवन, चौथा तल, पूर्वी विंग, 49, रेस कोर्स रोड, बेंगलूर – 560 001 दिनांक 06.10.2020 तक
श्री सुनिल कुमार कैमाल प्रबंध निदेशक, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, अर्का द बिजिनेस सेंटर,सं.37, एनटीटीएफ़ प्रधान मार्ग, दूसरा फेस, पीण्या औद्योगिक क्षेत्र, बेंगलूर – 560 058 दिनांक 01.08.2019 से	**श्री सुमित गर्ग** उप सचिव, फार्मास्युटिकल्स विभाग रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार उद्योग भवन, नई दिल्ली – 110 001 दिनांक 21.12.2021 तक
श्री के.पी. मोहन राज, आईएएस प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य औद्योगिक एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कार्पोरेशन लिमिटेड, खनिज भवन, चौथा तल, पूर्वी विंग, 49, रेस कोर्स रोड, बेंगलूर – 560 001 दिनांक 09.12.2021 से	**श्री बी टी खानापुरे** कर्नाटक सरकार के लिए औषधि नियंत्रक पैलेस रोड, बेंगलूर – 560 001 दिनांक 10.01.2020 से
डॉ. राम प्रसाद मनोहर, आईएएस प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य औद्योगिक एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कार्पोरेशन लिमिटेड, खनिज भवन, चौथा तल, पूर्वी विंग, 49, रेस कोर्स रोड, बेंगलूर – 560 001 दिनांक 09.12.2021 तक	

सुप्रिया कुलकर्णी
कंपनी सचिव एवं सहायक महा प्रबन्धक (प्रशासन)

सांविधिक लेखा परीक्षक
योगानन्ध एंड राम एलएलपी, सनदी लेखाकार
तीसरा तल, श्री नरसिम्हा निलया
सं.263/1, दूसरा क्रॉस, टी मारियप्पा रोड,
दूसरा ब्लॉक, जय नगर, बेंगलूर – 560 011

बैंकर्स
बैंक ऑफ बरोड़ा (विजया बैंक)
मेयो हॉल शाखा एवं
वेस्ट ऑफ कॉर्ड रोड शाखा
बेंगलूर

आंतरिक लेखा परीक्षक
मेसर्स् एम एन एस एंड को., सनदी लेखाकार
सं. 3901/सी, यूनिटी पैराडाइस, भूतल,
1, 13वाँ 'ए' क्रॉस, बनशंकरी द्वितीय स्टेज
बेंगलूर – 560 070

भारतीय स्टेट बैंक
एसएमई शाखा
सेंट मार्क रोड,
बेंगलूर – 560 025

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय
अरका द बिजिनेस सेंटर, सं.37, एनटीटीएफ़ प्रधान मार्ग, दूसरा फेस,
पीण्या औद्योगिक क्षेत्र, बेंगलूर – 560 058

विषय सूची

विवरण	पृष्ठ सं.
सूचना	4
अध्यक्ष का भाषण	5-6
निदेशकों का प्रतिवेदन	7-24
निदेशकों के प्रतिवेदन के लिए परिशिष्ट (सचिवीय लेखापरीक्षक की योग्यता के लिए)	25
सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	26-33
सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	34-36
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	37
तुलन पत्र	38-39
लाभ व हानि विवरण	40-41
नकदी प्रवाह विवरण	42-43
इक्विटी में परिवर्तन से संबंधित विवरण	44-45
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	46-52
टिप्पणी संख्या 1 से 51 तक	53-90
आंकड़े एक नज़र में	91

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की **चालीसवीं वार्षिक आम बैठक** सोमवार, 17 जनवरी, 2022 के पूर्वाह्न 1145 बजे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सुविधा के माध्यम से निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए बुलाई की जाएगी:

साधारण व्यवसाय

1. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करने, उन पर विचार करने के साथ-साथ निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को अपनाना।
2. लाभांश घोषित करना।

विशिष्ठ व्यवसाय

3. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लागत लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक का भुगतान ।

   निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो एक साधारण संकल्प के रूप में संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना :

   'संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और के अन्य सभी लागू प्रावधानों और कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (किसी भी सांविधिक संशोधन (नों) या कुछ समय के लिए लागू पुन: अधिनियमन सहित) के प्रावधानों के अनुसरण में मेसर्स् जेएच एसोसिएट्स, जिन्हें 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा करने के लिए ''लागत लेखा परीक्षक'' के रूप में नियुक्त किया गया है, को देय पारिश्रमिक रु.55,000/- (रुपए पचपन हजार मात्र) तथा लागू कर का भुगतान करने हेतु एतदद्वारा मंजूर एवं अनुमोदित किया जाता है।''

निदेशक मंडल के आदेश से

(सुप्रिया कुलकर्णी)
कंपनी सचिव व सहायक महा प्रबंधक (प्रशासन)

स्थान: बेंगलूर
तारीख : जनवरी 12, 2022

सेवा में :

सदस्य

टिप्पणी :

1. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रतिनिधि को नियुक्त करने का हकदार है और प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। जारी कोविड़-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय ('एमसीए') ने अपने सामान्य परिपत्र सं.14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र सं.17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र सं.20/2020 दिनांक 5 मई 2020, सामान्य परिपत्र सं.22/2020 दिनांक 15 जून 2020, सामान्य परिपत्र सं.33/2020 दिनांक 28 सितंबर 2020, सामान्य परिपत्र सं.39/2020 दिनांक 31 दिसंबर 2020 और सामान्य परिपत्र सं.02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021 (सामूहिक रूप से ''एमसीए परिपत्र'') के द्वारा वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') आयोजित करने की अनुमति दी है। कॉरपोरेट व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नियामक प्रावधानों और परिपत्रों के अनुरूप, कंपनी की 40 वीं वार्षिक आम बैठक वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है। चूंकि यह एजीएम वीसी सुविधा के माध्यम से आयोजित की जा रही है, (इसके बाद इसे 'ई-एजीएम' कहा जाता है) सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रतिनिधि की नियुक्ति की सुविधा ई-एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए प्रतिनिधि फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न नहीं हैं।
2. चालीसवें ई-एजीएम के लिए माना जाने वाला स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।
3. सदस्य वीसी से जुड़ने के लिए उन्हें प्रदान किए गए लॉग इन क्रेडेंशियल के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं।
4. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में विवरण

बैठक की सूचना में शामिल विशेष कार्य के अंतर्गत मद संख्या 3 के संबंध में विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लागत लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक का भुगतान।

बोर्ड ने, लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों पर, 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों का लेखा परीक्षा करने के लिए मेसर्स् जेएच एसोसिएट्स को पारिश्रमिक के साथ रुपये 55,000/- (रुपये पचपन हजार मात्र) तथा लागू कर के साथ, लागत लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त करने की सहर्ष मंजूरी प्रदान की है।

कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक को कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुसमर्थित करने की आवश्यकता है।

तद्नुसार, लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक के अनुसमर्थन के लिए सूचना के मद सं. 3 में निर्धारित एक सामान्य संकल्प पारित करने के लिए सदस्यों के अनुमोदन का अनुरोध किया जाता है।

कोई भी निदेशक, कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, किसी भी तरह से, सूचना के मद सं. 3 में निर्धारित संकल्प से संबंधित नहीं है या रुचि नहीं रखते हैं। बोर्ड सामान्य संकल्प की सिफारिश करता है जैसा कि सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए मद सं.3 में निर्धारित किया गया है।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: बेंगलूर
तारीख : जनवरी 12, 2022

(सुप्रिया कुलकर्णी)
कंपनी सचिव व सहामप्र (प्रशासन)

क्षेत्र मार्ग-नक्शा

टी वी एस क्रॉस पीण्या की ओर	बीबीएमपी पार्क ← एनटीटीएफ प्रधान रस्ता → केएपीएल कार्पोरेट कार्यालय अरका द बिजिनेस सेंटर	एनटीटीएफ सर्कल पीण्या स्टेज II, औद्योगिक क्षेत्र एनटीटीएफ सर्कल/पीण्या स्टेज II की ओर

विजन

सर्वसामान्य के लिए उचित मूल्यों पर उच्च गुणवत्ता वाली औषधियों एवं स्वास्थ्य सुविधा उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करना।

मिशन

1. अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुविधाओं का विनिर्माण करना।
2. विपणन प्रयासों को इतना सशक्त बनाना कि हर वर्ष निर्यात एवं निजी व्यापार बाजार में कम से कम 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि के लक्ष्य को हासिल करना।
3. ग्राहकों की संतुष्टि एवं सेवा के लिए उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार लाना।
4. उत्पादन की दर को बढ़ाने के लिए प्रेरणा से ओतप्रोत बहुआयामी कुशलता वाली मानव संसाधन इकाई का

दिनांक 17.01.2022 को बेंगलूर में सम्पन्न कंपनी की 40वीं वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबोधित भाषण

1. निदेशक मण्डल की ओर से और अपनी ओर से मुझे यहाँ कंपनी की वार्षिक आम बैठक में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

2. वित्तीय वर्ष 2020-21 में आपकी कंपनी की बिक्री का प्रदर्शन रु.426.16 करोड़ है। सभी शेयरधारकों को निदेशकों की रिपोर्ट तथा कंपनी के वर्ष 31 मार्च 2021 तक के वित्तीय विवरणों को पहले ही प्रदान किया जा चुका है और यहाँ उपस्थित आप सबकी अनुमति से मैं यह मानता हूँ कि आपने उसे पढ़ लिया है।

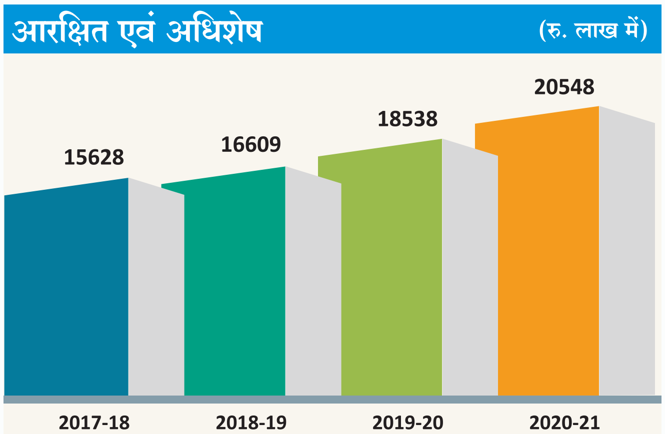

3. स्थूल आर्थिक ढांचा

वर्ष 2020-21 के दौरान, भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी की दर गत वर्ष की जीडीपी दर 4.0% की तुलना में 7.3% दर्ज की गई है।

दि. 14.09.2021 को कॉर्पोरेट कार्यालय में संपन्न हिन्दी दिवस समापन समारोह

4. प्रचलनात्मक निष्पादन

आपकी कंपनी ने रु. 43464 लाख का उत्पादन मूल्य को हासिल किया (गत वर्ष रु. 48957 लाख)। कंपनी ने रु. 42616 लाख की बिक्री का कारोबार किया (गत वर्ष रु. 43215 लाख)।

कारखाने के प्रशिक्षण केंद्र में तकनीकी गैर-अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है।

5. वित्तीय परिणाम

आपकी कंपनी ने कर पूर्व लाभ रु.3074 लाख (गत वर्ष रु.3151 लाख) हासिल किया तथा कर के उपरांत लाभ रु.2318 लाख (गत वर्ष रु.2299 लाख) कमाया। कंपनी की प्रत्येक शेयर का बही खाता मूल्य (अंकित मूल्य रु.100) रु.1623 है (गत वर्ष रु. 1474)। प्रत्येक रु.100 के अंकित मूल्य पर प्रतिशेयर का अर्जन रु.172 रहा।

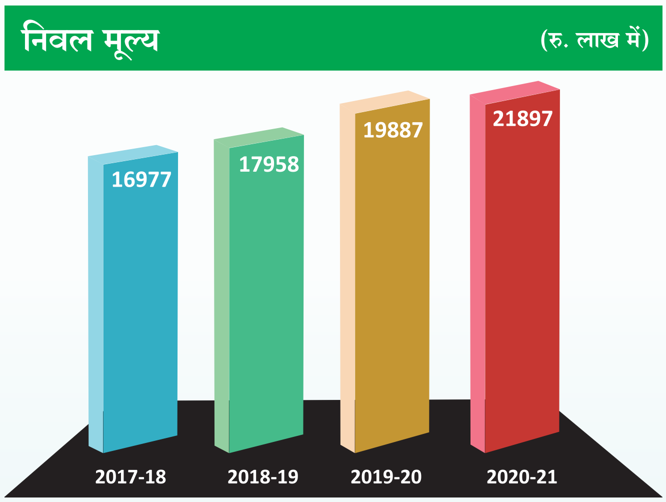

6. लाभांश

जैसा कि आप जानते हैं, केएपीएल, केन्द्रीय औषधि क्षेत्र की फार्मास्युटिकल्स क्षेत्र में एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि पिछले 30 वर्षों से लगातार लाभांश घोषित करती आ रही है। वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशकों ने गत वर्ष के 28% के लाभांश की तुलना में 30% लाभांश देने की अनुशंसा की है।

7. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कंपनी की कॉर्पोरेट व्यवसाय रणनीति का एक अभिन्न अंग है। 2020-21 में सीएसआर गतिविधियों के रूप में स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया गया।

8. कॉर्पोरेट अभिशासन

कंपनी ने कॉर्पोरेट अभिशासन के क्षेत्र में निरंतर उच्चतम मानकों के स्तर को बनाया रखा है। भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का कंपनी हमेशा ही अनुपालन करती आ रही है।

निर्यात कारोबार (रु. लाख में)

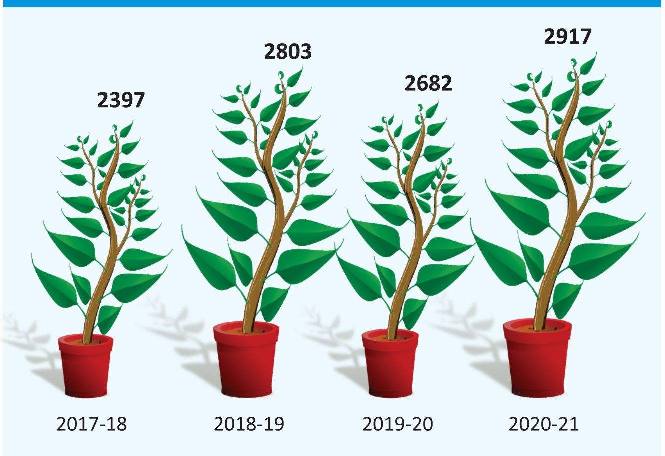

9. आभार स्वीकृति

9.1 सर्वप्रथम, मैं भारत सरकार, कर्नाटक सरकार और अन्य राज्य सरकारों के उन विभिन्न विभागों के प्रति, जिनका निरंतर समर्थन, मार्गदर्शन और परामर्श कंपनी को प्राप्त होता रहा है, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। ।

9.2 मैं अपने मूल्यवान ग्राहकों का उनके कंपनी के प्रति अटूट विश्वास बनाए रखने के लिए आभार व्यक्त करना चाहूँगा।

कारखाने में वृक्षारोपण के दौरान अधिकारियों के साथ श्री सुनिल कुमार कैमाल, प्रबंध निदेशक दर्शित हैं।

दि. 01 से 14 सितंबर 2021 के बीच हिन्दी पखवाड़े के दौरान कॉर्पोरेट कार्यालय में संपन्न हिन्दी कार्यशाला कार्यक्रम

9.3 मैं बोर्ड की ओर से तथा अपने व्यक्तिगत रूप से कंपनी के सभी कर्मचारियों का जिन्होंने कंपनी द्वारा अच्छे परिणाम को प्राप्त करने में कंपनी की पूर्ण सहायता की, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

9.4 मैं कंपनी के लेखा परीक्षकों तथा कानूनी सलाहकारों द्वारा दिए गए अत्यधिक योगदान के लिए उनके प्रति बहुत आभारी हूँ।

9.5 मैं, बोर्ड में मौजूद निदेशकों द्वारा कंपनी के शानदार प्रदर्शन व संचालन में सतत व अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

10. मैं आप सभी के समक्ष 31.03.2021 तक के तुलन पत्र तथा उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लाभ व हानि लेखा और निदेशकों की रिपोर्ट को आप सबकी स्वीकृति हेतु अब प्रस्तुत करता हूँ।

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 17.01.2022

अध्यक्ष

उत्पादन का मूल्य (रु. लाख में)

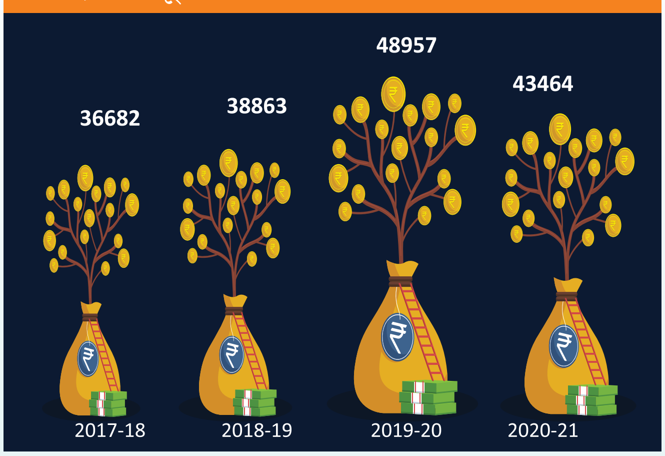

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

शेयरधारक
कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

देवियों एवं सज्जनों,

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के व्यवसाय और संचालन पर, हम बोर्ड की ओर से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्न हैं।

1. विशेषताएँ

आपकी कंपनी के प्रदर्शन की विशेषताएं नीचे तालिका-I पर प्रस्तुत किया गया है।

तालिका - I

कार्य निष्पादन की विशिष्टियाँ (रू. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	2018-2019	2019-2020	2020-2021
1.	उत्पादन*	38863	48957	43464
2.	विक्रय	36036	43215	42616
3.	निर्यात (उपर्युक्त क्र सं. 2 में शामिल किया गया है)	2803	2682	2917
4.	कर पूर्व लाभ	2523	3151	3074
5.	करोपरांत लाभ	1582	2299	2318
6.	आरक्षित एवं अधिशेष	16609	18538	20548
7.	प्रदत्त शेयर पूँजी	1349	1349	1349
8.	लाभांश (%)	22	28	30
9.	प्रति शेयर अर्जन (रू.) (अंकित मूल्य 100/- रू.)	117	170	172
10.	शेयर का बही मूल्य (रू.) (अंकित मूल्य 100 रू.)	1331	1474	1623

* ठेका विनिर्माण मूल्य शामिल

2. शेयर पूंजी

कंपनी की अधिकृत पूंजी एवं प्रदत्त पूंजी क्रमशः रु.1500 लाख एवं रु.1349 लाख जारी रही।

3. वित्त

आपकी कंपनी को अपने मौखिक ठोस खुराक (नया एनपी) परियोजना के लिए विजया बैंक, अब बैंक ऑफ बरोड़ा द्वारा कुल रु.1500 लाख के सावधि ऋण की स्वीकृति प्राप्त है और इसमें से दि.31.03.2021 तक कुल 825 लाख रुपए का भुगतान किया गया है और 675 लाख रुपए बकाया है।

दि.31.03.2021 के अनुसार, कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के रूप में बैंकों की उधारी रु.शून्य लाख थी (गत वर्ष रु.362 लाख)। वर्ष के दौरान ब्याज का भार रु.4 लाख (गत वर्ष रु.12 लाख) रहा।

दि.09.09.2021 को कारखाने में स्वच्छता पखवाड़े के दौरान परिसर की साफ-सफाई की गई

4. उत्पाद

आपकी कंपनी ने रु.43464 लाख (गत वर्ष रु.48957 लाख) का उत्पादन मूल्य हासिल किया। प्रति कारख़ाना कर्मचारी पर वार्षिक उत्पादन रु.230 लाख (गत वर्ष रु.244 लाख) रहा।

5. क्षमता उपयोग :

गत तीन वर्षों के दौरान के क्षमता उपयोग का विवरण तालिका– II में दिया गया है।

तालिका - II

क्षमता उपयोग (% में)

क्र. सं.	विवरण	2018-2019	2019-2020	2020-2021
1.	तरल पैंटरल्स	127	149	137
2.	वॉयल्स	86	79	78
3.	गोलियाँ	126	138	113
4.	कैप्सूल्स	212	270	196

6. बिक्री कारोबार

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष 2019-20 के दौरान हासिल रु. 43215 लाख की तुलना में रु.42616 लाख का बिक्री कारोबार हासिल किया। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी ने में रु.50000 लाख का कारोबार हासिल करने का प्रस्ताव दिया है।

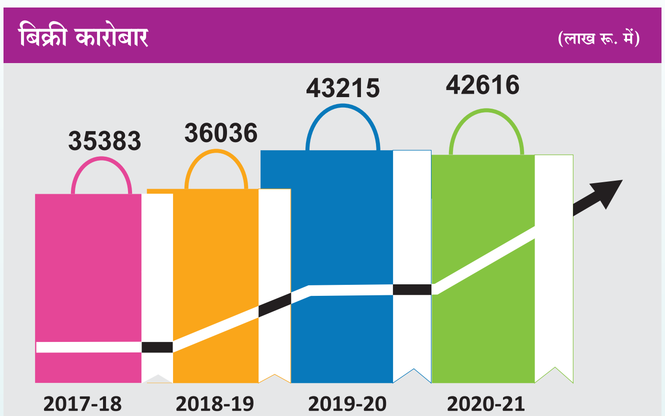

राजकोष में अंशदान (रू. लाख में)

वर्ष 2020-21 के दौरान ब्रांडेड और जेनेरिक सेगमेंट में प्रदर्शन के संबंध में, आपकी कंपनी की बिक्री में ग्रेनिल ब्रांड के अंतर्गत पिछले वर्ष के रु. 1253 लाख की तुलना में इस वर्ष में रु. 1015 लाख की बिक्री हासिल की। साइफ़ोलाक समूह की बिक्री गतवर्ष की कुल बिक्री रु.447 लाख की तुलना में इस वर्ष में रु.347 लाख रही। रेम्क ब्राण्ड ने गतवर्ष के रु. 262 लाख की तुलना में इस वर्ष के रु.157 लाख तक हासिल की है। वर्क्लेव ब्राण्ड ने गतवर्ष के रु.236 लाख की तुलना में इस वर्ष के रु.168 लाख तक निर्धारित की है। ज़िन्फ़े समूह की बिक्री गतवर्ष की बिक्री रु.190 लाख की तुलना में इस वर्ष में रु.171 लाख हासिल की है। अग्रोवेट उत्पाद काल्विमीन गोल्ड ने पिछले वर्ष की बिक्री रु.426 लाख की तुलना में इस वर्ष में रु. 387 लाख की बिक्री हासिल की। के-साइक्लीन की बिक्री गतवर्ष की बिक्री रु.292 लाख की तुलना में इस वर्ष में रु.401 लाख रही और कैल-के की बिक्री गतवर्ष की बिक्री रु.222 लाख की तुलना में इस वर्ष में रु.266 लाख हासिल की। के-लाइव की बिक्री गतवर्ष की बिक्री रु.216 लाख की तुलना में इस वर्ष में रु.301 लाख हासिल की। न्यूमोल और सेफपार ने क्रमशः रु.146 लाख और रु.100 लाख हासिल की है। फ़ार्मा के अधीन के-पुरेब, न्यूमोल और सेफपार और अग्रोवेट के अधीन के-फ्लोक्स, फ्लूवेट, काल्बेण्ड, बेन्ज़ाथाइन पी 48 एल, पेन्स्बायोटिक एमडी और सेफ़ालेक्स के प्रत्येक की बिक्री रु.100 लाख से अधिक रही।

पीण्या में नए कार्यालय के उद्घाटन के दौरान संपन्न ईश्वर गणेश पूजा

बिक्री कारोबार के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दी गई तालिका – III में दिए गए हैं।

तालिका - III

बिक्री कारोबार (लाख रू. में)

क्र. सं.	विवरण	2018-2019	2019-2020	2020-2021
1	तरल पैंटरल्स	5674	6689	5542
2	तरल ओरल्स और ड्राई सिरप	1207	2035	1323
3	वॉयल्स	8574	4748	14154
4	गोलियां	11488	11201	14148
5	कैप्सूल्स	2480	3560	2138
6	अन्य	6900	2056	10875
	कुल	**36036**	**43215**	**42616**

कारखाने में संपन्न 75वाँ स्वाधीनता दिवस समारोह के अवसर पर श्री सुनिल कुमार कैमाल, प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं।

7. नए उत्पाद

कंपनी ने निम्नलिखित उत्पादों का शुभारंभ किया :

I. फार्मा:

के-पुरेब हैंड सैनिटाइज़र तथा हैंड जेल
डी3 एलएक्स चबाने वाले टैब
एण्टाफ़ टैब और सिरप
डाइकॉन टैब और सिरप
एक्सोल टैब और सिरप
वास्ट सिरप
सिप एंड फिट ग्रान्यूल्स

II. अग्रोवेट:

फ़ेन्ज़ोल – 3.1 ग्राम बोलस
(फ़ेन्बेन्डाज़ोल 3000 मि.ग्राम + आईवेरमेक्टिन 100 मि.ग्राम)
कैल के जेल 300 मिली
(विटामिन, खनिज और जड़ी बूटियों के साथ पशु चारा पूरक जेल)
आईवेरमेक आईएनजी 100 मिली

8. **निर्यात**

आपकी कंपनी ने रु.2917 लाख का निर्यात कारोबार हासिल किया है। कुल 16 विभिन्न देशों पर निर्यात किया गया है, यथा मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपीन्स, बोत्सवाना, भूटान, केन्या, नामीबिया, म्यांमार, मोज़ाम्बिक, सूडान, श्रीलंका, उगांडा, उज्बेकिस्तान, येमन, ज़ाम्बिया और ज़िम्बाब्वे तथा कंपनी ने अपनी औषधियों को ब्राजील, ब्रुनेई, हांगकांग, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका और पेरू जैसे कुछ अतिरिक्त देशों में निर्यात करने की योजना बनाई है।

9. **वित्तीय परिणाम :**

वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय परिणामों का सारांश निम्नलिखित तालिका – IV में दर्शाया गया है: –

तालिका - IV

वित्तीय परिणाम (रु. लाख में)

विवरण	2018-2019	2019-2020	2020-2021
ब्याज, मूल्यहास ओर कर पूर्व लाभ	3307	4004	3903
घटाएँ : ब्याज संबंधी खर्च	171	136	90
नकद लाभ	3136	3868	3813
घटाएँ : मूल्यह्रास	673	717	739
कर पूर्व लाभ	2523	3151	3074
घटाएँ : करादान के लिए प्रावधान	941	852	756
कर एवं समायोजन के उपरांत लाभ	1582	2299	2318

10. वर्ष के दौरान हासिल किए गए प्रमुख अनुपात तालिका – V में दर्शाया जाता है: –

तालिका - V

प्रमुख अनुपात

विवरण	2018-2019	2019-2020	2020-2021
प्रति शेयर अर्जन - (रू) (अंकित मूल्य रू. 100/-)	117	170	172
शेयर का बही मूल्य (रू.) (अंकित मूल्य रू. 100/-)	1331	1474	1623
सकल राशि का कारोबार जमा परिसंपत्ति %	427	445	412
कारोबार की वित्तीय लागत %	0.47	0.31	0.21

11. **लाभांश**

आपकी कंपनी गत 31 वर्षों से लाभांश घोषित करती आ रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की प्रदत्त पूंजी की 30% की दर से लाभांश संस्तुत करने में आपके निदेशकों को अत्यंत हर्ष हो रहा है।

कॉर्पोरेट कार्यालय में आयुध पूजा समारोह

12. **आरक्षित और अधिशेष**

आपके निदेशकों ने सामान्य आरक्षित में रु.2000 लाख अंतरित करने का प्रस्ताव किया है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि दिनांक 31.03.2021 के अनुसार कंपनी की संचयी आरक्षित और अधिशेष रु.20548 लाख रहे। उक्त आरक्षित और अधिशेष राशि रु.1349 लाख प्रदत्त इक्विटी पूंजी की 15 गुना रही। इस प्रकार आपकी कंपनी की दिनांक 31.03.2021 तक का निवल मूल्य रु.21897 लाख रहा।

13. **मालसूची और ऋणदार**

कच्चा माल, प्रगतिशील कार्य एवं निर्मित माल सम्मिलित मालसूचियों का कुल मूल्य रु.6298 लाख रहा, जो कुल टर्नओवर का लगभग 14.78% (गतवर्ष 12.88%) रहा। दिनांक 31.03.2021 को कंपनी के ऋणदार रु.8341 लाख रहा, जो कंपनी के 71 दिवसों की बिक्री के समान है।

14. **समझौता ज्ञापन के अनुरूप कार्य निष्पादन**

कंपनी प्रतिवर्ष समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करती है। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर वर्ष 2020-21 के लिए समझौता ज्ञापन के तहत कंपनी का प्रदर्शन ''अच्छा'' है।

15. **सार्वजनिक राजकोष में योगदान**

आपकी कंपनी ने केंद्र और राज्य सरकारों के राजकोषों में आयकर, सीमा शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर, आदि के रूप में इस वर्ष में रु.8666 लाख (गतवर्ष रु. 8190 लाख) का योगदान दिया है।

16. **सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रोत्साहन**

भारत सरकार ने अपने आदेश सं.एस.ओ. 581(6) दिनांक 23.03.2012 और एस.ओ. दिनांक 14.11.2018 के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए नई सार्वजनिक प्रापण नीति अधिसूचित की है। उक्त आदेश के अनुसार, किसी भी सूक्ष्म एवं

लघु उद्यम को अपने कुल वार्षिक खरीद में से न्यूनतम 25% खरीद को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीदना चाहिए, जिसमें से 20% के आरक्षण अनुसूचित जाती/अनुसूची जनजाति के उद्यमियों द्वारा चालित यूनिटों के लिए होगा। वर्ष 2020-21 के दौरान आपकी कंपनी ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से रु.7892 लाख तक के मूल्यवाले माल खरीदा है।

17. विदेशी यात्रा

वर्ष 2020-21 के दौरान व्यापारिक उद्देश्यों से कंपनी के किसी भी कर्मचारी को विदेशों में प्रतिनियुक्त नहीं किया गया। इस संबंध में कंपनी द्वारा शून्य रुपए की खर्च की गई है।

18. मानव संसाधन

दिनांक 31.03.2021 के अनुसार कंपनी के कुल जनशक्ति 618 रही, जिनमें 215 अधिकारी और 403 गैर-अधिकारी वर्ग के हैं।

19. मानव संसाधन विकास

कर्मचारी कंपनी की सबसे मूल्यवान मूर्त संपत्ति हैं। हमने कार्य के अनुकूल माहौल बनाया है। कल की व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए लोगों की दक्षताओं में निवेश करना बहुत महत्वपूर्ण है। नवीनतम बदलते परिदृश्य के साथ तालमेल रखने के लिए, और आगे बढ़ने और एक सफल संगठन के रूप में उभरने के लिए मानव संसाधनों के ज्ञान और कौशल को अद्यतन करना अनिवार्य है, जिसके लिए कंपनी ने विभिन्न पहल की हैं।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के 130वाँ जयंती समारोह

दि.01.12.2021 को संपन्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के 130वाँ जयंती समारोह का उद्घाटन समारोह

कंपनी के कर्मचारियों को अन्य पेशेवरों के साथ परस्पर प्रभाव उत्पन्न करने और बेहतर क्षमता और कौशल हासिल करने के लिए दोनों आंतरिक रूप में और संस्थानों / परामर्शदाताओं के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना जारी रखती है।

वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 315 मानवदिवसों तक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष के दौरान प्रशिक्षण और विकास के लिए रु.2.0 लाख की राशि खर्च की गई।

20. अजा एवं अजजा उम्मीदवारों की प्रतिनिधित्व

दिनांक 31.03.2021 के अनुसार अजा/अजजा संवर्ग के कर्मचारियों की कुल संख्या 89 रही। (गतवर्ष 100 कर्मचारी)

21. अल्पसंख्यकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों की प्रतिनिधित्व

31.03.2021 तक कंपनी में अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारियों की कुल संख्या 28 (गतवर्ष 32 कर्मचारी) थी।

31.03.2021 तक कंपनी में दिव्यांग वर्ग के कर्मचारियों की कुल संख्या 6 (गतवर्ष 5 कर्मचारी) थी।

22. मानवीय संबंध

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी में औद्योगिक संबंधों का परिदृश्य शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण तथा स्वस्थ रहा।

23. कर्मचारी कल्याण

कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न कल्याण सुविधाओं को जारी रखती है। वर्ष के दौरान कल्याण और अन्य सुविधाओं के प्रावधान पर रु.826 लाख (2019-20 के दौरान रु.875 लाख) व्यय किया गया।

24. कार्यस्थल पर महिलाओं पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन

कार्यस्थल पर महिलाओं पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी में यौन उत्पीड़न विरोधी नीति अमल में है। यौन उत्पीड़न के

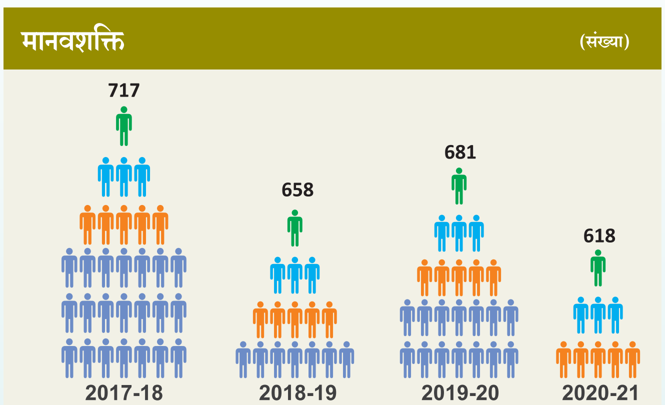

प्रति बिक्री पेशेवर औसत बिक्री (रू. लाख में)

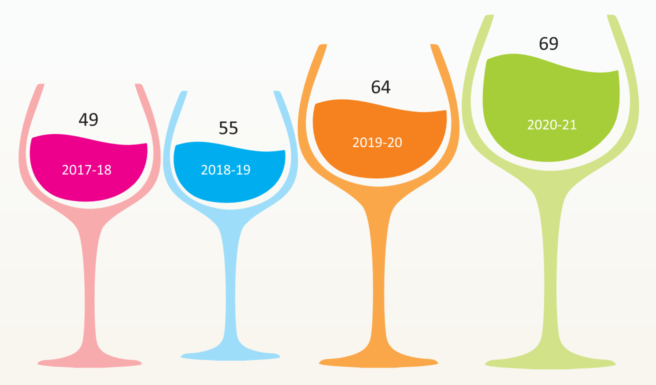

संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। उक्त नीति की परिधि में सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदात्मक, अस्थाई, प्रशिक्षु) सम्मिलित हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त यौन उत्पीड़न से संबन्धित शिकायतों तथा उनके निपटान का सारांश निम्नप्रकार है।

प्राप्त शिकायतों की संख्या : शून्य
निपटाए गए शिकायतों की संख्या : लागू नहीं

25. वार्षिक विवरण

वार्षिक विवरण का सारांश अनुबंध – क में दिया गया है। (प्रारूप सं.एमजीटी-9) 31 मार्च, 2021 को कंपनी का वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है।

https://www.kaplindia.com/wp-content/uploads/2021/09/FORM MGT7.pdf

26. बोर्ड की बैठकें

वर्ष 2020-21 के दौरान, 29.07.2020, 25.09.2020, 08.12.2020 तथा 31.03.2021 को बोर्ड की चार बैठकें बुलाई गईं।

27. निदेशकों की नियुक्ति

कंपनी के संस्था के बहिर्नियम तथा संस्था के अंतर्नियम के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी के निदेशकों की नियुक्त की अधिसूचना जारी की गई। केवल एक ही कार्यात्मक निदेशक हैं, जो प्रबंध निदेशक हैं और अन्य सभी निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशक हैं (सरकार द्वारा नामित हैं)। प्रबंध निदेशक का वेतन भारत सरकार द्वारा मौजूदा मानकों के अनुरूप निर्धारित किया जाता है।

28. जोखिम प्रबंधन नीति

कंपनी की अपनी जोखिम प्रबंधन नीति है। जोखिमों की पहचान की जाती है तथा इनके शमन हेतु योजना तैयार कर इन पर कार्रवाई की जाती है।

29. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के अनुसार कर्मचारियों का विवरण

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के अनुसार दिए जानेवाले कर्मचारियों का विवरण शून्य है ।

30. निदेशक मण्डल के उत्तरदायित्व का कथन

आपके निदेशकों से उनकी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार प्राप्त सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के आधार पर आपके निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) के संदर्भ में निम्नलिखित कथन प्रस्तुत करते हैं:

30.1 कि वर्ष का वार्षिक लेखा जोखा तैयार करने में सभी अनुमान्य लेखा मानकों के भौतिक सम्प्रेषण से संबन्धित उपयुक्त स्पष्टीकरणों सहित पूर्ण अनुपालन किया गया है।

30.2 कि ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें लगातार लागू किया गया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों और उस अवधि के लिए कंपनी का लाभ और हानि की सही और निष्पक्ष स्थिति दी जा सके।

30.3 कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की जाती है।

दि.26.01.2021 को कारखाने में संपन्न 72वाँ गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर श्री सुनिल कुमार कैमाल, प्रबंध निदेशक सभा का संबोधन करते हैं।

कारखाने में संपन्न कन्नड़ राज्योत्सव के अवसर पर दीप प्रज्वलन करते हुए डॉ. के. भुजंग शेट्टी, सीएमडी, नारायण नेत्रालय, श्री बी यू कामत, महाप्रबंधक (संयंत्र)। कपिला कन्नड़ संघ के पदाधिकारीगण भी साथ दिखते हैं।

30.4 कि 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक खातों को लाभकारी संस्था के रूप में तैयार किया गया है।

30.5 कि कंपनी ने एक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली बनाई है जिसका कंपनी को अनुपालन करना होता है तथा यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली अपने में पर्याप्त है एवं यह प्रभावकारी ढंग से कार्य कर रही है।

30.6 कि सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु एक समुचित व्यवस्था लागू की गई तथा यह व्यवस्था अपने में पर्याप्त है एवं यह प्रभावकारी ढंग से कार्य कर रही है।

31. कंपनी व्यवहार मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर/(ई) दिनांक 05.06.2013 के संदर्भ में सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धरण 164(2) के प्रावधान से छूट दिया गया है।

32. सुरक्षा

आपको यह सूचित किया जा है कि वर्ष के दौरान कंपनी में कोई प्राणघातक दुर्घटना नहीं हुई है। कंपनी सुरक्षा संचालन के सुरक्षा उपायों पर अपने ध्यान केन्द्रित रखती रही है। कर्मचारियों को सुरक्षा सुविधाएं प्रदान की गई है।

33. पर्यावरण सुरक्षा और निर्वहणीयता उपाय

पर्यावरण सुरक्षा और निर्वहणीयता हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

कारखाने में भूनिर्माण और लॉन की तैयारी और बागबानी का अनुरक्षण।

34. सावधि जमा राशियाँ

आपकी कंपनी ने सार्वजनिकों से किसी प्रकार की कोई भी सावधि जमा धनराशि स्वीकार नहीं की है तथा तुलन पत्र की तारीख तक शेष रूप में न तो मुख्य और न ही ब्याज जैसी कोई राशि तुलनपत्र में बकाया दर्शाई गई है।

35. मनोरंजन एवं प्रचार कार्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने मनोरंजन पर रु.5 लाख और विज्ञापन और प्रचार कार्यों पर रु.12 लाख खर्च किए हैं।

36. बोर्ड में परिवर्तन

36.1 बोर्ड ने निम्नलिखित नवनियुक्त निदेशकों का बोर्ड में स्वागत किया।

क्र.सं.	नाम	से प्रभावी
01	डॉ. वी राम प्रसाद मनोहर	12.03.2021
02	श्री एम एस श्रीकर, आईएएस	06.10.2020

36.2 निम्नलिखित निदेशक को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से कार्यकाल समाप्त किया जाता है :

क्र.सं.	नाम	से प्रभावी
01	श्री गंगाराम बदेरिया, आईएएस	06.10.2020
02	श्री एम एस श्रीकर, आईएएस	12.03.2021

बोर्ड हृदय से उक्त विवर्तमान निदेशकों के प्रति उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा की गई सेवाओं के लिए अपनी सराहना व्यक्त करता है।

37. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा विनिमय अर्जन एवं व्यय :

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा 3(एम) के अधीन निर्धारित अनुसार कंपनी का विवरण इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध – क में सम्मिलित किया गया है।

38. सम्बद्ध पार्टी लेनदेन

फोर्म एओसी-2 में धारा 188 की उप धारा (1) के संदर्भ में ठेकेदारों के विवरण या सम्बद्ध पार्टियों के साथ किए गए ठेकों के बारे में जानकारी शून्य है।

39. प्रमुख प्रबंधीय कार्मिक (केएमपी)

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्तियाँ की है। प्रबंध निदेशक के साथ-साथ, कंपनी सचिव और सहायक महाप्रबंधक (वित्त) की नियुक्तियाँ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के रूप में की गई हैं।

40. ऊर्जा संरक्षण उपाय

इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

बेंगलूर संयंत्र :

1) 125 नग एलईडी लैंप 2x18 वाट को एसवीपी अनुभाग में 2x18 वाट के कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप के साथ प्रतिस्थापित किया गया।

2) पावर फैक्टर को 0.92 से 0.98 तक सुधार करने के लिए अगस्त 2020 के महीने में 25 केवीएआर पॉवर फैक्टर बैंक के जले हुए स्थान पर 50 केवीएआर पॉवर फैक्टर बैंक संस्थापित किया गया।

41. वार्षिक आम बैठक

कंपनी की 38वीं वार्षिक आम बैठक दिनांक 25.09.2020 को सम्पन्न हुई।

42. राजभाषा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी एवं सफल कार्यान्वयन के लिए अत्यंत प्रयास किए गए हैं। कार्यशालाएं, निबंध लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रपत्र एवं परिपत्र, सूचनाएँ, आदि द्विभाषी बनाए गए हैं। वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को हिन्दी में भी प्रकाशित किया गया।

43. सामूहिक सामाजिक दायित्व एवं निर्वहणीय विकास :

कंपनी की व्यावसायिक रणनीतियों में सामूहिक सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एक अविभाज्य अंग है। एक जिम्मेदार सामूहिक नागरिक के रूप में, हम अपनी सभी सामाजिक एवं पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को निभाते हैं। निदेशक मंडल ने कंपनी को सीएसआर नीति को मंजूरी दे दी है। बोर्ड की सीएसआर समिति का गठन प्रबंध निदेशक, केएसआईआईडीसी की अध्यक्षता में किया गया है, तथा इसमें कर्नाटक के औषधी नियंत्रक और प्रबंध निदेशक, केएपीएल अन्य सदस्य हैं। सीएसआर के तहत शामिल की गई गतिविधियाँ अनुबंध – ख पर संलग्न हैं।

44. लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मेसर्स् योगानन्ध एंड राम एलएलपी, सनदी लेखाकार को वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के खातों के लेखा परीक्षा के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में कंपनी का सनद लेखाकार नियुक्त किया गया।

45. लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स् जे एच एंड एसोशिएट्स को वर्ष 2020-21 के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के नियमनों की लागत लेखा के संबंध में लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट उचित समय में भारत सरकार को दायर की जाएगी।

46. सचिवीय लेखापरीक्षक

कंपनी ने वर्ष 2020-21 के लिए श्री के एन नागेश राव, पेशेवर कंपनी सचिव को सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति पर उसे संलग्न किया जाएगा।

47. भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक द्वारा लेखे पर टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अधीन दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की समीक्षा सहित टिप्पणियों को उनकी प्राप्ति पर संलग्न किया जाएगा।

48. कंप्यूटरीकरण गतिविधियां

वर्ष 2020-21 के दौरान, निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की गईं :

क) गुणवत्ता नियंत्रण विश्लेषणात्मक परीक्षण डेटा भंडारण के लिए केंद्रीकृत डेटाबेससमाधान

ख) केएपीएल कारखाने से संबंधित आईआईएस मॉड्यूल के लिए कंप्यूटर सिस्टम सत्यापन

ग) केएपीएल की नई द्विभाषी वेबसाइट होस्ट किया गया

घ) वेब इंडेंटिंग मॉड्यूल का परिचय

ङ) 2 अतिरिक्त इंटरनेट लीज्ड लाइन स्थापित।

49. प्रबंधन की परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट:

समीक्षाधीन वर्ष के लिए प्रबंधन की परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट को अलग-अलग खंड में प्रस्तुत किया गया है, जो वार्षिक रिपोर्ट के अंश के रूप में अनुबंध – ग में संलग्न है।

50. सामान्य :

1. नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई सार्थक या महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया जो भविष्य में कंपनी के संचालन की स्थिति और संचालन को प्रभावित करता है।
2. लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड को किसी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई है।
3. कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आया है।
4. दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।
5. किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ एकमुश्त निपटान का कोई उदाहरण नहीं था।

51. आभार स्वीकृति

51.1 आपके निदेशक कंपनी के अभिलेखों में भारत सरकार का, विशेष रूप से भेषजज्ञ विभाग और भारत सरकार के अन्य विभागों व कर्नाटक सरकार को, विशेष रूप से औषध नियंत्रक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, कर्नाटक राज्य औषधि रसद और गोदाम सोसाइटी, कर्नाटक राज्य इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रति उनके सक्रिय समर्थन व सहयोग के लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं।

51.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षण के प्रधान निदेशक और पदेन सदस्य, मेसर्स् योगानन्ध एंड राम एलएलपी, सनदी लेखाकार, सांविधिक लेखापरीक्षक, मेसर्स् एमएन.एस. एंड को., आंतरिक लेखापरीक्षक, मेसर्स् जे एच एंड एसोशिएट्स, लागत लेखापरीक्षक, श्री के एन नागेश राव, सचिवीय लेखापरीक्षक के साथ-साथ कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल व अन्य के प्रति कंपनी के निदेशक अपना आभार व्यक्त करते हैं।

51.3 यह मण्डल मेसर्स् बैंक ऑफ बरोड़ा, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड व यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता है।

51.4 आपके निदेशकगण अपने सभी बहुमूल्य ग्राहकों तथा भारत और विदेशों के आपूर्तिकर्ताओं के प्रति उनके सहयोग व विश्वास के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम भविष्य में भी उनसे सतत सहयोग की अपेक्षा करते हैं।

51.5 आपके निदेशकगण कर्मचारियों के प्रति हर स्तर पर उनकी समर्पित कार्यनिष्ठा के लिए, जिसके बिना इतने बेहतर परिणामों को हासिल कर पाना संभव नहीं था, अपनी सराहना व्यक्त करते हैं।

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

स्थान : बेंगलूरु	**बी टी खानापुरे**	**सुनिल कुमार कैमाल**
तारीख : 26.10.2021	निदेशक	प्रबंध निदेशक

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के अनुपालन संबंधी सूचना

1. ऊर्जा संरक्षण

इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

ऊर्जा और ईंधन का खपत

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
विद्युत		
क. क्रय (यूनिटों में)	7431290	8072710
कुल राशि (रु.)	66492952	69829972
दर/यूनिट (रु.)	8.90	8.65
ख. स्व उत्पादन		
i. डीजल जेनरेटर इकाइयों के माध्यम से	148474	224457
प्रयुक्त डीजल की मात्रा लीटर में	24000	49000
डीजल लागत (रू.)	1402478	2964506
प्रतिलीटर डीजल ऑइल का यूनिट	6.19	4.58
लागत/यूनिट (रु)	9.45	13.21
ii. कोयला		
मात्रा (टनों में)	-	-
कुल राशि (रू.)	-	-
औसत दर (रू.)	-	-
iii. फर्नेस ऑयल		
मात्रा (लीटरों में)	306603	275830
कुल राशि (रू.)	8577535	9232993.97
औसत दर (रु)	27.98	33.47

उपभोग–उत्पादन मूल्य प्रति लाख

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
विद्युत:		
रुपये	1556	1450
इकाइयाँ	178	174
फर्नेस ऑयल:		
रुपये	197	189
लीटर्स	7.05	5.63

2. प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार अनुसंधान और विकास (आर एंड डी गतिविधियां)

वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने रणनीतिगत समझौता अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियों में लगे प्रमुख संस्थानों के साथ विचाराधीन है। कंपनी ने भारी मात्रा में कोई औषधि की तैयारी नहीं की है। हालांकि आपकी कंपनी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए वर्ष दर वर्ष नए नए सूत्रीकरण (फार्मूले) तैयार कर रही है।

3. उपयोग में लाया गया व अर्जित किया गया कुल विदेशी विनिमय

(रू. लाख में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
कुल विदेशी विनिमय उपयोग में लाया व अर्जित किया गया		
कच्चा माल, स्पेयर पार्ट्स और पूंजूगत वस्तुओं के आयात पर	8.00	92.00
व्यापारिक यात्रा सदस्यता, उपभोज्य भंडार, पुनार्विक्रय के लिए सामान निर्यात, बिक्री पर कमीशन, आदि के लिए विदेशी मुद्राओं में खर्च	29.00	91.00
वर्ष के दौरान लाभांश के कारण विदेशी मुद्रा में प्रेषण	-	-
कुल अर्जित विदेशी विनिमय (एफओबी मूल्य)	2814	2379

कृत एवं निदेशक मण्डल की ओर से

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 26.10.2021

बी टी खानापुरे
निदेशक

सुनिल कुमार कैमाल
प्रबंध निदेशक

1. अभिशासन की नीतिसंहिती पर कंपनी का दार्शनिक विचार :

केएपीएल का दर्शन निगमित अभिशासन पर सर्वोच्च स्तर की पारदर्शिता, प्रतिबद्धता, संचालन के सभी मुद्दों पर समानता तथा अपने पण्यधारकों के साथ सभी तरह के व्यवहारों, जिसमें कि पण्यधारक कर्मचारी सरकार और ऋणदाता आदि सम्मिलित हैं, को प्राप्त करने की शुरूआत करना है। केएपीएल निगम अभिशासन के उत्तम मानदंडों को प्राप्त करने तथा बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है।

2. निदेशक मण्डल :

क) 31 मार्च 2021 तक बोर्ड के 5 निदेशक रहे, जिनमें से एक पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक, एक अंशकालिक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्युटिकल विभाग से एक अंशकालिक गैर-कार्यकारी निदेशक और कर्नाटक सरकार से दो गैर- कार्यकारी निदेशक इस निदेशक मण्डल में शामिल हैं।

ख) वर्ष 2020-21 के दौरान 29.07.2020, 25.09.2020, 08.12.2020, तथा 31.03.2021 को बोर्ड की चार बैठकें बुलाई गईं।

ग) निदेशक मण्डल का गठन तथा सम्बद्ध सूचना :

निदेशक का नाम	संवर्ग	उपस्थिति के साथ बोर्ड की बैठकों की संख्या	विगत वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	दि. 31.3.2021 तक बाहरी निदेशकत्वों की संख्या	दि. 31.3.2022 तक बाहरी मंडल समिति में सदस्यता /अध्यक्षता की संख्या
श्री जवाइद अख़्तर, आईएएस	अध्यक्ष	4/4	हाँ	शून्य	शून्य
श्री सुनील कुमार कैमाल	प्रबंध निदेशक	4/4	हाँ	शून्य	शून्य
श्री गंगाराम बदेरिया, आईएएस	गैर-कार्यकारी निदेशक	2/2	हाँ	9	5
श्री सुमित गर्ग त्रिवेदी	गैर-कार्यकारी निदेशक	3/4	हाँ	शून्य	शून्य
श्री गंगाराम बदेरिया, आईएएस	गैर-कार्यकारी निदेशक	3/4	हाँ	शून्य	शून्य
श्री एम एस श्रीकर, आईएएस	गैर-कार्यकारी निदेशक	1/1	नहीं	9	9

गैर-कार्यकारी निदेशकों का कंपनी अथवा इसके प्रबंधन मण्डल के साथ कोई भौतिक या आर्थिक संबंध या व्यवयाय नहीं होता है। इन्हें कंपनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं होता।

घ) आचार-संहिता :

आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने मण्डल के सभी सदस्यों, वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापारिक आचार संहिता के मानदंडों को बनाये रखने तथा सांविधिक आवश्यकताओं के साथ उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु आचार संहिता बनाई है। आचार संहिता को आपकी कंपनी की वेबसाइट www.kaplindia.com में प्रदर्शित किया गया है।

3. लेखा परीक्षा समिति :

आज की तारीख तक कंपनी की प्रदत्त पूंजी रु. 13.49 करोड़ है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है।

4. प्रकटन

निदेशकों का पारिश्रमिक :

पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक को उनके सेवाकाल के दौरान देय पारिश्रमिक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020=21 के लिए प्रबंध निदेशक को प्रदत्त पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार है :

(रू. लाख में)

निदेशक का नाम	वेतन	लाभ	भ. नि. अंशदान	अन्य लाभ	कुलयोग
श्री सुनील कुमार कैमाल	35.31	-	2.93	1.76	40.00

लेखा परीक्षा समिति की बैठकों तथा सीएसआर बैठकों के लिए बैठक शुल्क को छोड़कर अंशकालिक निदेशकों को बैठकों में भाग लेने के लिए किसी प्रकार का पारिश्रमिक/कमीशन देय नहीं होता है, जो निम्नलिखित अनुसार है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	बोर्ड की बैठक हेतु दिया गया बैठक शुल्क (रू.)	लेखा परीक्षा समिति की बैठक हेतु दिया गया बैठक शुल्क (रू.)	सीएसआर समिति की बैठक हेतु दिया गया बैठक शुल्क (रू.)
01	श्री जवाइद अख़्तर, आईएएस	रु. 4000/-	शून्य	शून्य
02	श्री गंगाराम बदेरिया, आईएएस	रु. 1000/-	रु.1000/-	-
03	श्री एम एस श्रीकर, आईएएस	रु. 1000/-	-	-
04	श्री सुमित गर्ग	रु. 3000/-	शून्य	शून्य
05	श्री बी टी खानापुरे	रु. 3000/-	रु. 1000/-	-

कम्पनी में भारत सरकार/केएसआईआईडीसी के नामित सदस्य के रूप में अंशकालिक निदेशक शेयरों का धारण करते हैं।

5. वार्षिक आम बैठकें

क. निम्नलिखित अनुसार पिछली तीन वार्षिक आम बैठकें सम्पन्न हुईं :

वित्तीय वर्ष	तारीख	समय	स्थान
2019-20	25.09.2020	1230 बजे	निगमित कार्यालय, बेंगलूरु
2018-19	11.11.2019	1230 बजे	निगमित कार्यालय, बेंगलूरु
2017-18	17.09.2018	1630 बजे	निगमित कार्यालय, बेंगलूरु

इन पिछली वार्षिक आम बैठकों में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किए गए। पिछले वर्ष डाक बैलेट के ज़रिए कोई प्रस्ताव नहीं आया और न ही इस वर्ष भी किसी डाक बैलेट प्रतीक्षित है।

6. संचार का माध्यम :

क) वार्षिक वित्तीय परिणामों को कंपनी की Website : www.kaplindia.com प्रदर्शित किया जाता है।

ख) **संयंत्र स्थल :**
प्लॉट नं.14, दूसरा फेस, पीण्या औद्योगिक क्षेत्र, बेंगलूरु – 560 058

ग) **पत्राचार का पता :**
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता है :

आरका दि बिज़नस सेंटर,
प्लॉट नं. 37, साइट नं. 34/4, एनटीटीएफ़ मेन रोड,
पीण्या औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा फेस
बेंगलूरु – 560 058

शेयरधारक उपर्युक्त पते पर पत्राचार कर सकते हैं।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

बी टी खानापुरे
निदेशक

सुनिल कुमार कैमाल
प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 26.10.2021

कर्नाटक एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बेंगलूर

वर्ष 2020–21 के लिए सीएसआर गतिविधि

क्रम. सं.	पहचान की गई सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य ओर जिले को निर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएँ या कार्यक्रम किए गए थे	परियोजना या कार्यक्रमवार राशी परिव्यय (बजट)	परियोजनाओं या कार्यक्रमों के खर्च की गई राशिः उप शीर्ष (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवरहेड्स	समीक्षादिन अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशिः प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पीएम केयर्स फंड	महामारी	सम्पूर्ण देश में	–	45,00,000.00	–	प्रत्यक्ष
2	महिलाओं के लिए प्रजनन स्वास्थ्य जांच शिविर (सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग) भारतीय परिवार नियोजन संघ	स्वास्थ्य	कर्नाटक	–	4,96,500.00	–	एनजीओ द्वारा –
3	एनीमिया चले जाओ – किशोरों और महिलाओं के लिए एनीमिया का उन्मूलन भारतीय परिवार नियोजन संघ	स्वास्थ्य	कर्नाटक	–	3,34,500.00	–	एनजीओ द्वारा –
				कुल	53,31,000.00		

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 26.10.2021

बी टी खानापुरे
निदेशक

सुनिल कुमार कैमाल
प्रबंध निदेशक

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण – एक अवलोकन

फार्मास्युटिकल उद्योग

भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग परिमाण के मामले में विश्व में तीसरा बड़ा और मूल्य के मामले में दसवां बड़ा है।

उद्योग का कुल आकार (औषधियों और चिकित्सा उपकरणों सहित) लगभग 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर (रु.3,01,000 करोड़) है और वर्तमान में दवा क्षेत्र में इसकी वृद्धि दर 7-8% और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में 15-16% है। कुल निर्यात (औषधियाँ और चिकित्सा उपकरण) 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर (रु.1,47,420 करोड़) के हैं, जिनमें से औषधियों कुल निर्यात का लगभग 90% है। आयात राशि लगभग रु.72,800 करोड़ है, जिसमें से चिकित्सा उपकरण 52% के आसपास बनता है।

भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है (भारत दुनिया में कम लागत वाले टीकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है)। कम कीमत और उच्च गुणवत्ता के कारण, भारतीय औषधियाँ दुनिया भर में पसंद की जाती हैं, इस तरह से देश का नामकरण ''दुनिया का दवाखाना'' हुआ है। वर्तमान में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1.72% योगदान देता है।

कंपनी :

कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) को विभिन्न सरकारी अस्पतालों और अन्य संस्थानों में जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध कराने के मूल उद्देश्य के साथ निगमित किया गया था।

कंपनी के पास ड्राई पाउडर इंजेक्टेबल्स, लिक्विड इंजेक्टेबल्स, टैबलेट्स, कैप्सूल, ड्राई सिरप और सस्पेंशन के लिए विनिर्माण सुविधाएं हैं। खंडवार प्रदर्शन का विवरण बोर्ड की रिपोर्ट का अंश होता है।

स्वॉट विश्लेषण

कंपनी की वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत है और कंपनी अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए अपने स्वयं के आंतरिक रूप से उत्पन्न निधि का उपयोग कर रही है। कंपनी ने हमेशा 'निरंतर सुधार' और विकास पथ की अवधारणा में विश्वास किया और समय-समय पर नवीनतम बेहतर विनिर्माण मानकों को पूरा करने के लिए अपनी विभिन्न विनिर्माण सुविधाओं और प्रणालियों को उन्नत किया और वर्तमान तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखा। सभी फार्मा उपक्रमों में से केवल केएपीएल को ही अपनी स्थापना से लेकर डब्ल्यूएचओ जीएमपी अनुमोदन का गौरव प्राप्त है।

कंपनी की सुविधाएं विभिन्न देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों तथा पीआईसी मलेशिया द्वारा अनुमोदित हैं। केएपीएल के उत्पाद 25 से अधिक देशों में पंजीकृत हैं और वर्तमान में यह 16 विभिन्न देशों को निर्यात किया जाता है।

कंपनी को निम्नलिखित उत्पाद रेंज को कवर करने वाले उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला मिली है:

एंटीबायोटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डायबिटिक, हैमैटिनिक्स, एंटी माइग्रेन, एनएसएआईडीएस, सामान्य दवाएं, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, पशु स्वास्थ्य उत्पाद, कृषि रासायनिक उत्पाद और आयुर्वेदिक।

जोखिम और चिंताएं

कंपनी को मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सरकार द्वारा अनिवार्य मूल्य नियंत्रण, विनियामक परिवर्तन और गहन प्रतिस्पर्धा आदि शामिल हैं।

दृष्टिकोण

प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता में वृद्धि, चिरकालिक बीमारियों की अधिक घटनाओं और धीरे-धीरे व्यापक बीमा कवरेज से भारत के फार्मास्युटिकल बाज़ार में वृद्धि होने की उम्मीद है।

कंपनी आयुर्वेदिक उत्पादों सहित उत्पाद पोर्टफोलियो के निर्माण और विस्तार के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी अपने अतिरिक्त उत्पादों को लगातार पंजीकृत कर रही है, जहां यह पहले से ही निर्यात कर रहा है और भविष्य के व्यावसायिक उत्पादन के लिए नए देशों में भी पंजीकरण की संभावना तलाश रही है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता:

कंपनी का मानना है कि आंतरिक नियंत्रण शासन की एक आवश्यक पूर्वापेक्षा है और एक अच्छी तरह से स्थापित आंतरिक नियंत्रण ढांचा है, जिसे वित्तीय और परिचालन नियंत्रणों की पर्याप्तता, प्रभावशीलता और दक्षता का लगातार आकलन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

परिचालन प्रदर्शन के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा

पिछले तीन वर्षों के प्रदर्शन के तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं:

(रु. लाखों में)

विवरण	उत्पादन मूल्य	विक्री टर्नओवर	कर पूर्व लाभ	कर के उपरांत लाभ
2018-19	38863	36036	2523	1582
2019-20	48957	43215	3151	2299
2020-21	43464	42616	3074	2318

मानव संसाधन, औद्योगिक संबंधों के मोर्चे पर महत्वपूर्ण विकास, जिसमें कार्यरत लोगों की संख्या भी शामिल है।

कंपनी कौशल और दक्षताओं के उन्नयन के लिए समय-समय पर कर्मचारियों को अपेक्षित प्रशिक्षण आयोजित करती है। कंपनी अपने कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध रखती है और अपनी स्थापना के समय से लेकर कर्मचारी अशांति या हड़ताल के कारण एक भी मानवघंटा नष्ट नहीं हुआ। 31.03.2021 के अनुसार श्रमशक्ति की कुल संख्या 618 है।

पर्यावरण संरक्षण

एक पर्यावरण संरक्षण उपाय के रूप में, कंपनी अपने निगमित कार्यालय और उसके आसपास वृक्षारोपण करती है और कारखाने में खुले क्षेत्र में उद्यान का अनुरक्षण करती है। ई-कचरे के उत्पादन को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर आयोजित किए जाते हैं।

तकनीकी संरक्षण, अक्षय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी से संबंधित विवरण, निदेशक की रिपोर्ट का एक अंश है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

बी टी खानापुरे
निदेशक

सुनिल कुमार कैमाल
प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 26.10.2021

2020-21 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षकों की योग्यता

पैरा सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
8.1	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत कंपनी ने अपने बोर्ड में किसी भी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की है।	कंपनी के ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियम के प्रावधानों के अनुसार, निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत सरकार के पास है। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार दो स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान करने के लिए कंपनी द्वारा अपने अंतर्नियम में संशोधन करने की कार्रवाई की गई थी। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था।
8.2	स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, कंपनी लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और सीएसआर समिति के वैध रूप से गठन, आयोजन और बैठकों का संचालन नहीं कर सकी।	भारत सरकार द्वारा नियुक्त निदेशकों में से तीन सदस्यों को शामिल करके लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और सीएसआर समिति का गठन किया गया है। समितियों का गठन करते हुए, बोर्ड को यह सूचित किया गया था कि सरकार द्वारा बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।
8.3	कंपनी नियुक्ति और निदेशकों की योग्यता नियम, 2014 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के अनुसरण में, कंपनी ने अपने बोर्ड में महिला निदेशक के रिक्त पद को नहीं भरा।	लेखापरीक्षा अवलोकन पर ध्यान दिया गया है। महिला निदेशक की नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 29.12.2021

बी टी खानापुरे
निदेशक

सुनिल कुमार कैमाल
प्रबंध निदेशक

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बेंगलूरु
के सदस्यों को

कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बेंगलूरु के एकल इंड एएस वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट:

राय :

हमने कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (कंपनी) के एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों, जिसमेंदिनांक 31 मार्च 2021को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए (अन्य व्यापक आय सहित) लाभ व हानि की विवरणी, इक्विटी में परिवर्तन के विवरण, नकद प्रवाह विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ सम्मिलित हैं, की लेखापरीक्षा की है।

नीचे दिए गए अन्य मामलों से संबंधित पैराग्राफ में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों के अधीन, हमारी राय में व हमारी पूर्ण जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर उपर्युक्त एकल इंड एएस वित्तीय विवरण यथा अपेक्षित रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा वादित जानकारी देता है और 31 मार्च,2021तक के कंपनी के कार्य मामलों तथा उक्त तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए उनके लाभ, इक्विटी में परिवर्तन व उसके नकद प्रवाह का भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही व उचित विचार देता है।

राय के लिए आधार:

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है।उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ खंड में आगे वर्णित किया गया है।हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए आचार संहिता तथाकंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं तत्संबंध में बनाए गएप्रासंगिक नियमों के अधीन स्वतंत्रता की आवश्यकताएं जो भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी लेखा परीक्षा के राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए अभिशासन के साथ प्रभारित और उन पर प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, की धारा 134 (5) (अधिनियम) में वर्णित मामलों में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इन एकल इंड एएस वित्तीय विवरणी, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित कंपनी की वित्तीय स्थितिऔर वित्तीय कार्यनिष्पादन निष्पक्ष स्थिति प्रकट करती है, को तैयार करने के संबंध में उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा करने और जालसाजियों और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने और उसका पता लगाने, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और प्रयोग करने, ऐसे निर्णय और अनुमान करने जो उचित और विवेकपूर्ण हों, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने जो लेखांकन अभिलेखों की सत्यता और पूर्णता सूचिश्चित करने के लिए प्रभावी तरीके से कार्य कर रहे थे, सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करनेवाले तथा तथ्यात्मक गलतबयानी, चाहे छल-कपट या त्रुटि से मुक्त वित्तीय विवरणी को तैयार और प्रस्तुत करने से संबन्धित हों, के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षण भी शामिल हैं।

वित्तीय विवरणी को तैयार करने में,एक लाभकारी संगठन के रूप में प्रकटीकरण, यथा लागू, संबन्धित विषयों से संबन्धित मामलों और लेखांकन के लाभकारी संगठन के आधार पर जारी रहने हेतु कंपनी दक्षता का आकलन करने के लिए निदेशक मण्डल जिम्मेदार है जब तक किनिदेशक मण्डल या तो कंपनी के कार्य को समाप्त या इसके संचालन को बंद नहीं किया जाता है, या ऐसा करने के लिए इसके अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल भी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां :

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण समग्र रूप से महत्वपूर्ण दुरुपयोग से मुक्त हैं,चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है।उचित आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन हैलेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार आयोजित एक लेखा परीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा।गलतियाँ,जो धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि अगर, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर की गई हो,उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर

लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा के अंश के रूप में,हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। आगे हम :

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानकर उनका आकलन करने,चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो,उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करने,और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं,जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो।धोखाधड़ी से उत्पन्न होने वाली महत्वपूर्ण नुकसान का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक होते हैं, जिसमें धोखाधड़ी के रूप में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का अधिभावन शामिल हो।

- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने हेतु लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं,जो परिस्थितियों में उचित हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) (ळ) के तहतहम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता है।

- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं।

- लेखांकन के लाभकारी संगठन के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालने के लिए भी जिम्मेदार हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या सामाग्री अनिश्चितता घटनाओं या शर्तों से संबंधित है जो कि एक लाभकारी संगठन के रूप में जारी रखने की इकाई की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकता है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा, या यदि इस तरह के प्रकट राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त है। हमारे निष्कर्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं, हालांकि, भविष्य की घटनाएँ या स्थितियाँ इसे एक लाभकारी संगठन के रूप में जारी रहने पर रोक लगा सकती है।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करके क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं, इसका भी मूल्यांकन किया जाता है।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम एक कथन के साथ अभिशासन के उन आरोपों को भी प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है,और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ सूचित करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित रूप से, जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय सोचा जा सकता है।

अभिशासन के साथ प्रभारित के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं।हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकते नहीं हैं या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में,हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य मामला

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों का पिछले लेखा परीक्षक द्वारा अंकेक्षित किया गया था, जिन्होंने 29 जुलाई, 2020 को उन कथन पर एक असंशोधित राय व्यक्त की थी।

इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) द्वारा यथा अपेक्षित, हम ''अनुबंध –क'' में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार कंपनी के बही खातों और अभिलेखों की ऐसी जाँच के आधार पर जैसा कि हम उचित समझते हैं, हम एक विवरण संलग्न करते हैं तथा हमें दी गयी

जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम अनुबंध ख के रूप में हमारी अलग रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जो कंपनी के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों तथा अतिरिक्त निर्देशों में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण होते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथाअपेक्षित, हम प्रतिवेदन देते हैं कि :

   i. हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए, जो आवश्यक था, वह सारी जानकारी और स्पष्टीकरण हमने अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास में मांगा व प्राप्त किया।

   ii. हमारी राय में, कंपनी के कानून द्वारा यथाअपेक्षित उचित लेखा पुस्तिका रखा गया है जैसा कि उन पुस्तिकाओं की हमारी जांच से प्रतीत होता तथा उचित विवरण जो हमारी लेखापरीक्षा उद्देश्य के लिए पर्याप्त है।

   iii. इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहार में लाए गए तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरणी, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकद प्रवाह विवरण, उक्त उद्देश्य के लिए बनाए गए खाते की प्रासंगिक पुस्तकों के अनुरूप हैं।

   iv. हमारी राय में, उपरोक्त इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठनीय अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का अनुपालन करते हैं।

   v. एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कॉरपोरेट व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता से संबन्धित अधिनियम की धारा 133 कंपनी के लिए लागू नहीं होता।

   vi. एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कॉरपोरेट व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होता।

   vii. कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया अनुबंध-ग में हमारी अलग रिपोर्ट का संदर्भ लें।

   viii. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

      I. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमे के प्रभाव का खुलासा किया है। - वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.32 का संदर्भ लें;

      ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंध सहित कोई दीर्घावधि अनुबंध नहीं थे, जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वाभास नुकसान है।

      iii. कंपनी में, कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

कृते **योगानन्ध एंड राम एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन:005157एस/एस200052

टी चन्द्र प्रकाश जैन
भागीदार
सदस्यता सं.229381

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 26 अक्तूबर 2021
UDIN: 21229381AAAAV7146

अनुबंध क – कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की समदिनांक रिपोर्ट के संबंध में

(31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी समदिनांक रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

(आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर हमारी प्रतिवेदन के पैराग्राफ 1 में संदर्भित) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा (11) के संदर्भ में, यथा लागू सीमा तक, भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण

(ख) (क) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (कम्पनी) ने सभी स्थायी परिसम्पत्तियों के लिए समुचित अभिलेखों का अनुरक्षण, परिणात्मक विवरण तथा उसकी स्थिति को दर्शाते हुए किया है।

(ख) कंपनी के पास तीन वर्ष की अवधि में सभी मदों को चरणबद्ध तरीके से शामिल करने के लिए अचल परिसंपत्तियों के सत्यापन का एक कार्यक्रम है। हमारी राय में कंपनी का आकार और परिसंपत्तियों की दृष्टि से उचित है। उक्त कार्यक्रम के अनुसरण में, कुछ अचल परिसंपत्तियों को वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसी भौतिक सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं दिखाई गईं।

(ग) नीचे उल्लिखित को छोड़कर, अचल परिसंपत्तियों के स्वत्व विलेख को कंपनी के नाम पर रखा जाता है :-

क्रम सं.	संपत्ति का विवरण	सकल ब्लॉक (अनुदान का निवल) राशि लाख रुपए में	अभ्युक्तियाँ
1.	कदबगेरे भूमि	1.23	पंजीकरण लंबित है। वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 47 में विवरण हैं।
2.	धारवाड़ संयंत्र	331.90	पंजीकरण लंबित है। वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 47 में विवरण हैं।

(ii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा वर्ष में एक बार मालसूची को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है और कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं देखी गई। हालांकि, कंपनी के पक्ष पर विचार करते हुए शाखाओं में तैयार माल के सत्यापन की आवृत्ति उचित या पर्याप्त नहीं है।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 189 के तहत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारियों या अन्य पार्टियों को कोई भी ऋण नहीं दिया है।

(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के तहत उल्लिखित व्यक्तियों को कोई ऋण, गारंटी और प्रतिभू नहीं दिया है या कोई निवेश नहीं किया है।

(v) कंपनी ने सार्वजनिक से किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है; अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 तक के प्रावधान या किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता।

(vi) केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 148(1) के अधीन लागत अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु नियमों को निर्धारित किया है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की(1) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुरूप लागत अभिलेखों का अनुरक्षण किया है।

(vii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार सांविधिक देय राशि के संबंध में कंपनी नियमित रूप से भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर और अन्य सांविधिक बकाए सहित निर्विवाद सांविधिक देय राशि को तत्संबंधी प्राधिकार को जमा कर रही है। 31 मार्च 2021 पर उनके अदा करने की तारीख से छे महीनों के अंतर्गत आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर और अन्य सांविधिक बकाए सहित निर्विवाद सांविधिक देय राशि देय नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखितों को छोड़कर, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर के बकाए सहित निर्विवाद सांविधिक देय राशि देय नहीं है :

संविधि/प्राधिकार का नाम	बकाए की प्रकृति	अवधि	मंच जहां विवाद लंबित है	राशि लाख रुपए में
वैट अधिनियम – बिहार	खाद्य पूरक पर बिक्री कर, गेज और बैंडेज की बिक्री	वि.वर्ष 1999-2000	जेसीसीटी, पटना	7.33
सीएसटी अधिनियम – बिहार	खाद्य पूरक पर बिक्री कर, गेज और बैंडेज की बिक्री	वि.वर्ष 1999-2000	जेसीसीटी, पटना	0.19
वैट अधिनियम – बिहार	खाद्य पूरक पर बिक्री कर, गेज और बैंडेज की बिक्री	वि.वर्ष 2000-2001	जेसीसीटी, पटना	7.14
सीएसटी अधिनियम – बिहार गेज और बैंडेज की बिक्री	खाद्य पूरक पर बिक्री कर, वि.वर्ष 2000-2001	जेसीसीटी, पटना	3.73	

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार किसी वित्तीय संस्थाओं या बैंकों या सरकार या डिबेंचरधारियों को देय ऋण या उधार की अदायगी में कंपनी द्वारा कोई चूक नहीं हुई।

(ix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के दौरान कोई प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर या आगे के सार्वजनिक ऑफर (ऋण लेख पत्र सहित) के माध्यम से कंपनी ने कोई धन जुटाया नहीं। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक की प्रतिवेदन) आदेश, 2016 के पैराग्राफ 3 के खंड (ix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(x) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा की प्रक्रियाओं के दौरान, कंपनी पर या कंपनी द्वारा कोई धोखाधडी नहीं की गई है।

(xi) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना सं.जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होता।

(xii) हमारी राय में, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। अतः, कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के पैरा 3 के खंड (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है, जहां लागू हो, संबंधित पक्षकारों के साथ सभी लेनदेन के लिए और संबंधित पक्षकार लेनदेन के विवरण को वित्तीय विवरणों में लागू लेखांकन मानकों द्वारा यथाआवश्यक प्रकट किया गया है।

(xiv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी स्थानन नहीं किया है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है।

(xvi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

कृते **योगानन्ध एंड राम एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन:005157एस/एस200052

टी चन्द्र प्रकाश जैन
भागीदार
सदस्यता सं.229381

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 26 अक्तूबर 2021
UDIN: 21229381AAAAV7146

कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की समदिनांक रिपोर्ट के संबंध में अनुबंध 'ख'

(31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी समदिनांक रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप धारा 5 के तहत आवश्यक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के निर्देश पर कथन

क्रम सं.	निर्देश	हमारा उत्तर
I.	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है?यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाए।	हां, कंपनी के पास लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए आईटी प्रणाली उपलब्ध हैं। हालांकि, प्रेषित माल की बिक्री के लिए लेखांकन को मजबूत किया जाएगा।
II.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋणों की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को उधार/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं?यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जा जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (ऋणदाता एक सरकारी कंपनी होने के मामले में, यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है).	हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार,कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो किसी ऋण का पुनर्गठन किया है और न ही उधार/ऋण/ब्याज आदि को माफकिया है /बट्टे खाते में डाला है।
III.	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य योग्य निधियों (अनुदान/अनुवृत्ति आदि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था?विचलन के मामलों की सूची दें।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार,प्राप्त अनुदान का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब/उपयोग किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप धारा 5 के तहत आवश्यक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अतिरिक्त निर्देश पर कथन

क्रम सं.	अतिरिक्त निर्देश	हमारा उत्तर
I.	क्या कंपनी ने सरकारी निकायों और संस्थानों सहित सभी प्राप्यव्यापार की मांग की है और पुष्टि प्राप्त की है? यदि नहीं, तो राशि जिसके लिए पुष्टि की मांग नहीं की गई थी और राशि जिसके लिए पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, इन बकाया राशि के आयु-वार-विवरण के साथ अलग से इंगित की जाए।	नहीं, कंपनी ने सभी प्राप्यव्यापार की पुष्टि नहीं मांगी है। राशियों का विवरण जिसके लिए (राशि लाखों में)

उम्र बढ़नेका विवरण	पुष्टि की मांग नहींकी गई थी	पुष्टि मांगी गई है, लेकिन प्राप्त नहीं हुई है
180 दिनों से कम	183.08	5,073.88
180 दिनों से 365 दिनोंतक	190.57	928.22
365 दिनों से 730 दिनोंतक	51.29	951.19
730 दिनों से अधिक	67.45	628.39
कुल	492.41	7,581.68

क्रम सं.	अतिरिक्त निर्देश	हमारा उत्तर
II.	क्या कंपनी ने सभी देय व्यापार की पुष्टि की मांग की है?क्या कंपनी द्वारा रिपोर्ट की जा रही राशि और लेनदारों द्वारा सूचित राशि के बीच कोई प्रमुख अंतर है?क्या इन सभी अंतर को सुलझा लिया गया था?यदि नहीं, तो प्रमुख अंतर वाले मामलों का विवरणदें।	हां, कंपनी ने सभी देय व्यापार की पुष्टि की मांग की है। हां, कंपनी द्वारा रिपोर्ट की जा रही राशि और लेनदारों द्वारा सूचित राशि के बीच कोई प्रमुख अंतर नहीं है।

कृते **योगानन्ध एंड राम एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन:005157एस/एस200052

टी चन्द्र प्रकाश जैन
भागीदार
सदस्यता सं.229381

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 26 अक्तूबर 2021
UDIN: 21229381AAAAV7146

अनुबंध ग – कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की समदिनांक रिपोर्ट के संबंध में

(31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी समदिनांक रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के तहत पैराग्राफ 3(f) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2021 के अनुसार कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (''कंपनी'') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-जोखा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल इंड-एएस वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के साथ किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं अनुरक्षण के लिए जवाबदेह है। इस जवाबदेही में, कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षित अनुसार पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण, जोकि कंपनी की नीतियों, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधडी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाना एवं रोकथाम, लेखा अभिलेखों की यथार्थता और पर्याप्तता, विश्वसनीय वित्तीय विवरणों की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय को विवेकपूर्ण एवं सशक्त रूप में संचालन सुनिश्चित करना भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी राय व्यक्त करनी है। हमने अपनी लेखा परीक्षा को आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी (दिशानिर्देश टिप्पणी) तथा लेखापरीक्षा के मानकों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होने के अनुसार किया है। उन मानकों और दिशानिर्देश टिप्पणियों की यह अपेक्षा होती है कि हम नीतिगत आवश्यकताओं का पालन करें और योजना बनाएँ तथा उचित आश्वासन / विश्वास प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें चाहे वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित हों तथा ऐसे नियंत्रण सभी यथार्थ मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हो ।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभाविकता प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, मौजूदा भौतिक कमजोरियों की जोखिम का आकलन करना, आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन एवं परिचालन प्रभाविकता को मूल्यांकित करना शामिल है। एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के यथार्थ गलत अनुमान की जोखिम, चाहे वह धोखा या त्रुटि से हो, का आकलन करने सहित चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखा परीक्षा राय के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त एवं उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं कि –

(1) समुचित विवरणों के साथ सही अभिलेखों के अनुरक्षण को कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन तथा स्वभाव को यथार्थतः एवं प्रतिबिंबित करने के संबंध में प्रदान करता है;

(2) आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिएआवश्यक लेनदेन अभिलेखित किए जाने और प्रबंधन एवं कंपनी के निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार कंपनी की प्राप्ति एवं व्यय तैयार किए जाने का समुचित आश्वासन प्रदान करता है; और

(3) वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डालनेवाले कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण के रोकथाम या समय पर पता लगाना, उपयोग, या स्वभाव के संबंध में समुचित आश्वासन प्रदान करता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की कपटसंधि या अनुचित प्रबंधन प्रत्यादिष्टी सहित त्रुटि या धोखाधडी की वजह से भौतिक गलत बयान हो सकते हैं और पता लगाया नहीं जाता। इसके अलावा, भावी समय के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन के अनुमान उस जोखिम पर निर्भर होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन, या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन बिगड जाने के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है।

राय

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा पर समदिनांकित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अन्य मामलों से संबन्धित पैराओं में वर्णित मामलों के संभाव्य प्रभाव पर निर्भर करते हुए, कंपनी ने सभी यथार्थ मामलों में परिचालनीय पर्याप्त वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा मार्च 31, 2021 के अनुसार प्रभावी रूप से परिचालनीय वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपनाया है, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी के अधीन निर्धारित अनुसार उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है।

कृते **योगानन्ध एंड राम एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन:005157एस/एस200052

टी चन्द्र प्रकाश जैन
भागीदार
सदस्यता सं.229381

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 26 अक्तूबर 2021
UDIN: 21229381AAAAV7146

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1)
तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक)
नियमावली, 2014 के नियम सं.9 के अनुसार

कर्नाटक एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के सदस्यों को,

1. मैंने कर्नाटक एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, जिसका सीआईएन : U24231KA1981GOI004145 है, (इसके बाद कंपनी वर्णित होगा) द्वारा अनुपालन हेतु अन्वयन के सांविधिक प्रावधानों तथा सुशासन के प्रचलनों के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। उक्त सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार से की गई है कि यह मुझे निगम आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन हेतु पर्याप्त आधार प्रदान करवाता है तथा मुझे इन विषयों पर अपनी राय प्रकट करने का आधार प्रदान करवाता है।

2. कंपनी द्वारा अनुरक्षित कंपनी के खातों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रारूपों तथा प्रस्तुत विवरणियों एवं अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर तथा सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं तथा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मुझे दी गई जानकारियों के आधार पर तथा संलग्नक के रूप में इसके साथ लगे अलग पत्र स्वरूप हम निमनपरकर से रिपोर्ट करता हूँ कि मेरी राय में, कंपनी के पास, दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा के दौरान सूचीबद्ध प्रावधानों के साथ तथा यह मानते हुए की कंपनी की अपनी एक प्रचलित समुचित बोर्ड-प्रक्रिया एवं नियम अनुपालन व्यवस्था है।

3. मैंने 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित खातों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रारूपों तथा दायर विवरणियों एवं अन्य अभिलेखों की लेखापरीक्षा निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसरण में की है :-

   क) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली ;

   ख) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) तथा उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली ;

   ग) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम ;

   घ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्य ऋण के विस्तार के अंतर्गत विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम;

   ङ) औषधि और कान्तिवर्धक अधिनियम, 1940 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम;

   च) औषधि और जादुई उपचार (विवादास्पद विज्ञापन) अधिनियम, 1954 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम;

   छ) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995;

   ज) भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957;

   झ) पेटेंट अधिनियम, 1970;

   ञ) ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999

   ट) निदेशकों की नियुक्ति एवं संरचना से संबन्धित सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन, 2010 पर मार्गदर्शन।

4. मैंने मंडल के निदेशकों की बैठकों तथा आम बैठकों पर भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी एसएस–1 तथा एसएस–2 नामक सचिवालय मानकों के अन्वयक खंडों के अनुपालन की जांच की है।

5. मैंने कंपनी पर लागू होनेवाले वित्तीय कानून, जैसे प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर के अनुपालन की परीक्षा नहीं की है, क्योंकि यह सांविधिक वित्तीय लेखा परीक्षकों एवं अन्य संबन्धित पदाधिकारियों की समीक्षा के विषय हैं।

6. समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने उक्त उद्धृत अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देशों के सभी प्रावधानों आदि का निम्नलिखित पैरा 8 में दी गई शर्तों के अनुपालन में किया है।

7. पैरा 8 में उल्लिखित अर्हताओं के संदर्भ में मैं निम्नानुसार रिपोर्ट करता हूँ : –

7.1 कि –

(अ) वर्ष के दौरान मंडल एवं समिति की बैठकों हेतु समुचित अग्रिम सूचनाएँ निदेशकों को जारी की गई थीं ; ऐसी सूचनाओं के साथ कार्यसूची मदों तथा संबन्धित बैठकों के कार्यवृत्तों के मसौदे आदि भी उन्हें भेजे गए थे; कंपनी निदेशकों के लिए बैठकों से पूर्व बैठक की कार्यसूची मदों की जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए तथा बैठकों उनके सार्थक प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु एक व्यवस्था अपनाती है। बैठकों में सदस्यों की असहमतियों, यदि कोई हो, को ग्रहण किया जाता है तथा उन्हें कार्यवृत्त के अंश के रूप में रिकार्ड करते हुए कंपनी के अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं।

(आ) कंपनी ने सदस्यों तथा निदेशकों की बैठकों के संचालन एवं आयोजन में समुचित बोर्ड प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है; कंपनी ने सदस्यों की बैठकों की कार्यवाही, बोर्ड एवं समिति के निदेशकों की बैठकों की सारा, ई–वोटिंग के द्वारा पारित प्रस्तावों, यदि कोई हो, को अभिलेखित करने हेतु समुचित कार्यवृत्त रखे हैं, इसका पूरा विवरण आम बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाता है।

(इ) मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी रखने और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के साथ कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

7.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन को अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया जाता है।

7.3 निम्नप्रकार की कोई घटना नहीं घटी है :

(i) शेयरों या डिबेंचरों या स्वेट इक्विटी के सार्वजनिक और अधिमान्य निर्गम ;

(ii) प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद मोचन ;

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 के अनुसरण में सदस्यों द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय ;

(iv) विलेयन, समामेलन, पुनर्निर्माण, आदि ;

(v) विदेशी तकनीकी सहयोग ।

8. अर्हताएँ :

8.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अधीन अपेक्षित अनुसार कंपनी ने अपने बोर्ड में किसी भी स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त नहीं किया है।

8.2 स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, कंपनी वैध रूप से लेखा परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा सीएसआर समिति की बैठकों का आयोजन और संचालन नहीं कर सकती थी।

8.3 कंपनी निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता नियमावली, 2014 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (1) के अनुपालन में, कंपनी ने रिक्त महिला निदेशक के पद को अपने बोर्ड में नहीं भरा है।

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 30 सितंबर, 2021
यूडीआईएन नं. F003000C001046350
सहकर्मी समीक्षा विशिष्ट आईडी नं. 12014KR1122000

के एन नागेश राव
व्यवसायी कंपनी सचिव
एफ़सीएस 3000 सीपी 12861

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट का संलग्नक

इस पत्र के साथ समदिनांक सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट को पढ़ा जाना है।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव और कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है कि इन सचिवीय अभिलेखों पर और मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर अनुपालन पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. मैंने सचिवीय अभिलेखों की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। मेरा मानना है कि मैंने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे मेरी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. मैंने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और बहीखातों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. जहां भी आवश्यक हो, मैंने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन के साथ-साथ घटनाओं पर प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन नहीं है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के व्यवहार का संचालन किया है।

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 30 सितंबर, 2021
यूडीआईएन नं. F003000C001046350
सहकर्मी समीक्षा विशिष्ट आईडी नं. 12014KR1122000

के एन नागेश राव
व्यवसायी कंपनी सचिव
एफ़सीएस 3000 सीपी 12861

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षक स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं/हैं। यह उनके द्वारा 26 अक्तूबर 2021 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखापरीक्षा किया है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजातों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्रमुख रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहता हूं जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं ।

क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

(1) परिसंपत्तियाँ:

(i) गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (टिप्पणी -2)
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि: ₹ 354.93 लाख

धारवाड़ में केएपीएल द्वारा खरीदी गई भूमि के विवरण के संबंध में टिप्पणी 47ख का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसमें यह बताया गया था कि कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (केएसएफसी) से कंपनी केएपीएल द्वारा 6 एकड़ 14 गुंटा भूमि (खारब म'ए' भूमि 7 गुंटा सहित) खरीदी गई थी। भूमि और भवनों के लिए खरीद प्रतिफल के रूप में वर्ष 2016-17 में केएसएफसी को ₹ 517.37 लाख की समग्र राशि का भुगतान किया गया था। प्रमाणित अभियंता की रिपोर्ट के आधार पर, 6 एकड़ 7 गुंटा के लिए भूमि की लागत ₹ 331.91 लाख आंकी गई और इसे 2016-17 में पूंजीकृत किया गया था। जनवरी 2019 में केएसएफसी द्वारा किए गए बाद के सर्वेक्षण में, यह पाया गया कि 26 गुंटा भूमि कंपनी के भौतिक अधिकार में नहीं थी। तदनुसार, कंपनी ने केएसएफसी से अंतर राशि की वापसी के लिए अनुरोध किया। हालांकि, मार्च 2021 तक केएसएफसी द्वारा कोई धनवापसी नहीं की गई थी। चूंकि 26 गुंटा की भूमि कंपनी के पास उपलब्ध नहीं थी, इसलिए इसे पुस्तकों में दर्शाई गई स्थाई परिसंपत्तियों (भूमि) का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और भूमि मूल्य केएसएफसी से वसूली योग्य वर्तमान परिसंपत्तियों (ऋण) के तहत आनुपातिक रूप से कम करके हिसाब किया जाना चाहिए था। 26 गुंटा भूमि के मूल्य का समायोजन न करने के परिणामस्वरूप संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि) और ''चालू परिसंपत्तियाँ (ऋण)'' को ₹ 34.94 लाख से न्यूनोक्त किया गया है।

इसके अलावा, टिप्पणी 47ख में इस तथ्य का खुलासा नहीं किया गया कि आबंटित 6 एकड़ 1-4 गुंटा भूमि में खारब 'ए' भूमि के 7 गुंटा शामिल हैं, जिसके लिए कंपनी द्वारा लागत का आकलन नहीं किया गया था। इस प्रकार, खारब 'ए' भूमि के 7 गुंटा कंपनी के अधिकार में थे लेकिन तद्नुरूपी मूल्य को 'पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि' के तहत पुस्तकों में नहीं लिखा गया था। वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में इस तथ्य का खुलासा नहीं किया गया है। इस प्रकार टिप्पणी 47ख द्वारा किया गया प्रकटीकरण उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है।

(ii) चालू परिसंपत्तियाँ
ऋण (टिप्पणी-11): ₹ 1,578,76 लाख

उपरोक्त में मेसर्स् अंकुर ड्रग्स एंड फार्मा लिमिटेड से वसूली योग्य राशि ₹ 177.81 लाख शामिल है, जो परिसमापन के अधीन है। परिसमापन प्रक्रिया के मद्देनजर, मेसर्स् अंकुर ड्रग्स एंड फार्मा लिमिटेड से देय राशि की वसूली पर अनिश्चितता मौजूद है। हालांकि, कंपनी ने मेसर्स् अंकुर ड्रग्स एंड फार्मा लिमिटेड से प्राप्तियों के प्रति संदिग्ध वसूली / अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियाँ-ऋण' और 'वर्ष के लिए लाभ ₹ 117.81 लाख' तक बढ़ा दिया गया है।

I. प्रकटीकरण पर टिप्पणी
   वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

(1) आकस्मिक देयताएं (टिप्पणी-32)
   अन्य दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है: ₹ 90 लाख

उपरोक्त में 31 मार्च 2021 को मेसर्स् अंकुर ड्रग्स एंड फार्मा लिमिटेड के साथ विवादास्पद ₹ 502.02 लाख की राशि शामिल नहीं है। मध्यस्थ ने मैसर्सि अंकुर ड्रग्स एंड फार्मा लिमिटेड (जुलाई 2017) के पक्ष में 12 प्रतिशत की दर ब्याज के साथ ₹ 643.47 लाख का पुरस्कार पारित किया। कंपनी ने मध्यस्थता पुरस्कार के विरुद्ध अदालत में अपील दायर की थी जो वर्तमान में लंबित है। मध्यस्थता पुरस्कार के अनुसार 31 मार्च 2021 को दायित्व ₹ 922.72 लाख है जिसमें ₹ 279.25 लाख का ब्याज भी शामिल है, जिसके विरुद्ध कंपनी ने बहियों में ₹ 420.70 लाख की देयता प्रदान की थी। मेसर्स् अंकुर ड्रग्स एंड फार्मा लिमिटेड के साथ चल रहे कानूनी विवाद को ध्यान में रखते हुए, कंपनी को ₹ 502.02 लाख पर वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में आकस्मिक देनदारियों के रूप में अंतर राशि दर्शानी चाहिए थी। इस प्रकार 'आकस्मिक देनदारियों' को ₹ 502.02 लाख से कम करके दिखाया गया है।

(ii) निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), वित्त मंत्रालय के दिनांक 27 मई 2016 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित किया गया है कि:

(क) प्रत्येक सीपीएसई को अपने कर के बाद के लाभ के 30 प्रतिशत के न्यूनतम वार्षिक लाभांश या निवल मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, का भुगतान मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन करना होगा, जब तक कि भुगतान के लिए प्रस्तावित कम लाभांश का वित्तीय सलाहकारों (का.ज्ञा. के पैरा 5.2 और 5.3) के अनुमोदन से प्रशासनिक मंत्रालय के स्तर पर कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट पहलुओं के विश्लेषण करने के बाद समुचित हो।

वर्ष 2016-17 से यह देखा गया कि कंपनी ने दीपम के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया। दीपम के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 2016-17 से 2020-21 के लिए संचयी लाभांश 4.745.81 लाख है, जिसके विरूद्ध कंपनी ने 1.591.81 लाख का भुगतान / प्रस्तावित किया था। कंपनी ने निर्धारित एम दीपम कार्यालय ज्ञापन के अनुसार लाभांश के भुगतान से छूट के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया था। मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है। वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में इन तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया था और इस प्रकार इस हद तक कमी है।

(बी) प्रत्येक सीपीएसई बोनस शेयर जारी करेगा यदि उनका परिभाषित आरक्षित और अधिशेष इसकी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के समान या 10 गुना से अधिक है(का.ज्ञा. के पैरा 7.5) ।यह नोट किया गया था कि 31 मार्च 2021 तक, कंपनी के पास 22,885.90 लाख की आरक्षित और अधिशेष राशि थी, जो प्रदत्त पूंजी के 10 गुना यानी 1,349 लाख से अधिक थी। तथापि, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई बोनस शेयर जारी नहीं किया है। यह दीपम के का.ज्ञा. का उल्लंघन है। वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में इन तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया था और इस प्रकार इस हद तक यह कमी है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

(अशोक सिन्हा)
लेखापरीक्षा महानिदेशक
स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 07.01.2022

सी ए जी की अभ्युक्तियों के लिए उत्तर

क. वित्तीय स्थिति पर अभ्युक्तियाँ

(1) परिसंपत्तियाँ

गैर–वर्तमान परिसंपत्तियाँ

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (टिप्पणी –2)

पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि: ₹ 354.93 लाख

कंपनी ने मेसर्स कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (केएसएफसी) से धारवाड़ स्थित रु.611.01 लाख मूल्यवाले कमजोर फार्मा यूनिट को जैसे के तैसे आधार पर खरीदा है। यह समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन पर आधारित था। कंपनी ने कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (केएसएफसी) की ई–निविदा में भाग लिया और भूमि तथा भवन के विरुद्ध रु.517.37 लाख तथा संयंत्र और मशीनरी के विरुद्ध रु.9364 लाख उद्धृत किया था। कंपनी की बोली को स्वीकार करने के बाद, दि.12.12.2016 को उक्त संपत्ति का अधिग्रहण किया गया था, जबकि भूमि का सर्वेक्षण निलंबित था। जैसे ही जमीन में कमी नज़र आई, कंपनी ने यथाशीघ्र अप्रैल 2017 में मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए उपलब्ध कम किए गए जमीन पर विचार करने के लिए आवेदन किया और धनवापसी के लिए अनुरोध किया।

जैसा कि रु. 611.01 लाख के लिए कंपनी ने जैसे के तैसे आधार पर कारखाने का अधिग्रहण किया था और मेसर्स कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (केएसएफसी) द्वारा धनवापसी संपत्ति के मूल्यांकन के आधार पर की जाएगी, अतः धनवापसी की सही राशि ज्ञात नहीं है और यह भूमि और भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी के लिए आरक्षित मूल्य को दर्शाता है, कंपनी ने उपर्युक्त के आधार पर 26 गुंटा की कमी भूमि के लिए प्राप्य राशि का लेखा जोखा नहीं किया है।

हालांकि हमें विश्वास है कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए हम लेखापरीक्षा बिन्दु को सुधारेंगे कि किताबों में दर्शाये गए भूमि मूल्य को कम किया जाना चाहिए और केएसएफ़सी से रु.34.94 लाख के लिए वसूली योग्य चालू परिसंपत्तियाँ (ऋण) के अधीन लेखांकित किया जाना चाहिए।

इसके अलावा हम लेखापरीक्षा को यह आश्वासन देते हैं कि हम टिप्पणी सं.47ख को संशोधित करेंगे ताकि इस तथ्य को शामिल किया जा सके कि 6 एकड़ 14 गुंटा भूमि में 7 गुंटा खारब ए भूमि शामिल है, और जिसकी लागत कंपनी द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी।

(ii) चालू परिसंपत्तियाँ

ऋण (टिप्पणी–11): ₹ 1,578,76 लाख

लेखापरीक्षा ने उल्लेख किया कि परिसमापन प्रक्रिया के मद्देनजर, मेसर्स् अंकुर ड्रग्स एंड फार्मा लिमिटेड से वसूली योग्य राशि रु 177.81 लाख की वसूली पर अनिश्चितता मौजूद है। इसपर ध्यान दिया जाए कि कंपनी ने बेंगलूर में अतिरिक्त नगर सिविल और सेशन न्यायालय में एक याचिका दर्ज किए जाने के तथ्य के कारण मेसर्स् अंकुर ड्रग्स एंड फार्मा लिमिटेड को देय रु.420.70 लाख की राशि निपटान के लिए निलंबित है।

हालांकि, कंपनी ने मेसर्स् अंकुर ड्रग्स एंड फार्मा लिमिटेड से प्राप्तियों के प्रति संदिग्ध वसूली / अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियाँ–ऋण' और 'वर्ष के लिए लाभ रु 117.81 लाख' तक बढ़ा दिया गया है।

हम लेखापरीक्षा को यह आश्वासन देते हैं कि अगले वित्तीय वर्ष में हम मेसर्स् अंकुर ड्रग्स एंड फार्मा लिमिटेड से प्राप्तियों के प्रति रु. 177.81 लाख के लिए संदिग्ध वसूली / अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान करेंगे।

ख. प्रकटीकरण पर टिप्पणी

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ

(1) आकस्मिक देयताएं (टिप्पणी–32)

अन्य दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है: ₹ 90 लाख

हम लेखापरीक्षा को यह आश्वासन देते हैं कि अगले वित्तीय वर्ष में हम टिप्पणी सं.32 को संशोधित कर देंगे ताकि इस तथ्य को उसमें शामिल करेंगे कि मध्यस्थ द्वारा पारित राशि रु 502.02 लाख की राशि, जो मेसर्स् अंकुर ड्रग्स एंड फार्मा लिमिटेड के साथ विवादास्पद मामले से संबन्धित है, जिसके लिए कंपनी ने बेंगलूर में अतिरिक्त नगर सिविल और सेशन न्यायालय में एक याचिका दर्ज की है।

(ii) (क) यह तथ्य है कि कंपनी ने दीपम के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित अनुसार लाभांश का भुगतान नहीं किया है, जिसे अगले वित्तीय वर्ष से वित्तीय विवरणों की टिप्पणी में प्रकट किया जाएगा।

(ii) (ख) यह तथ्य है कि कंपनी ने दीपम के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित अनुसार कोई बोनस शेयरों को जारी नहीं किया है, जिसे अगले वित्तीय वर्ष से वित्तीय विवरणों की टिप्पणी में प्रकट किया जाएगा।

(रु. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	यथा 31 मार्च 2021 को	यथा 31 मार्च 2020 को
परिसंपत्तियाँ			
गैर–चालू पिरसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	2	7798.18	7913.40
(ख) प्रगतिशील पूंजी कार्य	2	153.72	176.00
(ग) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
– ऋण	3	106.14	106.39
– अन्य	4	186.69	–
(घ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	5	–	3.64
(ङ) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ	6	98.42	103.58
कुल गैर–चालू परिसंपत्तियाँ		**8343.15**	**8303.01**
चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) मालसूचियाँ	7	6298.12	5565.71
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
– प्राप्य व्यापार	8	8340.71	14999.66
– नकद एवं नकद समतुल्य	9	3505.48	2549.23
– उपर्युक्त के इतर बैंक में शेष	10	4792.91	644.41
– ऋण	11	1578.76	1596.16
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	12	354.51	267.87
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	13	61.01	76.61
कुल चालू परिसंपत्तियाँ		**24931.50**	**25699.65**
कुल परिसंपत्तियाँ		**33274.65**	**34002.661**

(रु. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	यथा 31 मार्च 2021 को	यथा 31 मार्च 2020 को
इक्विटी एवं देयताएं			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	14	1349.00	1349.00
(ख) अन्य इक्विटी	15	20547.77	18538.28
कुल इक्विटी		**21896.77**	**19887.28**
देयताएं			
गैर–चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
– उधार	16	375.00	675.00
(ख) प्रावधान	17	550.06	811.23
(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	5	93.79	–
कुल गैर–चालू देयताएं		**1018.85**	**1486.23**
चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
– उधार	18	–	362.34
– व्यापार देनदारियाँ	19		
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय		1269.98	416.75
(ii) अन्यों को देय		5947.51	7927.45
– अन्य वित्तीय देयताएं	20	895.29	1606.43
(ख) अन्य चालू देयताएं	21	1713.14	1556.09
(ग) प्रावधान	22	533.11	589.89
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	23	–	170.20
कुल चालू देयताएं		**10359.03**	**12629.15**
कुल इक्विटी एवं देयताएं		**33274.65**	**34002.66**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और साथ में संलग्न 1 से 51 की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग है।

कृते निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
कर्नाटक एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
सीआईएन: U24231KA1981GOI004145

सुनिल कुमार कैमाल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08528088

बी टी खानापुरे
निदेशक
डीआईएन: 07778686

जगदीश चन्द्रशेखर
महाप्रबंधक – वित्त

सुप्रिया कुलकर्णी
कम्पनी सचिव

यह समदिनांक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संदर्भित तुलन पत्र है
कृते **योगानन्ध राम एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन : 005157एस/एस200052

टी चन्द्र प्रकाश जैन
भागीदार
सदस्यता सं.229381

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 26 अक्तूबर 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा विवरण

(रू लाख में)

	विवरण	टिप्पण नं.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
राजस्व :				
I.	परिचालनों से राजस्व	24	42716.45	43340.44
II.	अन्य आय	25	413.24	324.02
III.	**कुल आय** (I + II)		**43129.69**	**43664.46**
IV.	**व्यय**			
	उपभोज्य सामग्रियों की लागत	26	16797.37	17281.51
	व्यापार में स्टॉक का क्रय		5298.51	3058.45
	निर्मित माल, प्रगतिशील कार्य और एवं व्यापार में स्टॉक में परिवर्तन	27	(747.80)	1296.88
	कर्मचारी लाभ व्यय	28	7050.10	7148.42
	वित्तीय लागत	29	89.84	135.94
	मूल्यह्रास एवं ऋणमुक्ति व्यय	2	739.26	717.05
	अन्य व्यय	30	10828.33	10875.66
	कुल व्यय (IV)		**40055.61**	**40513.91**
V	**असाधारण वस्तुओं और कर पूर्व लाभ** (III-IV)		**3074.08**	**3150.55**
VI	असाधारण वस्तु		–	–
VII	**कर पूर्व लाभ** (V - VI)		**3074.08**	**3150.55**
VIII	**कर संबंधी व्यय :**			
	क) चालू कर		734.13	850.00
	ख) आस्थगित कर		74.25	13.27
	ग) पूर्व वर्षों के लिए कर समायोजन		(52.59)	(11.29)
	कुल कर संबंधी व्यय		**755.79**	**851.98**
IX	**वर्ष के लिए लाभ** (VII-VIII)		2318.29	2298.57

(रू लाख में)

विवरण			टिप्पण नं.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
X	**अन्य व्यापक आय**				
	क	(i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे	31	92.09	(14.73)
		(ii) उन मद से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	31	(23.18)	3.71
	ख	(i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत होंगे	31	-	-
		(ii) उन मद से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	31	-	-
	कुल व्यापक आय (क + ख)			68.91	(11.02)
XI	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (IX + X)**			2387.20	2287.55
XII	**प्रत्येक रु.100/- के प्रति इक्विटी शेयर अर्जन**				
	मूल और तनुकृत			171.85	170.39

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और साथ में संलग्न 1 से 51 की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग है।

कृते निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
कर्नाटक एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
सीआईएनः U24231KA1981GO1004145

सुनिल कुमार कैमाल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08528088

बी टी खानापुरे
निदेशक
डीआईएन: 07778686

जगदीश चन्द्रशेखर
महाप्रबंधक - वित्त

सुप्रिया कुलकर्णी
कम्पनी सचिव

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 26 अक्तूबर 2021

यह समदिनांक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संदर्भित तुलन पत्र है
कृते **योगानन्ध राम एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन : 005157एस/एस200052

टी चन्द्र प्रकाश जैन
भागीदार
सदस्यता सं.229381

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी

(लाख रू. में)

	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ	3074.08	3150.55
गैर नकद एवं गैर परिचालनीय मदों के लिए समायोजन :		
मूल्यह्रास और परिशोधन	739.26	717.05
बैंकों से प्राप्त ब्याज	(137.02)	(115.45)
ब्याज संबंधी खर्च	73.73	114.92
अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखा	(24.12)	(76.77)
आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	30.00	26.75
धीमी गति चालू/गैर-चालू मालसूची के लिए प्रावधान/(वापस ले लिया)	(24.65)	1.12
अवसूलीय विदेशी मुद्रा हानि (लाभ)	3.45	(28.80)
फुटकर क्रेडिट शेष वापस लिखे गए	(198.85)	(70.44)
कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन पूर्व संचालित लाभ	**3535.88**	**3718.93**
कार्यशील पूंजी में बदलाव		
मालसूचियों में कमी / (वृद्धि)	(707.76)	2211.83
प्राप्य व्यापार और अन्य प्राप्य में कमी / (वृद्धि)	6510.67	(2086.73)
अन्य बैंक शेष में (कमी) / वृद्धि	(1717.14)	(2233.97)
परिचालनों से उत्पन्न नकद	**7621.65**	**1610.06**
प्रदत्त आयकर	(938.38)	(1031.48)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकद	**6683.27**	**578.58**
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
स्थाई परिसंपत्तियों, प्रगतिशील पूंजी कार्य, पूंजी अग्रिम की खरीद	(621.75)	(604.20)
प्राप्त सरकारी अनुदान	20.00	-
बैंकों से प्राप्त ब्याज 137.02	115.45	
निवेश गतिविधियों से निवल नकद	**(464.73)**	**(488.75)**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी

(लाख रू. में)

		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	प्रदत्त कर	(73.73)	(114.92)
	दीर्घावधि उधार का पुनर्भुगतान	(300.00)	(300.00)
	अल्पावधि उधार में वृद्धि / (कमी)	(362.34)	64.36
	इक्विटी शेयरों पर प्रदत्त लाभांश	(377.72)	(296.77)
	प्रदत्त इक्विटी लाभांश पर कर	0.00	(61.00)
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद	**(1113.79)**	**(708.33)**
घ.	**नकद एवं नकद समतुल्य में निवल बदलाव (क+ख+ग)**	**5,104.75**	**(618.50)**
	वर्ष के प्रारम्भ में नकद एवं नकद समतुल्य	3193.64	3812.14
	वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य	8298.39	3193.64
	तुलन पत्र में नकद और नकद समतुल्य का मिलान		
	तुलन पत्र के अनुसार नकद और नकद समतुल्य	3,505.48	2,549.23
	जोड़ें : इंड एएस 7 नकद प्रवाह विवरणी में परिभाषित अनुसार नकद एवं नकद समतुल्य के अनुसार माना न गया बैंक शेष	4,792.91	644.41
	नकद और नकद समतुल्य	**8,298.39**	**3,193.64**
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य में शामिल (टिप्पणी सं.9 तथा 10 भी देखें)		
	क) हाथ में नकद	0.31	0.62
	ख) हाथ में चेक	-	40.32
	ग) नकद क्रेडिट में	1,925.91	393.93
	घ) सावधि जमा खाते में	6,299.28	2,685.96
	ङ) सावधि जमा खाते में - मार्जिन राशि	72.89	72.81

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और साथ में संलग्न 1 से 51 की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग है।

कृते निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
कर्नाटक एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
सीआईएन: U24231KA1981GOI004145

सुनिल कुमार कैमाल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08528088

बी टी खानापुरे
निदेशक
डीआईएन: 07778686

जगदीश चन्द्रशेखर
महाप्रबंधक - वित्त

सुप्रिया कुलकर्णी
कम्पनी सचिव

यह समदिनांक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संदर्भित तुलन पत्र है
कृते **योगानन्ध राम एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन : 005157एस/एस200052

टी चन्द्र प्रकाश जैन
भागीदार
सदस्यता सं.229381

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 26 अक्तूबर 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी के परिवर्तनों का विवरण

अ. इक्विटी शेयर पूंजी

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021			31 मार्च 2020		
	1 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	1 अप्रैल 2021 को अंतिम शेष	1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	1 अप्रैल 2020 को अंतिम शेष
प्रत्येक रु.100/- रुपए के इक्विटी शेयर	1,349.00	-	1,349.00	1,349.00	-	1,349.00
कुल	1,349.00	-	1,349.00	1,349.00	-	1,349.00

ख. अन्य ईक्विटी

(रू. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021					
	1 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)	सामान्य आरक्षित को अंतरित	कोई अन्य परिवर्तन (निर्दिष्ट किया जाए)	1 अप्रैल 2021 अंतिम शेष
सामान्य आरक्षित	18066.94			2000.00		20066.94
सीएसआर निधि आरक्षित	92.91					92.91
संपोषणीय विकास कोष प्रारक्षण	16.66					16.66
प्रतिधारित अर्जन	391.09	2318.30	(377.72)	(2000.00)	-	331.67
जींहशअॅ ठशीशऑंशी अन्य व्यापक आय	(29.32)	68.91	-	-	-	39.59
कुल अन्य इक्विटी	**18538.28**	**2387.21**	**(377.72)**	**-**	**-**	**20547.77**

विवरण	31 मार्च 2020					
	1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)	सामान्य आरक्षित को अंतरित	कोई अन्य परिवर्तन (निर्दिष्ट किया जाए)	1 अप्रैल 2020 अंतिम शेष
सामान्य आरक्षित	18066.94			2000.00		18066.94
सीएसआर निधि आरक्षित	92.91					92.91
संपोषणीय विकास कोष प्रारक्षण	16.66					16.66
प्रतिधारित अर्जन	450.29	2296.57	(1357.77)	(2000.00)	-	391.89
जींहशअॅ ठशीशऑंशी अन्य व्यापक आय	(18.30)	(11.02)	-	-	-	(29.32)
कुल अन्य इक्विटी	**16,608.50**	**2,287.55**	**(357.77)**	**-**	**-**	**18538.28**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और साथ में संलग्न 1 से 51 की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग है।

कृते निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर सेकर्नाटक एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
सीआईएन: U24231KA1981GOI004145

सुनिल कुमार कैमाल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08528088

बी टी खानापुरे
निदेशक
डीआईएन: 07778686

जगदीश चन्द्रशेखर
महाप्रबंधक - वित्त

सुप्रिया कुलकर्णी
कम्पनी सचिव

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 26 अक्तूबर 2021

यह समदिनांक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संदर्भित तुलन पत्र है
कृते **योगानन्ध राम एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन : 005157एस/एस200052

टी चन्द्र प्रकाश जैन
भागीदार
सदस्यता सं.229381

1. बिहंगावलोकन एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1.1 कंपनी का एक विहंगावलोकन :

कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ('केएपीएल') भारत में अधिवासित एक सरकारी कंपनी है और इसे सीआईएन नं. U24231KA1981GOI004145 के साथ भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत निगमित किया गया है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अरका दि बिज़नस सेंटर, प्लॉट नं.37, साइट नं.34/4, एनटीटीएफ़ प्रधान मार्ग, द्वितीय चरण, पीण्या औद्योगिक क्षेत्र, बेंगलूरु – 560058 पर स्थित है। कंपनी एक मिनी रत्न श्रेणी – I सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और भारत सरकार के रसायन मंत्रालय के औषधि विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है।

केएपीएल प्राधान रूप में विभिन्न जीवन रक्षक और आवश्यक औषधियों के विनिर्माण और विपणन के व्यवसाय में लगा हुआ है। कंपनी ने ड्राइ पाउडर वॉयल्स, तरल पैरेंटल्स, गोलियाँ, कैप्सूल्स आदि के विनिर्माण के लिए वर्ष 1984 के दौरान बेंगलूरु में स्थित अपने विनिर्माण संयंत्र में अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया। 26 अक्तूबर, 2021 को निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अधिकृत हैं।

1.2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ :

1.2.1 वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

उक्त वित्तीय विवरणों को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015, यथासंशोधित, के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरणों को संबंधित भारतीय लेखांकन मानक द्वारा निम्नलिखित भौतिक वस्तुओं को छोड़कर अपेक्षित उचित मूल्य पर मापी गई लेखांकन के आकस्मिक आधार पर ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत तैयार किया गया है:

- कुछ वित्तीय साधन (टिप्पणी 1.2.16 का संदर्भ लें)
- परिभाषित लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ (टिप्पणी 1.2.7 का संदर्भ लें).

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए में प्रस्तुत किया जाता है और सभी मूल्यों को निकटतम लाख में पूर्णांक किया जाता है, सिवाय जहां संकेत दिया गया हो।

1.2.2 अनुमानों का उपयोग :

वित्तीय विवरण की तैयारी में भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप प्रबंधन को परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रभावित करनेवाली राशि के संबंध में और आकस्मिक परिसंपत्तियों और देनदारियों का प्रकटीकरण करने तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा को वित्तीय विवरण की तारीख में अनुमानों, निर्णयों तथा धारणाओं को बनाने की आवश्यकता होती है। वास्तविक परिणाम अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान और भविष्य की अवधि में संभावित रूप से पहचाना जाता है।

1.2.3 राजस्व मान्यता :

'' बिक्री से प्राप्त राजस्व को पहचाना जाता है जब ग्राहक बिक्री अनुबंध के संदर्भ में माल का नियंत्रण प्राप्त करता है और ऋण लाइसेंस रूपांतरण अनुबंध के मामले में, जब रूपांतरण अनुबंध के तहत माल का नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है। तदनुसार,

I) ''एफ़.ओ.आर. गंतव्य स्थान'' बिक्री अनुबंधों के मामले में, जहां ग्राहक से पावती/वितरण का प्रमाण पत्र हाथ में उपलब्ध नहीं है, बिक्री को गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए प्रेषित माल के लिए अनुमानित औसत समय के आधार पर मान्यता प्राप्त है। वित्तीय वर्ष के अंत में बिक्री लेनदेन के संबंध में, ग्राहकों से पावती द्वारा प्राप्त वास्तविक डिलीवरी/वितरण के प्रमाण पत्र को भी माना जाता है।

ii) ''एफओबी'' बिक्री अनुबंधों के मामले में, सवार माल के लदान की तारीख के आधार पर बिक्री को मान्यता दी जाती है।

iii) बिक्री वापसी को बिक्री वापसी वर्ष में हिसाब रखा जाता है।

iv) बिक्री को निवल वापसी, जीएसटी और लागू व्यापार छूट और भत्ते पर कथित किया जाता है।

v) माल की बिक्री के मामले में, बिक्री को अंतिम ग्राहक द्वारा उत्पाद के नियंत्रण प्राप्त करने पर मान्यता दी जाती है।

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि (ईआईआर) का उपयोग करके पहचाना जाता है। ईआईआर वह दर है जो वित्तीय साधन की अपेक्षित उपयोगी जीवन पर अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को छूट देता है या जहां वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि के लिए उचित अवधि होती है।

1.2.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

- ''पीपीई को अधिग्रहण या निर्माण कम संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, की लागत पर किया जाता है। यदि पूंजीकरण मानदंड पूरे किए जाते हैं और अपेक्षित उपयोग के लिए परिसंपत्ति को उसकी कार्यशील स्थिति में लाने के लिए सीधे अन्य जिम्मेदार लागत हो लागत में खरीद मूल्य, गैर-वापसी योग्य कर और शुल्क, उधार लागत का समावेश होता है।
- ''निर्माण अवधि के दौरान परियोजना के लिए पहचाने जाने वाले सभी प्रत्यक्ष व्यय पूंजीकृत हैं। परियोजना गतिविधियों के संबंध में जो उत्पादन के साथ समवर्ती रूप से किए जाते हैं, प्रशासन और पर्यवेक्षण पर व्यय (उत्पादन और निर्माण के बीच का पता लगाने योग्य नहीं है) राजस्व के लिए शुल्क लिया जाता है।
- ''पीपीई पर मूल्यह्रास सीधी रेखा विधि पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खख के भाग ग के तहत निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर प्रदान किया जाता है, केवल कुछ उपयोग की गई परिसंपत्तियों के मामले में, जिनके लिए तकनीकी सलाह के आधार पर उपयोगी जीवन का निर्धारण किया गया है। मूल्यह्रास की गणना संस्थापन की तिथि से यथानुपात आधार पर की जाती है जब तक कि परिसंपत्ति बेची नहीं जाती है या अन्यथा निपटाई जाती है।
- ''खरीद के वर्ष में व्यक्तिगत रूप से रु.10,000/- या उससे कम की परिसंपत्तियाँ पूरी तरह से मूल्यह्रास हैं।
- ''मूल्यह्रास की गणना संस्थापन की तिथि से लेकर जब तक कि परिसंपत्ति बेची नहीं जाती है या अन्यथा निपटाई जाती है तब तक की जाती है। जहां पीपीई की किसी वस्तु की लागत महत्वपूर्ण होती है और उसके अलग-अलग उपयोगी जीवन होते हैं, उन्हें अलग-अलग घटकों के रूप में माना जाता है और उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर अवमूल्यन किया जाता है।
- ''प्रगतिशील पूंजी कार्य में पीपीई की लागत शामिल होती है जो रिपोर्टिंग तिथि पर उनके इच्छित उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं। तुलनपत्र की तारीख के अनुसार पीपीई के अधिग्रहण की दिशा में अग्रिम भुगतान को अन्य अप्रचलित परिसंपत्तियाँ के अधीन प्रकट किया जाता है।
- ''किसी परिसंपत्ति की मान्यता से उत्पन्न कोई लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

1.2.5 सरकारी अनुदान

क. सरकारी अनुदानों को तभी मान्यता दी जाती है तब यह एक उचित आश्वासन हो कि उनसे जुड़ी शर्तों का पालन किया जाएगा और अनुदान प्राप्त किया जाएगा।

ख. राजस्व से संबंधित सरकारी अनुदानों को लाभ और हानि के विवरण से व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है।

ग. परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को परिसंपत्तियों के वहन मूल्य की गणना करते समय अनुदान की कटौती करके मान्यता दी जाती है।

1.2.6 मालसूचियों का मूल्यांकन

क. कच्चे माल को कम लागत में किया जाता है और निवल वसूली योग्य मूल्य होता है। निर्मित माल के उत्पादन में उपयोग के लिए रखी गई सामग्री को लागत से नीचे नहीं लिखा गया है यदि तैयार उत्पाद जिसमें उन्हें शामिल किया जाएगा, तो उन्हें लागत या उससे अधिक कीमत पर बेचे जाने की उम्मीद है। लागत का निर्धारण फर्स्ट-इन-फर्स्ट आउट आधार पर किया जाता है। लागत में कर, शुल्क और माल ढुलाई और यह माल और सेवा कर (जीएसटी) का निवल शामिल हैं। अप्रचलित के रूप में पहचाने जाने वाले कच्चे माल के लिए प्रावधान किए जाते हैं।

ख. प्रगतिशील कार्य को न्यून लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। लागत सामग्री लागत और प्रत्यक्ष श्रम का नियत प्रतिशत और उचित निश्चित और परिवर्तनीय उत्पादन ओवरहेड्स का प्रतिनिधित्व करती है।

ग. निर्मित माल को न्यून लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। लागत सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और उचित निश्चित और चर उत्पादन ओवरहेड्स का प्रतिनिधित्व करती है।

घ. इकाई मूल्य रु.5000/- और उससे अधिक के पुर्जों और औजारों के स्टॉक को (भौतिकता पर आधारित) भूमि की कीमत पर मूल्यांकित किया जाता है और वर्ष के अंत में इसकी गणना की जाती है।

ङ. डॉक्टरों के सैंपल के शेष माल की कीमत शून्य लगाई गई है। डॉक्टररी सैंपल की कीमत को उपभोक्ता माल के अंतर्गत सम्मिलित/खाते में जमा किया गया है।

1.2.7 कर्मचारी लाभ :

क) **परिभाषित अंशदान योजना :** कंपनी की ओर से परिभाषित अंशदान योजनाओं के लिए वर्ष के लिए प्रदत्त/देय, जैसे कि मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के लिए देय अंशदान का लाभ और हानि विवरण में प्रोद्भवन आधार पर प्रभारित किया जाता है। कंपनी के मासिक योगदान से परे इस योजना के तहत कोई और दायित्व नहीं है।

ख) **परिभाषित हितलाभ योजना :** उपदान और दीर्घकालिक लाभ जैसे कि अवकाश और बीमारी लाभ, जो परिभाषित लाभ हैं, एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए तुलनपत्र की तिथि में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अर्जित किया जाता है। पुनर्मापन, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानि शामिल हैं, को तुरंत तुलनपत्र में एक समान डेबिट या क्रेडिट के साथ मान्यता प्राप्त है जिसे अन्य व्यापक आय के माध्यम से कमाई की अवधि में मान्यता प्राप्त है। बाद के समय में लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है।

वित्त पोषित योजनाओं के मामले में, निवल आधार पर दायित्व को पहचानने के लिए परिभाषित लाभ योजना के तहत योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य सकल दायित्वों से कम हो जाता है।

ग) **अल्पावधि कर्मचारी लाभ :** अन्य अल्पकालिक लाभों के संबंध में व्यय, उस अवधि के लिए भुगतान की गई राशि या देय राशि के आधार पर पहचाना जाता है, जिसके दौरान कर्मचारी सेवा प्रदान करता है।

घ) **सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना :** भारत सरकार के आदेशों के अनुसरण में, कंपनी ने दि.01.01.2017 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों या कर्मचारियों के जावनसाथी (कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु होने के मामले में) के ल्िए केएपीएल सेवा निवृत्ति उपरांत

बीमा योजना नामक एक योजना प्रारम्भ की है। आदेश के अनुसार, अधिकतम अंशदान कर पूर्व लाभ का 1.50% है। तदनुसार, कंपनी लाभप्रदता के आधार पर प्रत्येक वर्ष प्रदान कर रही है।

1.2.8 विदेशी मुद्रा लेनदेन

- **प्रारम्भिक पहचान :**

  प्रारंभिक मान्यता पर, कंपनी द्वारा दर्ज की गई विदेशी मुद्राओं में लेनदेन कार्यात्मक मुद्रा (यानी भारतीय रुपए) में दर्ज किए जाते हैं, विदेशी मुद्रा राशि, जो लेनदेन की तिथि में कार्यात्मक मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच स्पॉट विनिमय दर को लागू करना है। वर्ष के दौरान बसे विदेशी मुद्रा लेनदेन पर होने वाले विनिमय अंतर को लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त है।

- **रिपोर्टिंग तिथि पर विदेशी मुद्रा वस्तुओं का मापन :**

  कंपनी की विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं को बंद विनिमय दरों पर अंतरित किया जाता है। इन लेन-देन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त है।

  गैर-मौद्रिक मद, जो विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है, लेनदेन की तिथि में विनिमय दर का उपयोग करके अंतरित किया जाता है।

1.2.9 कराधान

आयकर व्यय में चालू कर (यानी लागू आयकर कानून के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर की राशि) और आस्थगित कर प्रभार या ऋण (वर्ष के लिए कर लेखा योग्य आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतर के कर प्रभाव को दर्शाता है) शामिल है। लाभ और हानि के बाहर मान्यता दी गई वस्तुओं से संबंधित वर्तमान आयकर और आस्थगित करों को लाभ या हानि (या तो अन्य व्यापक आय या इक्विटी में) के बाहर मान्यता प्राप्त है।

आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट और संबंधित आस्थगित कर देनदारियों या परिसंपत्तियों को कर की दरों का उपयोग करके मान्यता प्राप्त है जो अधिनियमित किया गया है या तुलनपत्र की तारीख से अधिनियमित किया गया है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस हद तक पहचाना जाता है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होना संभावित है, जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर नुकसान को आगे बढ़ाया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि अब यह सम्भावना नहीं रह जाती है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किया जाता है और उन्हें इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित हो जाता है कि भविष्य में कर योग्य लाभ से आस्थगित कर संपत्ति को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति मिल जाएगी।

कंपनी चालू (वर्ष के आधार पर एक वर्ष पर) और आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को समाप्त करती है, जहां यह कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है और समान कराधान प्राधिकरण से संबंधित आस्थगित कर हैं।

1.2.10 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना वर्ष के लिए इक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के उपरांत निवल लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है।

प्रति शेयर कम किया हुआ आय की गणना के उद्देश्य के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के लिए वर्ष के लिए निवल लाभ या हानि और वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके सभी पतला संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

1.2.11 प्रावधान और आकस्मिकताएँ

कंपनी एक प्रावधान बनाती है जब एक अतीत की घटना के परिणामस्वरूप एक वर्तमान दायित्व होता है जिसे संभवतः संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होती है और एक विश्वसनीय अनुमान दायित्व की राशि से बनाया जा सकता है। आकस्मिक दायित्व के लिए प्रकटीकरण तब किया जाता है जब एक संभावित दायित्व या एक वर्तमान दायित्व होता है, लेकिन संभवतः संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता नहीं होगी या जिसे मज़बूती से मापा नहीं जा सकता है। जहां अतीत के दायित्व या वर्तमान दायित्व होते हैं जिनके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ होती है, कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरण में मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण तब किया जाता है जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है।

1.2.12 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

कंपनी प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख का आकलन करती है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि परिसंपत्ति की हानि हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। यदि परिसंपत्ति की ऐसी वसूली योग्य राशि या नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि, जो परिसंपत्ति से संबंधित वहन राशि से कम है, तो वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि तक कम हो जाती है। कमी को क्षति हानि के रूप में माना जाता है और लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। यदि तुलन पत्र की तिथि में संकेत है कि यदि पहले से मूल्यांकन की गई क्षति हानि मौजूद नहीं है, तो पुनर्प्राप्त करने योग्य राशि फिर से दी गई है और परिसंपत्ति पुनर्प्राप्त करने योग्य राशि पर परिलक्षित ऐतिहासिक लागत की अधिकतम परिलक्षित होती है।

1.2.13 पट्टे

पट्टेदार के रूप में:

भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकताओं के अनुसार पट्टे के योग्य होने की कोई व्यवस्था पर कंपनी मूल्यांकन करती है। अल्पकालिक/न्यून मूल्य के पट्टों के लिए कंपनी पट्टे के भुगतान को एक सीधी रेखा के आधार पर परिचालन व्यय के रूप में मान्यता देती है। कंपनी के पास कोई गैर–विनिर्मित पट्टे नहीं हैं और इसलिए भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकताएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

1.2.14 नकद एवं नकद समतुल्य

नकद में हाथ पर उपलब्ध नकद और बैंकों के साथ मांग जमा राशि शामिल हैं। नकद समतुल्य में अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक शेष राशि अत्यधिक तरल निवेश जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में वारिवर्तनीय हैं और जो महत्वहीन के अधीन हैं, शामिल हैं।

1.2.15 नकदी प्रवाह विवरण

अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके नकदी प्रवाह की सूचना दी जाती है, जिससे कर पूर्व लाभ को गैर–नकद प्रकृति के लेनदेन और पिछले या भविष्य के नकद प्राप्तियों या भुगतान के किसी भी अवहेलना या प्रोद्भवन के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के संचालन, वित्तपोषण और निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह अलग हो जाता है।

1.2.16 वित्तीय साधन

एक वित्तीय साधन कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और एक वित्तीय देयता या किसी अन्य इकाई के इक्विटी साधन को सृजित करता है। गैर–व्युत्पन्न वित्तीय साधनों में शामिल है:

- वित्तीय परिसंपत्तियाँ, जिसमें नकद और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य, कर्मचारी और अन्य अग्रिम और अर्ह चालू और अप्रचलित परिसंपत्तियाँ शामिल हैं;

वित्तीय परिसंपत्तियों को तब विमान्यता की जाती है जब वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार हस्तांतरित किए जाते हैं। ऐसे मामलों में जहां वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार न तो हस्तांतरित किए जाते हैं और न ही बरकरार रखे जाते हैं, वित्तीय परिसंपत्तियों को तभी विमान्यता दी जाती है जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्तियों पर नियंत्रण बरकरार नहीं रखा हो।

- वित्तीय देनदारियां, जिनमें दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण और उधार, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्राप्य व्यापार, अर्ह चालू और अप्रचलित देनदारियां शामिल हैं।

प्रारंभिक मान्यता और मापन

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को पहचानती है जब यह उपकरण के अनुबंध प्रावधानों के लिए एक पार्टी बन जाती है। सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है, व्यापार रसीदों को छोड़कर जो लेनदेन मूल्य पर शुरू में मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं होने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण या मुद्दे के लिए सीधे जिम्मेदार हैं, जो लेनदेन लागत प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य में जोड़ दी जाती है।

अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय साधनों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

क) परिशोधन लागत पर की गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ

ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफ़वीटीओसीआई)

ग) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफ़वीटीपीएल)

घ) वित्तीय दायित्व

क) परिशोधन लागत पर की गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो वित्तीय परिसंपत्तियाँ अनुवर्ती में परिशोधन लागत पर मापी जाती हैं:

I) परिसंपत्ति को एक व्यावसायिक मॉडल के अंदर सम्पन्न किया जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करने के लिए संपत्ति रखना है, और

ii) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर सृजित करती हैं, जो मूल रूप से मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान मूल राशि पर बकाया है।

प्रारंभिक मापन के उपरांत, इस तरह की वित्तीय परिसंपत्तियों को अनुवर्ती में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफ़वीटीओसीआई)

वित्तीय परिसंपत्तियाँ एफ़वीटीओसीआई पर ले जाई जाती हैं, यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे किए जाते हैं :

i) व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य दोनों संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर हासिल किया जाता है; और

ii) परिसंपत्तियों की संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करती है।

इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां कंपनी ने अपने व्यापार मॉडल के आधार पर एक अपरिवर्तनीय चयन किया है, अपने निवेश के लिए जिन्हें इक्विटी उपकरणों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उचित मूल्य में बाद के बदलावों को अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है।

ग) **लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफ़वीटीपीएल)**

एक वित्तीय परिसंपत्ति जो उपरोक्त श्रेणियों में से किसी में वर्गीकृत नहीं है, बाद में लाभ या हानि के माध्यम से उचित माना जाता है।

घ) **वित्तीय दायित्व**

वित्तीय देनदारियों को बाद में ईआईआर का उपयोग करके परिशोधन लागत पर किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार, कंपनी माप और क्षति हानि की मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है।

कंपनी क्षति हानि भत्ते की मान्यता के लिए निम्नलिखितों पर 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का अनुसरण करती है :

– व्यापार प्राप्य या अनुबंध राजस्व प्राप्य योग्य ; तथा

– भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में लेनदेन से उत्पन्न सभी पट्टे के प्राप्य योग्य

सरलीकृत दृष्टिकोण के आवेदन से कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रारंभिक रिपोर्टिंग से प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर जीवन भर ईसीएल के आधार पर क्षति हानि भत्ते को मान्यता देता है।

वित्तीय साधनों की विमान्यता

कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति की पहचान करती है, जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी के लिए संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाता है या यह वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित कर देता है और हस्तांतरण भारतीय लेखा मानक 109 के तहत अर्हता प्राप्त करता है। एक वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता का एक अंश) कंपनी के तुलनपत्र से पहचाना जाता है जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व को ख़ारिज किया जाता है या रद्द या समाप्त हो जाता है।

1.2.17 कृषि गतिविधि

कंपनी कृषि उपज को तभी मान्यता देती है, जब और केवल तभी, कि कंपनी पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों को नियंत्रित करती है, यदि यह संभव है कि ऐसी परिसंपत्तियों से जुड़े भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और मजबूती से परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को मापा जा सकता है।

एक जैविक परिसंपत्ति को प्रारम्भिक मान्यता के साथ – साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उसके उचित मूल्य पर बेचने की लागत को घटाकर मापा जाता है। एक इकाई की जैविक संपत्ति से काटे गए कृषि उत्पाद को फसल के बिन्दु पर बेचने के लिए उचित मूल्य को कम लागत पर मापा जा सकता है।

कृषि उत्पाद को बेचने के लिए कम लागत पर उचित मूल्य पर प्रारम्भिक मान्यता पर उत्पन्न होनेवाले लाभ या हानि को उस अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है जिसमें यह उत्पन्न होता है।

आज की तारीख में कंपनी के कदबगेरे भूमि में औषधीय पौधों की एक चोटी मी मात्रा विकसित कर रही है। एक बार राजस्व योगदान रु.10.00 लाख से अधिक हो जाने पर पहचानना शुरू कर देगी।

टिप्पणी 2 : संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

(रू. लाख में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	लागत या मान्य लागत				संचित मूल्यहास और परिशोधन				निवल वहन मूल्य	
	1 अप्रैल 2020 पर	वर्ष के दौरान जोड	वर्ष के दौरान विचलन/ समायोजन	31 मार्च 2021 पर	1 अप्रैल 2020 पर	वर्ष के लिए मूल्यहास प्रभार	वर्ष के दौरान विचलन	31 मार्च 2021 पर	31 मार्च 2021 पर	31 मार्च 2020
मूर्त संपत्ति, स्वामित्व										
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	354.93	0.00	0.00	354.93	0.00	0.00	-	0.00	354.93	354.93
भवन	3577.09	82.79	0.00	3659.88	370.94	138.26	-	509.20	3150.68	3206.15
संयंत्र और उपस्कर	5489.24	447.14	0.00	5936.38	1318.66	548.06	-	1866.72	4069.66	4170.58
फर्नीचर व फिक्सचर	192.32	21.17	0.00	213.49	51.82	24.04	-	75.86	137.63	140.50
कार्यालय उपकरण	21.69	17.44	0.00	39.13	13.70	6.76	-	20.46	18.67	7.98
कंप्यूटर	60.06	55.49	0.00	115.55	40.63	18.66	-	59.29	56.26	19.43
कैंटीन उपकरण	6.14	0.00	0.00	6.14	2.86	0.84	-	3.70	2.44	3.28
मोटर वाहन	18.40	0.00	0.00	18.40	7.85	2.64	-	10.49	7.91	10.55
उप कुल	**9719.87**	**624.03**	**0.00**	**10343.90**	**1806.46**	**739.26**	**-**	**2545.72**	**7798.18**	**7913.40**
प्रगतिशील पूंजी कार्य	**176.00**	**153.72**	**176.00**	**153.72**	**0.00**	**0.00**	**-**	**0.00**	**153.72**	**176.00**
उप कुल	**176.00**	**153.72**	**176.00**	**153.72**	**0.00**	**0.00**	**-**	**0.00**	**153.72**	**176.00**
कुल	**9895.87**	**777.75**	**176.00**	**10497.62**	**1806.46**	**739.26**	**-**	**2545.72**	**7951.90**	**8089.40**
पिछले वर्ष	**9291.67**	**1406.96**	**802.76**	**9895.87**	**1089.42**	**717.05**	**-**	**1806.47**	**8089.40**	

(वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी 47 से 48 का संदर्भ भी लें)

(रु. लाख में)

वित्तीय परिसंपत्तियों	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
3 **गैर वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ – ऋण** (परिशोधित लागत पर)		
कर्मचारियों को अग्रिम	0.00	0.25
सरकारी विभागों के साथ जमा राशि	106.14	106.14
	106.14	**106.39**
4 **गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ–अन्य**		
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश		
समूह अवकाश नकदीकरण योजना बीमा पॉलिसी – (प्रावधान का निवल)	186.69	0.00
	186.69	**0.00**
5 **आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ/ (देयताएं) (निवल)** आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
क) संदिग्ध ऋण, दावे आदि के प्रावधान	94.94	65.39
ख) छुट्टी वेतन	0.00	6.01
ग) उपदान	81.09	151.57
घ) अन्य	193.32	220.87
	369.35	**443.84**
आस्थगित कर देयताएं		
क) स्थाई परिसंपत्तियाँ – मूल्य अंतर अवलेखन	462.14	440.20
ख) छुट्टी वेतन	1.00	
	463.14	**440.20**
	(93.79)	**3.64**
6 **अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियाँ** (असुरक्षित, प्राप्य मान्य)		
पूंजी अग्रिम	73.10	103.28
पूर्वदत्त व्यय	25.32	0.30
	8.42	103.58
7 **मालसूचियाँ** (कम लागत और निवल वसूलीय योग्य मूल्य पर)		
केएपीएल में कच्चे माल	2599.19	2770.87
ऋण लाइसेंस पार्टियों के पास कच्चे माल	0.34	32.83
घटाएँ : अप्रचलन के लिए प्रावधान और व्यापार स्टॉक	(85.34)	(110.00)
	2514.19	**2693.70**
भंडार और पुर्जे	62.25	29.26
प्रगतिशील कार्य	194.56	784.04
निर्मित माल	2305.38	1356.30
व्यापार स्टॉक	485.18	479.04

(रु. लाख में)

	वित्तीय परिसंपत्तियों	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
	मार्गस्थ माल		
	कच्चा माल	157.93	26.79
	निर्मित माल	565.45	195.16
	व्यापार स्टॉक	13.18	1.42
		6298.12	**5565.71**
8	**प्राप्य व्यापार** (परिशोधित लागत पर)		
	असुरक्षित, प्राप्य मान्य	8340.71	14999.66
	असुरक्षित, संदिग्ध मान्य	377.24	259.80
	घटाएँ : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(377.24)	(259.80)
		8340.71	**14999.66**
8.1	फुटकर देनदारियों में सरकारी संस्थानों/निकायों से बकाया रु.4406.94 लाख (गतवर्ष रु.11989.49 लाख) शामिल हैं, जिनके विषय में बकाया की पुष्टि की प्रतीक्षा की जा रही है।		
8.2	कंपनी द्वारा सरकारी संस्थानों/निकायों के अलावा, प्राप्य व्यापार की ओर बकाया राशि की संपुष्टि मांगी गई है, कुल रु. 2952.04 लाख (गत वर्ष रु. 2810.45 लाख) के ऐसे फुटकर देनदार हैं, जिनकी प्रतीक्षा की जा रही है। उन मामलों में जहां प्राप्य से प्राप्त पुष्टि में अंतर देखा जाता है, कंपनी ने आवश्यक सुलह करने के बाद, वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए लेखा की पुस्तकों के अनुसार शेष राशि को अपनाया है।		
8.3	तो भी, कंपनी की राय में, बकाया के पुष्टीकरण की अप्राप्ति से कंपनी की वित्तीय स्थिति में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।		
9	**नकद एवं नकद समतुल्य** (परिशोधित लागत पर)		
	हाथ में शेष नकद	0.31	0.62
	विप्रेषन – मार्गस्थ में	0.00	40.32
	बैंकों में शेष		
	चालू खाते में	1925.91	393.93
	सावधि जमा निधि खाते में		
	3 महीने से कम की मियाद वाले	1579.26	2114.36
	(कर्मचारियों के कल्याण के लिए गठित कल्याण निधि के संबंध में बैंक ऑफ बरोडा, बेंगलूर के साथ रखी हुई रु.6.54 लाख (गत वर्ष रु.6.23 लाख) की राशि को सावधि जमा खाते में शामिल किया गया है।)	3505.48	2549.23

(रु. लाख में)

वित्तीय परिसंपत्तियों	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
10 अन्य बैंक शेष राशियाँ		
(परिशोधित लागत पर)		
सावधि जमाराशि – 3 महीने से अधिक, लेकिन 12 महीने से कम की मियाद वाले (बैंक ऑफ बड़ौदा में लियन के रूप में चिह्नित रु.115.84 लाख की सावधि जमा राशि)	4715.64	567.46
सावधि जमाराशि (अन्य प्रतिबद्धताएं) – 3 महीने से कम की परिपक्वता के साथ (एक कर्मचारी द्वारा दायर मामले के संबंध में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार बैंक ऑफ बरोड़ा, सिकंदराबाद में धारित।)	4.38	4.14
सावधि जमाराशि (मार्जिन राशि) – 12 महीने से कम की परिपक्वता के साथ	72.89	72.81
	4792.91	**644.41**
11 ऋण		
(परिशोधित लागत पर)		
असुरक्षित, प्राप्य मान्य		
सरकारी विभागों के पास जमा राशि		
प्राप्य मान्य	104.05	79.68
संदिग्ध मान्य	7.12	7.12
	111.17	86.80
घटाएँ : संदिग्ध जमा राशि के लिए प्रावधान	(7.12)	(7.12)
	104.05	79.68
सरकारी प्राधिकारियों के साथ शेष (जीएसटी/उत्पाद शुल्क/वैट)	1165.84	1250.81
क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए अग्रदाय सहित कर्मचारियों को अग्रिम	66.13	56.74
अन्य अग्रिम	19.65	13.17
अन्य प्राप्य	181.34	179.73
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	41.75	16.03
	1578.76	**1596.16**

11.1 सरकारी विभागों (चालू और अप्रचलित) के साथ जमा राशि के संबंध में शेष राशि रु.117.88 लाख (पिछले वर्ष रु.104.57 लाख) की पुष्टि की प्रतीक्षा है। जिन मामलों में अंतर की पुष्टि होती है, उन पर ध्यान दिया जाता है, कंपनी ने आवश्यक सुलह करने के बाद वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए लेखा की पुस्तकों के अनुसार शेष राशि को अपनाया है। हालांकि, कंपनी की राय में, शेष राशि की पुष्टि न होने से कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(रु. लाख में)

वित्तीय परिसंपत्तियों	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
11.2 सरकारी प्राधिकरणों (जीएसटी/उत्पाद शुल्क/वैट) के साथ शेष राशि में रु.79.56 लाख (पिछले वर्ष रु.79.56 लाख) की राशि वापसी योग्य हैं जो जीएसटी के उप/सहायक आयुक्त (प्रभाग-IV), गोवा के कार्यालय से प्राप्य हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान वापसी के लिए आवेदन दायर है और उसके लिए अनुवर्ती कार्रवाई का पालन किया जा रहा है।		
12 वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		
वर्तमान कर	250.99	-
आयकर वापसी योग्य	103.52	267.87
	354.51	**267.87**
13 अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		
पूंजी अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
आपूर्ति के लिए अग्रिम	14.09	22.73
पूर्वदत्त व्यय	46.92	53.88
	61.01	**76.61**
14 शेयर पूंजी :		
प्राधिकृत :		
15,00,000 (गत वर्ष 15,00,000) प्रत्येक रु.100/- के इक्विटी शेयर	1500.00	1500.00
	1500.00	**1500.00**
जारी, अभिदत्त एवं पूर्णतया प्रदत्त :		
13,49,000 (गत वर्ष 13,49,000) प्रत्येक रु.100/- के इक्विटी शेयर	1349.00	1349.00
	1349.00	**1349.00**

(i) वर्ष के आरंभ में और वर्ष के अंत तक बकाया शेयरों की संख्या का मिलान

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार		31 मार्च 2020 के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशी (रूपए लाखों में)	शेयरों की संख्या	राशी (रूपए लाखों में)
वर्ष के आरंभ में	1349000	1349.00	1349000	1349.00
जोड़ : वर्ष के दौरान जारी शेयरों की संख्या	–	–	–	–
वर्ष के अंत में	**1349000**	**1349.00**	**1349000**	**1349.00**

(ii) **इक्विटी शेयरों के विभिन्न वर्गों के अधिकारों, पात्रता और दायित्वों का उल्लेख निम्नानुसार किया गया है:**

कंपनी के पास सिर्फ प्रति शेयर 100 रुपए सम मूल्य श्रेणी के ही इक्विटी शेयर हैं। इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक प्रति शेयर के लिए एक मतदान के लिए हकदार होते हैं। कंपनी के निदेशकों द्वारा घोषित किए जानेवाले लाभांश कंपनी के शेयरधारकों द्वारा वार्षिक आम सभा में दिए जानेवाले अनुमोदन पर निर्भर करता है।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी के शेयरों पर लाभांश 30 रुपए प्रतिशेयर (गतवर्ष – 28 रुपए) प्रस्तावित है।

कंपनी का दिवालिया होने की दशा में, कंपनी की बची हुई परिसंपत्तियों को उसके शेयरधारक, सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के पश्चात, यदि कोई है तो, बची हुई परिसंपत्तियों के हिस्सेदार माने जाएँगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(iii) **5% से अधिक इक्विटी शेयर धारित शेयरधारकों का विवरण :**

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार		31 मार्च 2020 के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशी (रूपए लाखों में)	शेयरों की संख्या	राशी (रूपए लाखों में)
वर्ष के आरंभ में	798180	59.17%	798180	59.17%
जोड़ : वर्ष के दौरान जारी शेयरों की संख्या	550820	40.83%	550820	40.83%
वर्ष के अंत में	**1349000**	**100.00%**	**1349000**	**100.00%**

(iv) 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए पिछले पांच वर्षों के दौरान नकदी या शेयरों की पुनर्खरीद के अलावा अन्य किसी भी तरह के बोनस शेयर या शेयर जारी नहीं किए गए हैं।

(रु. लाख में)

वित्तीय परिसंपत्तियों	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
15 अन्य इक्विटी		
क) सामान्य आरक्षित		
अथशेष	18066.94	16066.94
जोड़ें : लाभ और हानि में अधिशेष से स्थानांतरण	2000.00	2000.00
अंतिम शेष	**20066.94**	**18066.94**
ख) सीएसआर निधि आरक्षित		
अथशेष	92.91	92.91
अंतिम शेष	92.91	92.91
ग) संपोषणीय विकास कोष प्रारक्षण		
अथशेष	16.66	16.66
अंतिम शेष	16.66	16.66
घ) प्रतिधारित अर्जन		
अथशेष	391.09	450.29
जोड़ें : वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि)	2318.30	2298.57
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि	2709.39	2748.86
विनियोजन :		
सामान्य आरक्षित को हस्तांतरित	2000.00	2000.00
अंतिम लाभांश	377.72	296.77
अंतिम लाभांश पर कर	0.00	61.00
	2377.72	2357.77
अंतिम शेष	331.67	391.09
ङ) अन्य व्यापक आय		
परिभाषित लाभ योजनाओं पर अस्वीकृति लाभ/(हानि)		
अथशेष	(29.32)	(18.30)
जोड़ें या (घटाएँ): वर्ष के दौरान लेनदेन	68.91	(11.02)
अंतिम शेष	39.59	(29.32)
कुल अन्य इक्विटी	**20547.77**	**18538.28**

(रु. लाख में)

वित्तीय परिसंपत्तियों	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
16 गैर चालू उधार		
बैंक ऑफ बरोड़ा से: सुरक्षित (टिप्पणी सं.20 को देखें)		
सावधि ऋण :	375.00	675.00
	375.00	675.00
कार्यशील पूंजी सीमाओं के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ समान समय के आधार पर विशिष्ट अचल परिसंपत्तियों का दृष्टि बंधक और कंपनी की अन्य अचल परिसंपत्तियों की निरंतर सुरक्षा के विरुद्ध सुरक्षित।		
चालू रु.300.00 लाख (टिप्पणी सं.20 को देखें) (गत वर्ष रु.332.68 लाख)		
अप्रचलित रु. 375.00 लाख (गत वर्ष रु.675.00 लाख)		
चुकौती की समयावधि :		
जुलाई, 2018 से शुरू होने वाली प्रत्येक रु.25 लाख की 60 समान मासिक किश्तें – ब्याज दर- 9.00%-31 मार्च 2021 को, 27 किश्तें चुकानी शेष हैं। उपरोक्त अवधि के ऋण की अदायगी में कोई चूक नहीं है।		
17 गैर चालू प्रावधान		
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (टिप्पणी 22 को भी देखें):		
उपदान	195.52	441.62
बीमारी छुट्टी	354.54	369.61
	550.06	811.23
18 वर्तमान उधार		
सुरक्षित ऋण मांग पर चुकाने योग्य		
बैंकों से कार्यशील पूंजी ऋण	0.00	362.34
	0.00	362.34

अनुसूचित बैंकों से कार्यशील पूंजी की सुविधाएं व्यापार में स्टॉक के अनुमानों के विरुद्ध सुरक्षित हैं और समान समय के आधार पर बुक ऋण हैं और विजया बैंक को पारि पासु आधार पर सावधि ऋण के लिए निर्धारित अचल परिसंपत्तियों के अलावा अन्य अचल संपत्तियों की संपार्श्विक प्रतिभूति सुरक्षित हैं। नकद क्रेडिट के तहत डेबिट शेष दृष्टि बंधक लेखे का प्रकटीकरण को नकद और बैंक शेष के तहत किया जाता है। इसमें विदेशी मुद्रा में शिपमेंट के उपरांत ऋण रु.0.00 लाख (गत वर्ष रु.362.34 लाख) की ओर उधार शामिल हैं। ब्याज दर लिबोर (LIBOR) से जुड़ी हुई है।

(रु. लाख में)

	वित्तीय परिसंपत्तियों	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
19	व्यापार देनदारियां		
	सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय	1269.98	416.75
	अन्य लेनदार	5947.51	7927.45
		7217.49	8344.20
19.1	व्यापार देनदारियों के लिए शेष राशि की पुष्टि के लिए अनुरोध परिचालित किया गया था और कुछ प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं रु.6685.44 लाख तक की कुल राशि की पुष्टि की प्रतीक्षा है। उन मामलों में जहां अंतर पुष्टि में देखा गया है, कंपनी ने आवश्यक सुलह करने के बाद वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए खातों की पुस्तकों के अनुसार शेष राशि को अपनाया है। हालांकि, कंपनी की राय में, शेष राशि की पुष्टि न होने से कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।		
20	अन्य चालू वित्तीय देयताएं		
	दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं (टिप्पणी 16 को देखें)	300.00	332.68
	बैंकों के साथ चालू खाता (बुक ओवरड्राफ्ट)	0.00	522.63
	प्राप्त ईएमडी और सुरक्षा जमा	379.21	374.09
	पूंजीगत व्यय के लिए लेनदार	216.08	377.03
		895.29	1606.43
21	अन्य चालू देयताएं		
	भुगतान करने योग्य सांविधिक देय	189.72	228.64
	ग्राहकों से अग्रिम	988.40	576.49
	बकाया खर्च	512.94	719.79
	अन्य देय	22.08	31.17
		1713.14	**1556.09**
21.1	अन्य देय में रु.12.46 लाख (गत वर्ष रु.10.75 लाख), जो कार्यकारी कल्याण निधि के लिए देय राशि रु.4.61 लाख (गत वर्ष रु.3.88 लाख) और गैर-कार्यकारी कल्याण निधि के लिए देय राशि रु.7.85 लाख (गत वर्ष रु.6.87 लाख) है, जिन्हें प्रबंधन और कर्मचारियों के सदस्यों से गठित समिति द्वारा प्रशासित किया जाता है। इन रु.7.85 लाख (गत वर्ष रु.6.87 लाख) गैर-कार्यकारी कल्याण कोष में से रु.6.54 लाख (गत वर्ष रु.6.23 लाख) की राशि को बैंक ऑफ बरोड़ा, बेंगलूरु के साथ सावधि जमा के रूप में धारित की जाती है।		

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
22 वर्तमान प्रावधान		
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (टिप्पणी सं.17 को भी देखें)		
अर्जित अवकाश नकदीकरण	0.00	14.20
बीमारी छुट्टी	35.69	20.46
उपदान	126.67	160.62
सेवानिवृत्ति के बाद स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रावधान	30.00	83.86
प्रावधान अन्य		
आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	340.75	310.75
	533.11	589.89
23 चालू कर देयताएं (निवल)		
आयकर के लिए प्रावधान	-	850.00
घटाएँ : अग्रिम आयकर और टीडीएस	-	(679.80)
	0.00	170.20

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 के समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 के समाप्त वर्ष के लिए
24 परिचालनों से राजस्व :		
(क) उत्पादों की बिक्री		
घरेलू	39698.38	40532.56
निर्यात	2917.12	2682.13
	42615.50	**43214.69**
(ख) अन्य परिचालन राजस्व		
ऋण लाइसेंस – श्रम	78.93	104.96
स्क्रैप बिक्री	22.02	20.79
	100.95	125.75
	42716.45	**43340.44**
(नेपाल बिक्री रु. 373.13 लाख के निर्यात के तहत पुनर्समूहित (पिछले वर्ष रु. 265.37 लाख)		
भारतीय ले.मा.115 के संबंध में प्रकटीकरण		
अनुबंधित मूल्य	43599.48	44160.16
समायोजन :		
– छूट	77.95	96.75
– बिक्री वापसी	431.02	355.74
– परिनिर्धारित नुकसानी	475.01	492.98
	42615.50	43214.69
25 अन्य आय		
बैंकों से ब्याज	137.02	115.45
अन्यों से ब्याज	6.19	4.22
आयकर वापसी पर ब्याज	21.99	0.00
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव का लाभ (निवल)	–	28.80
वसूल किया गया माल भाड़ा	6.64	18.01
पार्टियों से प्राप्त छूट	2.59	5.20
विविध क्रेडिट शेष वापस लिखा गया	198.85	70.44
प्रतिवर्ती अतिरिक्त प्रावधान	24.12	76.77
स्क्रैप – विनिर्माण के इतर	7.48	1.88
अन्य गैर परिचालन आय	8.36	3.25
	413.24	**324.02**

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 के समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 के समाप्त वर्ष के लिए
26 उपभोग की गई सामग्री की लागत		
क. कच्चा माल :		
i. स्वदेशी :	13685.33	13387.56
ii. आयातित:	0.00	186.23
	13685.33	**13573.79**
ख. पैकिंग सामग्री :		
i. स्वदेशी :	3112.04	4105.83
	3112.04	**4105.83**
(क + ख)	16797.37	17679.62
घटाएँ : जीएसटी क्रेडिट	0.00	398.11
निवल उपभोग	**16797.37**	**17281.51**
27 **निर्मित माल, प्रगतिशील कार्य तथा व्यापार स्टॉक की मालसूचियों में परिवर्तन**		
प्रारम्भिक स्टॉक		
प्रगतिशील कार्य	784.04	1529.36
निर्मित माल	1551.46	2161.70
व्यापार स्टॉक	480.46	459.80
	2815.96	4150.86
घटाएँ : अंतिम स्टॉक		
प्रगतिशील कार्य	194.56	784.04
निर्मित माल	2870.83	1551.47
व्यापार स्टॉक	498.37	480.47
	3563.76	2815.98
सीएसआर व्यय के तहत आपूर्ति किया गया निर्मित माल	0.00	38.00
	(747.80)	**1296.88**
28 **कर्मचारी लाभ व्यय :**		
वेतन, मजदूरी, बोनस और भत्ते	5483.45	5557.96
भविष्य निधि और अन्य कोषों में योगदान	740.69	715.61
कार्मिक तथा कर्मचारी कल्याण व्यय	825.96	874.85
	7050.10	**7148.42**
29 **वित्तीय लागत :**		
बैंक उधार पर ब्याज	73.73	114.92
ब्याज अन्य	16.11	21.02
	89.84	**135.94**

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 के समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 के समाप्त वर्ष के लिए
30 अन्य व्यय :		
– विनिर्माण व्यय		
उपभोज्य भंडार एवं कलपुर्जे	129.12	144.48
प्रयोगशाला व्यय	228.49	221.41
बिजली और ईंधन	784.65	839.07
भवनों की मरम्मत	42.71	62.54
मशीनरी की मरम्मत	269.19	340.22
अनुबंध श्रम प्रभार	1606.05	1630.32
अन्य विनिर्माण व्यय	850.78	1222.80
	3910.99	**4460.84**
– विक्रय एवं वितरण व्यय		
जावक ढुलाई	557.13	585.03
कमीशन एवं छूट	4709.84	3579.03
विज्ञापन, विक्रय और वितरण व्यय	334.92	645.11
	5601.89	**4809.17**
– स्थापना व्यय		
किराया	107.38	107.19
दर एवं कर	145.01	197.73
यात्रा एवं सवारी खर्च	334.43	488.83
कानूनी एवं व्यावसायिक प्रभार	87.62	79.09
सामान्य अनुरक्षण खर्च	255.98	230.83
बैंक कमीशन और प्रभार	18.45	18.69
बीमा प्रभार	34.01	17.73
लेखा परीक्षकों को भुगतान :		
लेखा परीक्षक के रूप में	5.50	5.09
कर लेखा परीक्षा	0.00	2.10
अन्य	0.20	0.11
संचार व्यय	16.07	18.64
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	30.60	28.29
फुटकर प्राप्तेय बट्टे खाते में डाला गया है	2.58	7.17
भर्ती एवं प्रशिक्षण खर्च	2.07	5.73
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव हानि	4.91	-
विविध खर्च	94.18	108.07
सीएसआर खर्च	53.31	63.00
अन्य प्रावधान	123.15	227.36
	1315.45	**1605.65**
	10828.33	**10875.66**

(दरों और करों में रु.75.81 लाख (पिछले वर्ष रु.122.29 लाख) शामिल हैं) बेची गई दवाईयों पर प्रदत्त जीएसटी है, जिसमें जीएसटी क्रेडिट योग्य नहीं है।

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 के समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 के समाप्त वर्ष के लिए
31 प्रतिधारित अर्जन के तहत अन्य व्यापक आय के घटक		
क (i) मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ / (हानि)	92.09	(14.73)
उप कुल	92.09	(14.73)
क (ii) क(।) पर आयकर	(-23.18)	3.71
उप कुल	(-23.18)	3.71
ख (i) मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-
उप कुल	-	-
ख (ii) ख(i) पर आयकर	-	-
उप कुल	-	-
कुल अन्य व्यापक आया	**(68.91)**	**(11.02)**

32. आकस्मिक देनदारिया

क) प्रावधान नहीं की गई:–

i) कंपनी के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, में शामिल हैं :

(रु. लाख में)

प्रकृति	31.03.2021 पर ₹ (लाख)	31.03.2020 पर ₹ (लाख)
सीआईटी (ए), बेंगलूरु के समक्ष आयकर अपील		
वि.व.2009-10 (धनवापसी के विरुद्ध समायोजित राशि)	0.00	12.39
वि.व.2013-14 (धनवापसी के विरुद्ध समायोजित राशि)	0.00	5.27
विवाद से विश्वास योजना को चुनकर वर्ष के दौरान मामलों का निपटारा किया गया है।		
बिक्री कर:		
सांविधिक प्रपत्रों की अप्राप्ति के लिए बिक्री कर में अंतर	18.93	18.93
बिक्री कर:		
पूर्व वर्षों से संबंधित विभिन्न अपीलीय अधिकारियों के समक्ष अपील में लंबित बिक्री कर के प्रति देयता:		
1. गेज और पट्टियाँ, फ़ीड की खुराक की छूट बिक्री अस्वीकृत की गई, निर्यात बिक्री बंद की गई और वित्तीय वर्ष 1999-00 के लिए करोपित (एलएसटी) किया गया।	7.33	7.33
2. गेज और पट्टियाँ, फ़ीड की खुराक की छूट बिक्री अस्वीकृत की गई, निर्यात बिक्री बंद की गई और वित्तीय वर्ष 1999-00 के लिए करोपित (सीएसटी) किया गया।	0.19	0.19
3. गेज और पट्टियाँ, फ़ीड की खुराक की छूट बिक्री अस्वीकृत की गई, निर्यात बिक्री बंद की गई और वित्तीय वर्ष 2000-01 के लिए करोपित (एलएसटी) किया गया।	7.14	7.14
4. गेज और पट्टियाँ, फ़ीड की खुराक की छूट बिक्री अस्वीकृत की गई, निर्यात बिक्री बंद की गई और वित्तीय वर्ष 2000-01 के लिए करोपित (सीएसटी) किया गया।	3.73	3.73
अन्य दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	90.00	90.00

ख. पूँजी खाते (अग्रिमों का निवल) पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित और मान्य न प्राप्त राशि ₹ 71.19 लाख (गत वर्ष ₹ 67.30 लाख) है।

33. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बकाये का विवरण

(रु. लाख में)

प्रकृति	31.03.2021 पर ₹ (लाख)	31.03.2020 पर ₹ (लाख)
वर्ष के अंत में अदत्त शेष मूल राशि	1269.98	416.75
वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज की राशि और अदत्त शेष बकाया राशि पर		
वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे भुगतान की गई राशियों के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में कंपनी द्वारा प्रदत्त ब्याज की राशि।	-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज के बिना भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए ब्याज की देय राशि और भुगतान करने योग्य।		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में निराकरण के उद्देश्य से लघु उद्यमों को ऐसी तारीख तक जब उपरोक्त ब्याज देय हो, वास्तव में भुगतान किया जाता है, आगे देय ब्याज शेष और आगे के वर्षों में देय ब्याज की राशि	-	-

34. कर्मचारी हितलाभ:

(क) उपदान योजना : कंपनी की एक परिभाषित लाभ योजना है जो उपदान भुगतान प्रदान करती है। कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ सामूहिक उपदान योजना मास्टर पॉलिसी ली है। उपदान नीति पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या उनके रोजगार की समाप्ति पर एकमुश्त उपदान भुगतान प्रदान करती है। भुगतान की राशि संबंधित कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन और कंपनी के साथ रोजगार के वर्षों पर आधारित है।

भारतीय लेखांकन मानक 19 के तहत आवश्यक उपदान (वित्त पोषित) योजना की स्थिति निम्न तालिका में निर्धारित की गई।

(रु. लाख में)

मान्यता प्राप्त व्यय	31.03.2021 पर	31.03.2020 पर
वर्तमान सेवा लागत	194.21	170.81
ब्याज लागत	250.05	243.00
योजना परिसंपत्तियों की प्रत्याशित वापसी	(221.71)	(201.05)
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	222.55	212.76

(रु. लाख में)

दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य का मिलान	31.03.2021 पर	31.03.2020 पर
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3280.02	3126.61
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	(3602.21)	(3728.85)
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त संपत्ति/(देयता)	(322.19)	(602.24)

(रु. लाख में)

दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	उपदान	
	31.03.2021 पर	31.03.2020 पर
प्रारम्भिक परिभाषित दायित्व	3728.85	3739.03
ब्याज लागत	250.05	243.00
वर्तमान सेवा लागत	194.21	170.81
प्रदत्त लाभ	(453.47)	(351.92)
पुनर्मापन के कारण:		
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	(11.88)
वित्तीय मान्यताओं में बदलाव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(69.43)	8.95
अनुभव परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(48.00)	(69.14)
अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	3602.21	3728.85

(रु. लाख में)

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	31.03.2021 पर	31.03.2020 पर
वर्ष के प्रारम्भ में योजना परिसंपत्तियाँ, उचित मूल्य पर	3126.61	2883.89
योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित वापसी (अनुमानित)	221.71	201.05
योगदान	410.52	480.39
स्थायी लाभ	(453.47)	(351.92)
योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/हानि	(25.35)	(86.80)
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियाँ, उचित मूल्य पर	3280.02	3126.61

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त दायित्व में संचलन	31.03.2021 पर	31.03.2020 पर
प्रारम्भिक देयता	602.24	855.14
लाभ व हानि में मान्यता प्राप्त व्यय	222.55	212.76
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त पुनर्मापन प्रभाव	(92.08)	14.73
प्रदत्त अंशदान	(410.52)	(480.39)
अंतिम देयता	322.19	602.24

अन्य व्यापक आय	31.03.2021 पर	31.03.2020 पर
बीमांकिक हानि/(लाभ):		
- जनसांख्यिकीय मान्यताओं में बदलाव के कारण	0.00	(11.88)
- वित्तीय मान्यताओं में बदलाव के कारण	(69.43)	8.95
- अनुभव परिवर्तन के कारण	(48.00)	(69.14)
योजना परिसंपत्तियों पर पर वापसी छूट दर (से अधिक)/से कम	(25.35)	86.80
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल पुनर्मापन प्रभाव	(92.08)	14.73

मूल्यांकन तिथि पर मान्यताएं	31.03.2021 पर	31.03.2020 पर
छूट कारक	7.14%	6.82%
वेतन वृद्धि दर	8.44%	8.44%
योजना परिसंपत्तियों पर वापसी की दर (अपेक्षित)	7.14%	6.82%
संघर्षण दर	10.00%	10.00%
मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2012-14) (अंतिम)	

संवेदनशीलता विश्लेषण	31.03.2021 पर	31.03.2020 पर
31.03.2021 तक महत्वपूर्ण मान्यताओं के लिए एक मात्रात्मक संवेदनशीलता विश्लेषण निम्नानुसार है :	डीबीओ में वृद्धि/ कमी (राशि लाख रु में)	डीबीओ में वृद्धि/ कमी (राशि लाख रु में)
छूट दर + 100 आधार अंक	**(201.19)**	(212.99)
छूट दर – 100 आधार अंक	**226.03**	239.32
वेतन वृद्धि + 100 आधार अंक	**128.68**	138.39
वेतन वृद्धि – 100 आधार अंक	**(135.89)**	(148.14)
संघर्षण दर + 100 आधार अंक	**(14.62)**	(18.00)
संघर्षण दर – 100 आधार अंक	**16.64**	20.33
मृत्यु दर 10% ऊपर	**(0.65)**	(0.64)

योजना परिसंपत्तियों का विभाजन: संपत्ति श्रेणी के आधार पर 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 को उपदान योजना की भारित-औसत संपत्ति आबंटन निम्नानुसार था:

विवरण	31.03.2021 पर	31.03.2020 पर
बीमा कंपनियों द्वारा प्रबंधित निधि	100%	100%
अन्य	–	–

31 मार्च, 2021 तक उपदान के संबंध में अपेक्षित भावी नकदी इस प्रकार थी :

(रु. लाख में)

संवेदनशीलता विश्लेषण	31.03.2021 पर	31.03.2020 पर
प्रत्याशित योगदान		
वर्ष के अंत के दौरान	**126.67**	160.62
प्रत्याशित भावी लाभ भुगतान		
31 मार्च 2021	**–**	420.52
31 मार्च 2022	**417.85**	416.78
31 मार्च 2023	**416.20**	408.83
31 मार्च 2024	**478.38**	455.40
31 मार्च 2025	**424.41**	429.18
31 मार्च 2026	**419.86**	–
अगले 5 वर्ष के भुगतान (31 मार्च 2026-2030 को समाप्त वर्ष)	**1540.05**	1673.24
दस वर्ष से अधिक भुगतान	**2411.87**	2393.37
31.03.2021 के अनुसार निहित लाभ दायित्व	**3555.62**	3677.29

(ख) **भविष्य निधि लाभ :** कंपनी ने 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 को समाप्त को समाप्त वर्ष के दौरान भविष्य निधि योजना में क्रमशः ₹ 518.65 लाख और ₹ 503.25 लाख का योगदान दिया।

(ग) **क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति:** अर्जित अवकाश दायित्व के लिए कंपनी द्वारा दर्ज की गई कुल देयता 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 तक क्रमशः ₹ 1711.49 लाख और ₹ 1715.47 लाख थी। बीमारी छुट्टी दायित्व के लिए कंपनी द्वारा दर्ज की गई कुल देयता 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 तक क्रमशः ₹ 390.23 लाख और ₹ 390.08 लाख थी।

(घ) **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस):** कंपनी ने वीआरएस के लिए शून्य (पिछले वर्ष पांच) कर्मचारियों को मंजूरी दी है और इस संबंध में निहितार्थ ऋ शून्य (पिछले वर्ष ₹ 107.23 लाख) है।

(ङ) **सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा योजना :** भारत सरकार के आदेशों के अनुपालन में, बोर्ड ने अपनी 171वीं बैठक में 01.01.2017 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के या उनके पति या पत्नी (सेवा काल में देहांत कर्मचारी) के लिए केएपीएल सेवानिवृत्ति के उपरांत स्वास्थ्य बीमा योजना नामक योजना को शुरू करने की मंजूरी दे दी। आदेश के अनुसार अधिकतम योगदान कर पूर्व लाभ का 1.50% है। तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 30.00 (पिछले वर्ष ₹ 46.00 लाख) प्रदान किए गए हैं। कंपनी ने इस योजना को संचालित करने के लिए एक ट्रस्ट बनाया है।

35. **उधार लागत :** कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में निर्दिष्ट अनुसार ''उधार लागत'' पर भारतीय लेखांकन मानक 23 के संदर्भ में वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की जोड़ तथा प्रगतिशील पूंजीगत कार्य सहित ऋशून्य (पिछले वर्ष ऋशून्य लाख) उधार लागत पूंजीकृत है।

36. **खंड जानकारी :** कंपनी मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के विनिर्माण और विपणन के एकल व्यवसाय खंड में लगी हुई है और इसकी विभिन्न गतिविधियों के लिए एक इकाई के रूप में प्रबंधित किया जाता है, और जोखिमों और वापसी के समान सेट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसलिए, रिपोर्ट करने योग्य कोई प्राथमिक खंड नहीं हैं।

भौगोलिक खंड : प्रबंधन की दृष्टि में, भारतीय और निर्यात बाजार भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

बाजार द्वारा बिक्री : भौगोलिक बाजार द्वारा कंपनी की बिक्री का वितरण निम्नलिखित है :

(रु. लाख में)

भौगोलिक खंड	2020-21	2019-20
भारत	39698.38	40532.56
भारत के बाहर	2917.12	2682.13
कुल	**42615.50**	**43214.69**

एक ग्राहक 10% से अधिक राजस्व का योगदान दे रहा है, जो एक सरकारी संगठन है।

खंड परिसंपत्तियों की मूल कीमत :

(रु. लाख में)

भौगोलिक खंड	2020-21	2019-20
भारत	32814.29	33495.40
भारत के बाहर	460.36	507.26
कुल	**33247.65**	**34002.66**

एक से अधिक अवधि के दौरान उपयोग की जाने वाली खंड संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का अधिग्रहण करने की उम्मीद के साथ वर्ष के दौरानहुए कुल लागत निम्नानुसार है :

(रु. लाख में)

भोगोलिक खंड	भारत 2020–21	भारत के बाहर 2020–21	भारत 2019–20	भारत के बाहर 2019–20
मूर्त परिसंपत्तियों	601.75	–	604.20	–
अमूर्त परिसंपत्तियों	–	–	–	–

37. प्रति शेयर अर्जन की गणना (मूल और तनुकृत):–

विवरण	2020–21	2019–20
1. इक्विटी शेयरों की संख्या	13,49,000	13,49,000
2. इक्विटी शेयरों का नाममात्र मूल्य	₹ 100.00	₹ 100.00
3. इक्विटी शेयरों के लिए कारण बने निवल लाभ	₹ 2318.29	₹ 2298.57
4. मूल और तनुकृत ईपीएस	₹ 171.85	₹ 170.39

38. परिचालन पट्टा :

(ख) कंपनी एक पट्टेदार के रूप में

कंपनी के पास केवल रद्द करने योग्य पट्टे हैं।

पट्टे का भुगतान लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

पट्टेदार की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था का एक सामान्य विवरण :

कोई उपपट्टा नहीं है और पट्टा व्यवस्था द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

39. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय :

(क) खर्च करने के लिए आवश्यक सकल राशि – ₹ 50.51 लाख (गत वर्ष – ₹ 63.68 लाख)

(ख) निम्नलिखित पर वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि :

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	प्रदत्त	प्रदत्त करने योग्य	कुल
(I)	किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	शून्य	शून्य	शून्य
		(गत वर्ष शून्य)	(गत वर्ष शून्य)	(गत वर्ष शून्य)
(ii)	ऊपर (i) के इतर अन्य उद्देश्यों पर	53.31	शून्य	53.31
		(गत वर्ष 63.00)	(गत वर्ष शून्य)	(झध 63.00)

40. उचित मूल्य मापन

(क) कंपनी के वित्तीय साधनों, जिन राशियों के अलावा जो उचित मूल्य का उचित अनुमान लगाते हैं, की मूल कीमत और उचित मूल्य के वर्ग की तुलना नीचे निर्धारित है:

31 मार्च, 2021 पर

(रु. लाख में)

विवरण	अमूर्त लागत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफ़वीटीओसीआई)	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफ़वीटीपीएल)	कुल मूल कीमत	कुल उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियाँ :					
– प्राप्य व्यापार	8340.71	0.00	0.00	8340.71	8340.71
– नकद और नकद समतुल्य	3505.48	0.00	0.00	3505.48	3505.48
– अन्य बैंक शेष राशि	4792.91	0.00	0.00	4792.91	4792.91
– ऋण	1684.90	0.00	0.00	1684.90	1684.90
– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	0.00	0.00	186.69	186.69	186.69
कुल	**18324.00**	**0.00**	**186.69**	**18510.69**	**18510.69**
वित्तीय देयताएं					
– उधार	675.00	0.00	0.00	675.00	675.00
– व्यापार देनदारियाँ					
सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय	1269.98	0.00	0.00	1269.98	1269.98
– अन्यों को देय	5947.51	0.00	0.00	5947.51	5947.51
– अन्य वित्तीय देयताएं	595.29	0.00	0.00	595.29	595.29
कुल	**8487.78**	**0.00**	**0.00**	**8487.78**	**8487.78**

31 मार्च, 2020 पर

(रु. लाख में)

विवरण	अमूर्त लागत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफ़वीटीओसीआई)	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफ़वीटीपीएल)	कुल मूल कीमत	कुल उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियाँ :					
– प्राप्य व्यापार	14999.66	0.00	0.00	14999.66	14999.66
– नकद और नकद समतुल्य	2549.23	0.00	0.00	2549.23	2549.23
– अन्य बैंक शेष राशि	644.41	0.00	0.00	644.41	644.41
– ऋण	1702.55	0.00	0.00	1702.55	1702.55
– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**19895.85**	**0.00**	**0.00**	**19895.85**	**19895.85**
वित्तीय देयताएं					
– उधार	1370.02	0.00	0.00	1370.02	1370.02
– व्यापार देनदारियाँ					
सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय	416.75	0.00	0.00	416.75	416.75
अन्यों को देय	7927.45	0.00	0.00	7927.45	7927.45
– अन्य वित्तीय देयताएं	1273.75	0.00	0.00	1273.75	1273.75
कुल	**10987.97**	**0.00**	**0.00**	**10987.97**	**10987.97**

उचित मूल्य पदानुक्रम

स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)

स्तर 2 – स्तर 1 के अंदर शामिल किए गए उद्धृत मूल्य के अलावा अन्य इनपुट जो संपत्ति या देयता के लिए चाहे प्रत्यक्ष रूप (यानी, कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (यानी, कीमतों से प्राप्त) अवलोकनीय हैं।

स्तर 3 – परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अप्रचलित इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

41. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की गतिविधियाँ कई तरह के वित्तीय जोखिमों को प्रकाश में लाती हैं, जिसमें बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और चलनिधि जोखिम शामिल हैं। कंपनी के प्राथमिक जोखिम प्रबंधन का ध्यान अपने वित्तीय प्रदर्शन पर बाजार के जोखिम के संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है। कंपनी के जोखिम प्रबंधन मूल्यांकन और नीतियां और प्रक्रियाएं कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने, उचित जोखिम सीमाएं और नियंत्रण निर्धारित करने और ऐसे जोखिमों की निगरानी और उसके अनुपालन के लिए स्थापित की जाती हैं। जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है ताकि बाजार की स्थितियों और कंपनी की गतिविधियों में परिवर्तन को प्रतिबिंबित किया जा सके। निदेशक मंडल और लेखा परीक्षा समिति कंपनी के जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। यह कंपनी की नीति है कि अव्यवहार्य प्रयोजनों के लिए व्युत्पन्न में कोई भी व्यापार नहीं किया जा सकता है।

क. क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम कंपनी को वित्तीय नुकसान का जोखिम है यदि ग्राहक या वित्तीय साधन के प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और मुख्य रूप से ग्राहकों से कंपनी की प्राप्तियों से उत्पन्न होता है। क्रेडिट जोखिम को क्रेडिट अनुमोदन के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है, क्रेडिट सीमा की स्थापना की जाती है और ग्राहकों की क्रेडिट योग्यता की निरंतर निगरानी की जाती है, जिसके लिए कंपनी व्यवसाय के सामान्य क्रम में क्रेडिट की शर्तों को अनुदान देती है। कंपनी क्रेडिट हानि और क्षति के लिए एक भत्ता स्थापित करती है जो निवेश, व्यापार और अन्य प्राप्तियों के संबंध में अपेक्षित नुकसान के अपने अनुमान का प्रतिनिधित्व करती है।

व्यापार और अन्य प्राप्तियां

क्रेडिट जोखिम के लिए कंपनी का प्रदर्शन मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। ग्राहक की जनसांख्यिकी, जिसमें उद्योग और उस देश का व्यतिक्रम जोखिम शामिल है जिसमें ग्राहक संचालित होता है, का भी क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है। क्रेडिट जोखिम को क्रेडिट अनुमोदन के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है, क्रेडिट सीमा की स्थापना की जाती है और ग्राहकों की क्रेडिट योग्यता की निरंतर निगरानी की जाती है, जिसके लिए कंपनी व्यवसाय के सामान्य क्रम में क्रेडिट की शर्तों को अनुदान देती है।

वित्तीय परिसंपत्तियां जो न तो विगत में देय हैं और न ही क्षति है

बैंकों के पास सावधि जमा (यानी, जमाराशि के प्रमाण पत्र) सहित कंपनी का कोई भी नकद समतुल्य 31 मार्च, 2021 तक विगत में देय या क्षति नहीं है।

वित्तीय परिसंपत्तियां जो विगत में देय पर क्षतिग्रस्त नहीं है

ग्राहकों के लिए कंपनी की क्रेडिट अवधि आमतौर पर 30 से 180 दिनों तक होती है। प्राप्य व्यापार की उम्र जो विगत में देय पर क्षतिग्रस्त नहीं है, का विवरण नीचे दिया गया है:

(रु. लाख में)

विवरण	2020–21	2019–20
< 6 महीने	5045.52	11647.93
> 6 महीने से 1 वर्ष	1674.30	2106.03
> 1 वर्ष से 2 वर्ष	1236.68	728.06
> 2 वर्ष और उससे अधिक	384.21	517.64
कुल	**8340.71**	**14999.66**

प्राप्य व्यापार के अलावा, कंपनी के पास वित्तीय परिसंपत्तियों का कोई महत्वपूर्ण श्रेणी नहीं है जो विगत में देय पर क्षतिग्रस्त नहीं है।

ऋण घाटे के लिए भत्तों का मिलान

31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान ऋण घाटे के लिए भत्ते में बदलाव के विवरण इस प्रकार हैं:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
1 अप्रैल को शेष राशि	259.80	60.31
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	117.44	199.49
31 मार्च को शेष राशि	377.24	259.80

भारतीय लेखांकन मानक 109 को अपनाने के कारण, कंपनी क्रेडिट हानि का आकलन करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करती है। इस उद्देश्य के लिए, कंपनी व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि राशि की गणना करने के लिए एक प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करती है। प्रावधान मैट्रिक्स बाहरी और आंतरिक क्रेडिट जोखिम कारकों और विभिन्न ग्राहकों के क्रेडिट घाटे के ऐतिहासिक डेटा को ध्यान में रखता है। प्रबंधन का मानना है कि 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान क्रेडिट हानि के लिए भत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ऋण और अग्रिम

ऋण और अग्रिम मुख्य रूप से कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों (ईएमडी) और ठेकेदारों को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दिए जाते हैं।

31 मार्च, 2021 और 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान संदिग्ध ऋण और अग्रिमों के प्रावधान में परिवर्तन का विवरण इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

विवरण	2020-21	2019-20
1 अप्रैल को शेष राशि	7.12	7.12
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान बट्टे खाते में लिखा ऋण और अग्रिम	-	-
वर्ष के दौरान प्रावधान वापस लिखा गया	-	-
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
31 मार्च को शेष राशि	**7.12**	**7.12**

ख. चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम वह जोखिम है जो कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगी क्योंकि वे देय हो जाते हैं। जहाँ तक संभव हो, कंपनी अपनी चलनिधि जोखिम का प्रबंधन इस प्रकार करती है कि यह हमेशा अपनी देयताओं को, दोनों सामान्य या तनावपूर्ण परिस्थितियों में, कंपनी की प्रतिष्ठा के लिए अस्वीकार्य नुकसान या जोखिम के बिना पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता होगी।

प्रबंधन कंपनी की चलनिधि की स्थिति (नीचे अनाहरित उधार सुविधाओं सहित) और अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर नकदी समतुल्यों के रोलिंग पूर्वानुमान की निगरानी करता है। यह आमतौर पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमाओं के अनुसार कंपनी के परिचालन क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है। उक्त सीमाएँ बाज़ार में उस बाज़ार की चलनिधि को ध्यान में रखते हुए बदलती हैं जिसमें इकाई संचालित होती है। इसके अलावा, कंपनी की चलनिधि प्रबंधन नीति में प्रमुख मुद्राओं में नकदी प्रवाह का अनुमान लगाना और इनका वहन करने के लिए आवश्यक तरल संपत्तियों के स्तर पर विचार करना, आंतरिक और बाहरी नियामक आवश्यकताओं के विरुद्ध तुलन पत्र चलनिधि अनुपात की निगरानी करना और ऋण वित्तपोषण योजनाओं को बनाए रखना शामिल है।

रिपोर्टिंग वर्षों के अंत में कंपनी के पास निम्नप्रकार कार्यशील पूंजी थी:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
चालू परिसंपत्तियाँ (क)	24931.50	25699.65
चालू देयताएं (ख)	10359.03	12629.15
कार्यशील पूंजी (ग)= (क-ख)	14572.47	13070.50

नीचे दी गई तालिका महत्वपूर्ण देनदारियों के अनुबंध संबंधी परिपक्वताओं के बारे में विवरण प्रदान करती है :

31 मार्च, 2021 के अनुसार (रु. लाख में)

विवरण	2022	2023	2024	2025	उसके बाद	कुल
गैर-वर्तमान उधार	-	300.00	75.00			375.00
दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता	300.00	-	-	-	-	300.00
व्यापार देनदारियां	7217.49	-	-	-	-	7217.49
वर्तमान उधार	0.00	-	-	-	-	0.00
कुल	**7517.49**	**300.00**	**75.00**	**0.00**	**-**	**7892.49**

31 मार्च, 2020 के अनुसार (रु. लाख में)

विवरण	2021	2022	2023	2024	उसके बाद	कुल
गैर-वर्तमान उधार	-	300.00	300.00	75.00	-	675.00
दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता	332.00	-	-	-	-	300.00
व्यापार देनदारियां	8344.20	-	-	-	-	8344.20
वर्तमान उधार	0.00	-	-	-	-	0.00
कुल	**9039.22**	**300.00**	**300.00**	**75.00**	**-**	**9714.22**

क. बाजार ज़ोखिम

बाजार जोखिम भविष्य का अर्जन, उचित मूल्यों या भावी नकदी प्रवाह के नुकसान का जोखिम है जो बाजार दरों और कीमतों (जैसे ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर और कमोडिटी की कीमत) में या बाजार जोखिम-संवेदनशील उपकरणों की कीमत में प्रतिकूल परिवर्तनों के परिणामस्वरूप हो सकता है, इस तरह के प्रतिकूल परिवर्तनों के परिणामस्वरूप बाजार दरों और कीमतों में भी प्रभाव पड़ते हैं। बाजार जोखिम सभी बाजार जोखिम-संवेदनशील वित्तीय साधनों, सभी प्राप्य विदेशी मुद्रा और देय तथा सभी अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण के लिए जिम्मेदार है। कंपनी मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा दर जोखिम और ब्याज दर जोखिम से संबंधित बाजार जोखिम के संपर्क में है। इस प्रकार, बाजार जोखिम के लिए कंपनी का निवेश विदेशी मुद्राओं में निवेश और उधार गतिविधियों और राजस्व सृजन और परिचालन गतिविधियों का एक कार्य है।

ख. विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम उसके विदेशी मुद्रा राजस्व और व्यय से उत्पन्न होता है, (मुख्य रूप से यूएस $ में)। विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त संपत्तियों और देनदारियों से उत्पन्न होता है जो एक कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (भारतीय रुपए) नहीं है। कंपनी के निर्यात राजस्व का एक महत्वपूर्ण अंश इस विदेशी मुद्रा में है, जबकि इसकी लागत का एक महत्वपूर्ण अंश भारतीय रुपये में है। परिणामस्वरूप, यदि भारतीय रुपये का मूल्य इन विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यांकित करता है, तो भारतीय रुपये में मापा गया कंपनी का राजस्व घट सकता है। भारतीय रुपए और इन विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर में हालिया समय में काफी बदलाव आया है और भविष्य में इसमें काफी उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।

निम्न तालिका 31 मार्च 2021 तक गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों से भारतीय रुपये में विदेशी मुद्रा जोखिम का विश्लेषण करती है।

($ लाखों में)

विवरण	यूएस$	अन्य	कुल
परिसंपत्तियों			
प्राप्त व्यापार	5.40	-	5.40
कुल	5.40	-	5.40
देयताएं			
व्यापार देनदारियां	-	-	-
कुल	-	-	-

निम्न तालिका 31 मार्च 2020 तक गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों से विदेशी मुद्रा जोखिम का विश्लेषण करती है।

($ लाखों में)

विवरण	यूएस$	अन्य	कुल
परिसंपत्तियों			
प्राप्त व्यापार	6.28	-	6.28
कुल	6.28	-	6.28
देयताएं			
व्यापार देनदारियां	-	-	-
कुल	-	-	-

निम्न तालिका गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों से विदेशी मुद्रा जोखिम का विश्लेषण करती है:

विवरण	लाभ पर प्रभाव (₹ लाख में)	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
अमरीकी डालर संवेदनशीलता		
₹/यूएसडी - 2% की वृद्धि	7.94	9.48
₹ /यूएसडी - 2% की कमी	(7.94)	(9.48)

ग. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो एक वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण उतार-चढ़ाव होगा। कंपनी की निर्धारित दर उधार राशि को परिशोधन लागत पर ले जाया जाता है। इसलिए वे भारतीय लेखांकन मानक 107 में परिभाषित ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं हैं, चूंकि न तो मूल कीमत और न ही भविष्य के नकदी प्रवाह में बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण उतार-चढ़ाव होगा। इसके अलावा, जमाओं में कंपनी का निवेश बैंकों और विद्युत प्राधिकारियों के साथ है और इसलिए कंपनी को महत्वपूर्ण ब्याज दरों के जोखिम के बारे में प्रकट नहीं होते हैं।

कंपनी की परिवर्तनीय दर उधार ब्याज दर जोखिम पर निर्भर है। निश्चित दर और परिवर्तनीय दर उपकरणों के संबंध का विवरण नीचे दिया जाता है:

(रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
नियत दर उपकरण		
वित्तीय परिसंपत्तियाँ		–
वित्तीय देयताएं	675.00	1007.68
परिवर्तनीय दर उपकरण		
वित्तीय देयताएं	0.00	362.34

सावधि जमा में कंपनी का निवेश बैंकों के साथ है और इसलिए इसलिए कंपनी को महत्वपूर्ण ब्याज दरों के जोखिम के बारे में प्रकट नहीं होते हैं।

उपयोगी वस्तु दर जोखिम

उपयोगी वस्तुओं की कीमतों के संबंध में बाजार जोखिम के लिए प्रकटन मुख्य रूप से कंपनी की खरीद और सक्रिय दवा सामग्री और निर्मित खुराक योगों की बिक्री से उत्पन्न होता है, जिसमें इस तरह के सक्रिय दवा सामग्री और निर्मित खुराक के लिए आवश्यक कच्चे माल के घटक भी शामिल हैं। ये उपयोगी वस्तुओं के उत्पाद हैं, जिनकी कीमतें कम समय के लिए काफी उतार-चढ़ाव हो सकती हैं। कंपनी के कच्चे माल की कीमतों में आम तौर पर उपयोगी वस्तुओं के चक्रों के साथ उतार-चढ़ाव होता है, हालांकि कंपनी के सक्रिय दवा सामग्री व्यवसाय में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल की कीमतें आम तौर पर अधिक अस्थिर होती हैं। कच्चे माल की लागत कंपनी के परिचालन खर्च का सबसे बड़ा अंश बनता है। उपयोगी वस्तुओं के मूल्य दर जोखिम का मूल्यांकन और संचालन प्रक्रियाओं और स्रोतन नीतियों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। 31 मार्च 2021 तक, उपयोगी वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव के जोखिम के बचाव के लिए कंपनी ने किसी भी व्युत्पन्न अनुबंध में प्रवेश नहीं किया था।

42. पूंजी प्रबंधन

पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी के उद्देश्य लाभकारी कारोबार वाला संस्थान के रूप में जारी रखना है, ताकि वे शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के लिए लाभ प्रदान कर सकें, और पूंजी की लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रख सकें। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश की राशि को समायोजित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी लौटा सकती है, ऋण को कम करने के लिए नए शेयर जारी कर सकती है या संपत्ति बेच सकती है।

उद्योग में दूसरों के साथ संगत, कंपनी निम्नलिखित गियरिंग अनुपात के आधार पर पूंजी की निगरानी करती है :

कुल इक्विटी प्लस निवल ऋण (जैसा कि तुलन पत्र में दर्शाया गया है) द्वारा विभाजित निवल ऋण (नकद और नकद समकक्षों का कुल उधार)।

गियरिंग अनुपात इस प्रकार थे: (रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
उधार	675.00	1370.02
घटाएँ : नकद और नकद समतुल्य	3505.48	2549.23
निवल ऋण (क)	**–**	**–**
इक्विटी शेयर पूंजी	1349.00	1349.00
अन्य इक्विटी	20547.77	18538.28
कुल इक्विटी (ख)	**21896.77**	**19887.28**
इक्विटी और निवल ऋण (ग)=(क+ख)	**21896.77**	**19887.28**
गियरिंग अनुपात (क/ग)	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**

इस समग्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, कंपनी के पूंजी प्रबंधन को, अन्य बातों के साथ, यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य होना है कि यह पूंजी संरचना आवश्यकताओं को परिभाषित करने वाली उधार से जुड़ी वित्तीय प्रतिज्ञाओं को पूरा करे। वित्तीय प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में उल्लंघनों से बैंक को तुरंत ऋण और उधार लेने की अनुमति मिलेगी। चालू अवधि में किसी भी उधार की वित्तीय प्रतिज्ञाओं में कोई भौतिक उल्लंघन नहीं है।

43. भारतीय लेखा मानक 24 के अंतर्गत संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण

क) केएपीएल भारत सरकार द्वारा 59.17% शेयरों और कर्नाटक राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (केएसआईआईडीसी) के माध्यम से कर्नाटक सरकार द्वारा 40.83% शेयरों के साथ एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है। 31.03.2021 तक प्रवर्तकों की हिस्सेदारी इस प्रकार है:

क्र.सं.	शेयरधारकों के नाम	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	संबंध
1.	भारत के राष्ट्रपति	798180	59.17	नियंत्रण
2.	केएसआईआईडीसी	550820	40.83	हत्वपूर्ण प्रभाव
	कुल	**1349000**	**100.00**	

सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी को भारतीय लेखा मानक 24 के पैरा 25 के अनुसार सरकार/सरकारी संस्थाओं के साथ संबंधित पार्टी के लेन-देन के प्रकटीकरण से छूट दी जाती है।

ख) टिप्पणी संख्या 28 के अंतर्गत कर्मचारी लाभ व्यय में श्री सुनील कुमार कैमाल, प्रबंध निदेशक (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक) का पारिश्रमिक निम्नांकित अनुसार शामिल हैं :

विवरण	31 मार्च 21 (₹ लाखों में)	31 मार्च -20 ₹ लाखों में (दि.01.08.2019 से प्रभाव देकर)
क) वेतन और भत्ते	35.31	19.17
ख) भविष्य निधि में योगदान	2.93	1.85
ग) अन्य	1.76	1.83
कुल	**40.00**	**22.85**

ग) अन्य निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए निम्नानुसार बैठक शुल्क दिया गया है:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	निदेशक का नाम	31 मार्च 21	31 मार्च 20
1.	श्री जावेद अख्तर	0.04	0.03
2.	श्री गंगा राम बदेरिया	0.02	0.04
3.	श्री बी टी खानापुरे	0.04	0.03
4.	श्री सुमित गर्ग	0.03	–
5.	श्री श्रीकर	0.01	–
6.	श्री जितेन्द्र त्रिवेदी	–	0.04
7.	श्री अमरेश तुंबागी	–	0.03

44. प्रभावी कर की दर का मिलान

(रु. लाख में)

विवरण	31 चरी. 21	31 चरी. 20
आयकर से पहले लाभ	3074.08	3150.55
भारत में लागू कर की दर	25.17%	25.17%
गणना की गई कर व्यय	773.75	792.99
कर उद्देश्य के लिए व्यय पर कर (कटौती योग्य)/गैर-कटौती योग्य	34.63	68.86
वृद्धिशील कटौती पर अनुमत्त कर	0.00	0.00
पिछले वर्षों के लिए कर समायोजन	(52.59)	(11.29)
करों की दर में परिवर्तन के कारण आस्थगित कर परिसंपत्ति पर प्रभाव	–	1.42
आयकर व्यय	755.79	851.98
प्रभावी कर की दर	24.59%	27.04%

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर के प्रावधान को मान्यता देते हुए, कंपनी ने कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अधीन प्रस्तावित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए के अंतर्गत अनुमति दी गई न्यून कर दर के विकल्प का उपयोग करने का प्रस्ताव किया है।

45. रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रत्येक ₹ 100/- के पूर्ण रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयर के लिए ₹ 30/- (पिछले वर्ष ₹ 28/-) के लिए कुल मिलाकर ₹ 30/- (पिछले वर्ष ₹ 28/-) के लाभांश की सिफारिश की है, जो 31 मार्च, 2021 को प्रासंगिक शेयर पूंजी पर आधारित है। वास्तविक लाभांश राशि संबंधित शेयर पूंजी पर निर्भर होगी जो अभिलेख की तिथि/बही खाता बंद होने पर बकाया होगी।

46. वर्ष के दौरान प्रावधान का संचालन

(रु. लाख में)

विवरण	वर्ष के प्रारम्भ मे शेष	वर्ष के दौरान प्रदान की गई राशि	वर्ष के दौरान भुगतान की गई/ समायोजित राशि	वर्ष के अंत मं शेष
आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान:				
क) विवादित कानूनी मामले चालु वर्ष पिछले वर्ष	310.75 (284.00)	30.00 (26.75)	0 (0)	340.75 (310.75)
कुल चालू वर्ष पिछले वर्ष	310.75 (248.00)	30.00 (26.75)	0 (0)	340.75 (310.75

47. मूर्त परिसंपत्तियों (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) पर अतिरिक्त जानकारी:

क: कदबेगेरे पर भूमि – बेंगलूरु :

कर्नाटक सरकार ने कदबगेरे गांव, दासनपुराहोबली, बेंगलूरु उत्तर तालुक, बेंगलूरु में सर्वेक्षण नंबर 80 (नई नं.197) में 20 एकड़ भूमि तथा सर्वेक्षण नंबर 22 (नई नं.196) में 4 एकड़ और 20 गुंटा भूमि दी है। सर्वेक्षण नंबर 80 (नई नं.197) के संबंध में आरटीसी प्राप्त किया गया है और सर्वेक्षण संख्या 22 (नई संख्या 196) के संबंध में आरटीसी प्राप्त नहीं किया गया है। कंपनी ने उपरोक्त सर्वेक्षण संख्याओं के लिए कर्नाटक सरकार से सर्वेक्षण रिपोर्ट के लिए आवेदन किया था। सर्वेक्षण संख्या 80 (नई नं.197) के संबंध में सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई और लगभग 3 एकड़ और 24 गुंटा की सीमा तक अतिक्रमण की सूचना मिली। सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिखाए गए अतिक्रमण के अलावा, सर्वेक्षण संख्या 80 (नई नं.197) में 1 एकड़ (लगभग) की सीमा तक अतिक्रमण है जिसे सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्शाया नहीं गया है। रिपोर्ट में इस अतिरिक्त अतिक्रमण का उल्लेख करने और सभी अतिक्रमण को हटाने के लिए कंपनी ने राजस्व अधिकारियों के साथ मामला उठाया है। इस बीच, उक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया।

कंपनी ने तब से जमीन के शेष हिस्से को घेरा कर दिया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्शाये गए 3 एकड़ और 25 गुंटा के अतिक्रमण में से, अतिक्रमित पार्टी में से एक ने सिविल जज कोर्ट, बेंगलूरु में कंपनी के विरुद्ध एक सिविल मुकदमा दायर किया है जिसका कंपनी द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है। इसके बाद, मामले को नेलमंगला स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अलावा, दि.19.02.2010 को सम्पन्न अपनी 131वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड ने चरण I में 10 एकड़ में औषधीय पौधारोपण करने का निर्णय लिया। तद्नुसार कदबगेरे भूमि पर औषधीय पौधे उगाए जा रहे हैं।

कंपनी ने आवश्यक शुल्क का भुगतान करके और राजस्व विभाग के साथ लगातार पीछा करके दोनों सर्वेक्षण संख्याओं की भूमि के सर्वेक्षण के लिए आवेदन किया है। कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को संबोधित दि.11-07-2018 और 22-03-2019 के पत्रों द्वारा सर्वेक्षण करने और अतिक्रमण के निष्कासन के लिए अनुरोध किया गया। प्रबंध निदेशक द्वारा शहरी जिला उपायुक्त, बेंगलूरु को भी दि.27-07-2018 और 22-03-2019 के पत्र द्वारा संबोधित किए गए। दि.18-09-2018 को संयुक्त निदेशक भूमि अभिलेख को भी पत्र भेजा गया तथा इसके प्रत्युत्तर में संयुक्त निदेशक भूमि अभिलेख ने अपने दि.11-10-2018 और 21-01-2019 के पत्र द्वारा भूमि अभिलेख के सहायक निदेशक को संबोधित किया। दि.21-03-2019 को फिर से पत्र लिखा गया था और मामले का पालन किया जा रहा है। इसके अलावा हमने दिनांक 29-03-2019 के पत्र द्वारा तहसीलदार, बेंगलूरु उत्तर तालुक को भूमि के सर्वेक्षण के लिए अनुरोध किया है। मामले का अवलोकन किया जा रहा है। इसके अलावा हमने तहसीलदार, बेंगलुरू उत्तर तालुका को भूमि के सर्वेक्षण के लिए दिनांक 29-03-2019 के पत्र द्वारा अनुरोध किया है। वर्ष 2019-20 के दौरान प्रबंध निदेशक द्वारा 20.03.2020 को राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा गया था और दिनांक 20.03.2020 को कंपनी सचिव और सहायक महाप्रबंधक (प्रशासन) द्वारा तहसीलदार बेंगलूर उत्तर तालुक को पत्र लिखा गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान प्रबंध निदेशक द्वारा 29-06-2020,17-12-2020 और 31-03-2021 को राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा गया था और दिनांक 29-06-2020 और 31-03-2021 को उपायुक्त को पत्र लिखा गया था और कंपनी सचिव और सहायक महाप्रबंधक (प्रशासन)

द्वारा तहसीलदार, बेंगलूर उत्तर तालुक को पत्र दिनांक 08-07-2020 और 17-12-2020 लिखा गया था और भूमि अभिलेख के सहायक निदेशक को पत्र दिनांक 21-09-2020 लिखा गया था। मामले का अवलोकन किया जा रहा है।

ख. धारवाड़ संयंत्र :

दि.26.09.2016 को सम्पन्न अपनी 157 वीं बैठक में बोर्ड ने कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (केएसएफसी) की ई-नीलामी के माध्यम से धारवाड़ में (6 एकड़ और 14 गुंटास भूमि पर) फार्मास्युटिकल इकाई की खरीद को मंजूरी दी थी और बोली राशि तय करने के लिए प्रबंध निदेशक को अधिकृत किया था। तद्नुसार, कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (केएसएफसी) के विजयवाणी दिनांक 24.10.2016 में छपे एक विज्ञापन के आधार पर, कंपनी ने ई-नीलामी में भाग लिया और भूमि और भवन की ओर रु.517.37 लाख की राशि और संयंत्र और मशीनरी की ओर रु.93.64 लाख की राशि उद्धृत किया था। केएसएफसी द्वारा 08.12.2016 दिनांकित पत्र द्वारा कंपनी की बोली स्वीकार की गई थी। बोली राशि का भुगतान करने के बाद, भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी का अधिग्रहण दि.12.12.2016 को जैसा है, वैसा ही के आधार पर किया गया। बोर्ड की मंजूरी के अनुसरण में, नवीकरण की गतिविधियाँ पूरी हुईं और आयुर्वेदिक उत्पादों का निर्माण शुरू किया गया।

पंजीकरण करने से पहले कंपनी ने दि.17.01.2017 को तहसीलदार, धारवाड़ को संबोधित पत्र तथा दि.18.01.2017 को महाप्रबंधक, कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम, बेंगलूरु को संबोधित पत्र द्वारा कोत्तूर गाँव, एनएच4, पी.बी.रोड, बेलूर औद्योगिक क्षेत्र के सर्वेक्षण नं.429/1 और सर्वेक्षण नं.429/2ए के सर्वेक्षण करने तथा सीमा तय करने का अनुरोध किया। मैसर्स कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (केएसएफसी) के पत्र सं.केएसएफसी/बीओ/डीडब्ल्यूआर/2605/2016-17 दिनांक 04.02.2017 के अनुसार, दोनों सर्वेक्षण नं. याने सर्वेक्षण संख्या 429/1 (5 एकड़ और 18 गुंटा) और सर्वेक्षण संख्या 429/2 ए (36 गुंटा) के तहत कुल 6 एकड़ और 14 गुंटा दिखाई गई थी। सर्वेक्षण विभाग को किए गए अनुरोध के आधार पर, भूमि का सर्वेक्षण दि.16.03.2017 को किया गया। सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर, यह देखते हुए कि 26 गुंटा की सीमा तक भूमि की कमी है, केएपीएल ने मैसर्स कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (केएसएफसी) से अनुरोध किया कि उक्त भूमि की लागत के प्रयोजन के लिए उपलब्ध संशोधित भूमि पर विचार किया जाए तथा अंतर राशि वापस की जाए तथा हमारे नाम पर संपत्ति भी पंजीकृत किया जाए।

उपरोक्त के मद्देनजर, कंपनी निरंतर रूप से मेसर्स केएसएफसी, धारवाड़ और बेंगलूरु के साथ हमारे दिनांक 07.06.2017, 05.12.2017 और 29.01.2018 के पत्रों द्वारा अंतर राशि का पुन: भुगतान करने और मेसर्स कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) के नाम पर संपत्ति का पंजीकरण करने के मामले में तेजी लाने के लिए इसका अनुसरण कर रही है। दिनांक 02-07-2018 को पत्र के माध्यम से मामले का पालन किया गया। मेसर्स कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (केएसएफसी) ने उपलब्ध भूमि के संयुक्त मापन करने का निर्णय लिया। संयुक्त मापन में, 26 गंटों की सीमा तक भूमि की कमी बताई जा रही है और दिनांक 24-01-2019 , 09.04.2019, 17.05.2019, 03.02.2020, 31.03.2020, 17.11.2020 और 24.11.2020 के पत्रों के माध्यम से हमने अंतर राशि की वापसी और हमारे नाम पर संपत्ति का पंजीकरण के लिए अनुरोध किया है और मामले का अवलोकन किया जा रहा है।

48. क्रय की गई उपयोग की गई परिसंपत्तियों (धारवाड़ संयंत्र) के उपयोगी जीवन का विवरण इस प्रकार है:

परिसंपत्ति	उपयोगी जीवन		
	कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार	तकनीकी सलाह के अनुसार	कंपनी द्वारा अपनाया गया
भवन	30	39	30
संयंत्र और मशीनरी	15	12	12
विद्युत संस्थापन	10	12	10
कार्यालयी उपकरण	5	3	3
कंप्यूटर और बाह्य उपकरण	3	2	2
फर्नीचर और फिट्टिंग्स	10	2	2

49. कोविड-19 प्रकोप के प्रचलित चिंता के कारण कंपनी की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा है। हमने (i) अतिरिक्त प्रयासों के कारण अनुबंधों को पूरा करने के लिए सेवाओं को प्रदान करने के लिए बाधाओं की संभावना जिसके कारण लागत के अनुमानों में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है; (ii) समझौतों के उल्लंघन से संबंधित दंड, (iii) ग्राहकों द्वारा अनुबंधों को समाप्त करना या टालना और, (iv) उचित मूल्य का मूल्यांकन; के परिणामस्वरूप कोविड-19 के प्रभाव का मूल्यांकन किया है। हमने निष्कर्ष निकाला है कि कोविड-19 का प्रभाव वित्त वर्ष 2021 के लिए इन अनुमानों के आधार पर महत्वपूर्ण नहीं था।

50. राशियों को निकटतम लाख रुपए में पूर्णांक किया गया है।

51. जहां आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः एकत्रित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

कृते निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
कर्नाटक एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
सीआईएन: U24231KA1981GOI004145

सुनिल कुमार कैमाल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08528088

बी टी खानापुरे
निदेशक
डीआईएन: 07778686

जगदीश चन्द्रशेखर
महाप्रबंधक - वित्त

सुप्रिया कुलकर्णी
कम्पनी सचिव

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 26 अक्तूबर 2021

यह समदिनांक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में
संदर्भित तुलन पत्र है
कृते **योगानन्ध राम एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन : 005157एस/एस200052

टी चन्द्र प्रकाश जैन
भागीदार
सदस्यता सं.229381

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
01	उत्पादन का मूल्य	34201	40551	36682	38863	48957	43464
02	बिक्री कारोबार	32692	38627	35383	36036	43708	42616
03	निर्यात (ऊपर 2 में शामिल)	3397	2272	2397	2803	2417	2917
04	रोकड लाभ	3358	5108	2380	3136	3868	3813
05	कर पूर्व लाभ	3019	4707	1903	2523	3151	3074
06	कर पश्चात लाभ	1951	3033	1174	1582	2299	2318
07	शेयर पूँजी	1349	1349	1349	1349	1349	1349
08	आरक्षित एवं अधिशेष	11432	14465	15628	16609	18538	20548
09	निवल मूल्य	12781	15814	16977	17958	19887	21897
10	सकल ब्लॉक	4204	8092	8005	8443	9720	10344
11	दीर्घ कालीन उधार	477	310	1300	975	1008	675
12	राजकोष में अंशदान	4113	5022	6269	7370	8190	8666
13	श्रम शक्ति (संख्या)	712	731	717	658	681	618
14	प्रति व्यवसायी कर्मचारी पर औसत बिक्री (रु.)		53	49	55	64	69
15	प्रति कारखाना कर्मचारी पर औसत उत्पादन (रु.)	162	194	176	197	244	230
16	लाभांश (डिविडेन्ड %)	15	18	20	22	28	30 (ON PAT)
17	प्रति शेयर अंकित मूल्य (रु.) (अंकित मूल्य 100 रू.)	947	1172	1258	1331	1474	1623
18	प्रति शेयर अर्जन (रू.) (अंकित मूल्य 100 रु.)	145	225	87	117	170	172
19	फुटकर देनदारों को बिक्री (%)	25	24	29	30	34	20
20	कुल अचल परिसम्पत्तियों का कारोबार (%)	777	477	442	427	450	412
21	बिक्री की समापन मालसूची का मूल्य (%)	14	14	15	22	13	15
22	कारोबार की वित्तयि लागत (%)	0.04	0.28	0.22	0.54	0.31	0.21
23	कारोबार पर सामग्री की लागत (%)	47	45	47	48	50	50